

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

Loan
disbursed
(cumulative)
Rs.2290.96 cr

Beneficiaries
assisted
(cumulative)
16,10,240

Recovery
(cumulative)
90%

Utilization
(cumulative)
96%

21 वां

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report

2012-13



एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस एण्ड डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

21 वां

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2012-13



नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों के प्रबंध निदेशकों का राष्ट्रीय सम्मेलन NBCFDC's National Conference of MD's of State Channelising Agencies



कु. सैलजा, मा. केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों के प्रबंध निदेशकों के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कु. सैलजा, मा. केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निगम के “प्रगति एवं उपलब्धियों” के ब्रोशर का विमोचन करते हुए।

इस अवसर पर श्री अनिल गोस्वामी, तत्कालीन सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्रीमती गुजाला मीनाई, संयुक्त सचिव (पि.वर्ग.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री संजीव कुमार, संयुक्त सचिव (एस.सी.डी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं श्री ए.ए. नकवी, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. उपस्थित थे।

Kumari Selja, Hon'ble Union Minister, M/O SJ&E, GOI inaugurated two days Annual Conference of Managing Directors of State Channelising Agencies (SCAs) of NBCFDC at New Delhi on 17 April, 2013. At the occasion, Kumari Selja, Hon'ble Union Minister, M/O SJ&E, GOI released "Performance & Achievement Brochure" of the Corporation during inaugural function of the Annual Conference of NBCFDC.

Sh. Anil Goswami, the then Secretary, M/O SJ&E, GOI, Smt. Ghazala Meenai, Joint Secretary (BC), M/O SJ&E, GOI, Sh. Sanjeev Kumar, Joint Secretary (SCD), M/O SJ&E, GOI and Sh. A.A. Naqvi, MD, NBCFDC are seen on the dais.

कु. सैलजा, मा. केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों के प्रबंध निदेशकों के सम्मेलन, 2013 के दौरान आयोजित प्रदर्शनी के स्टॉल पर हरियाणा के लाभार्थी से बातचीत करते हुए।

Kumari Selja, Hon'ble Union Minister, M/O SJ&E, GOI interacting with BC beneficiaries at their stalls setup for exhibition organized during Annual Conference of MD's of SCAs, 2013.



कु. सैलजा, मा. केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। मा. मंत्री, हरियाणा के पिछड़े वर्ग के लाभार्थी को मोमेंटो प्रदान करते हुए। लाभार्थी कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

Kumari Selja, Hon'ble Union Minister, M/O SJ&E, GOI honored the BC beneficiaries on the occasion of Annual Conference. In the picture Hon'ble Minister presenting memento to the beneficiary of Haryana pursuing Training in Computer.



राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को कार्यनिष्पादन पुरस्कार Performance Awards to SCAs 2010-11

कु. सैलजा, मा. केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को प्रबंध निदेशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन (2010-11) हेतु पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मोहन शंकर, अध्यक्ष एवं श्री दिलीप कुमार, प्रबंध निदेशक केरल, बी.सी. कॉर्पोरेशन (प्रथम रैंक), पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

Kumari Selja, Hon'ble Union Minister, M/O SJ&E, GOI presented Performance Award to best performing SCAs of NBCFDC for the year 2010-11 during the National Conference of MDs of SCAs on 17th April, 2013. (Ranked 1st). In a Photo Sh. Mohan Sankar, Chairman & Sh. Dilip Kumar M.D., Kerala B.C. Corporation receiving the award (ranked 1st).



, u-ch-I h-, Q-Mh-I h- ; kst ukvkaok mi Hkksx
dj rsgq ykHkkfFkz; kaok fp=kaou

**A Photo feature reaping the benefits
of NBCFDC Schemes**

**सामान्य ऋण योजना
General Loan Scheme**



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'सामान्य ऋण योजना' के अन्तर्गत वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश का लाभार्थी।

Beneficiary of Himachal Pradesh financed under NBCFDC 'General Loan Scheme'

**महिला समृद्धि योजना
Mahila Samridhi Scheme**



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'महिला समृद्धि' योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित तमिलनाडु का स्वयं सहायता समूह।

Self Help Group of Tamilnadu financed under NBCFDC 'Mahila Samridhi Scheme'.

**नई स्वर्णिमा योजना
New Swarnima Scheme**



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' के अन्तर्गत वित्त पोषित जम्मू एवं कश्मीर राज्य की लाभार्थी।

Beneficiary of Jammu & Kashmir financed under NBCFDC special Scheme 'New Swarnima'.

**शैक्षिक ऋण योजना
Education Loan Scheme**



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'शैक्षिक ऋण योजना' के अन्तर्गत उच्च शिक्षा (एम.बी.बी.एस.) हेतु वित्त पोषित पुडुचेरी की लाभार्थी।

A beneficiary of Puduchery financed for higher Education (MBBS) under NBCFDC 'Education Loan Scheme'.

विपणन संयोजन / Marketing Linkages



भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2012

कु. सैलजा मा. केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2012, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में पिछड़े वर्ग के लाभार्थी से बातचीत करते हुए व उसे प्रोत्साहित करते हुए।

IITF-2012

Kumari Selja, Hon'ble Union Minister, MO SJ&E, interacting and encouraging to the backward classes beneficiary at IITF-2012, Pragati Madan, New Delhi.



सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला, हरियाणा, फरवरी, 2013 Surajkund Craft Mela, Haryana, February, 2013



श्री ए.ए. नकवी, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एवं अन्य अधिकारीगण सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला-2013, फरीदाबाद, हरियाणा में महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग के लाभार्थी से बातचीत करते हुए।

Sh. A.A. Naqvi, MD, NBCFDC and officers interacting with backward classes artisan of Maharashtra at Suraj Kund Craft Mela, 2013, Faridabad, Harayana.

शिल्पोत्सव नवम्बर, 2012 SHILPOTSAV, November, 2012



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त त्रिपुरा का लाभार्थी 'शिल्पोत्सव-2012', दिल्ली हाट, नई दिल्ली में अपने उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री करते हुए।



A beneficiary of Tripura financed under NBCFDC Scheme, exhibiting and selling their products during SHILPOTSAV-2012 at Dilli Haat, New Delhi.



राष्ट्रीय अग्रगण्य वर्गों के वित्त और विकास निगम
National Backward Classes Finance & Development Corporation


वर्षवार सकल उपभोग एवं सकल वसूली

YEARWISE CUMULATIVE UTILIZATION AND CUMULATIVE RECOVERY



दिनांक 31.03.2013 तक अधिकृत अंश पूंजी, प्रदत्त पूंजी, संचयी वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी।

Authorized share capital, Paid-up Capital, Cumulative Amount Disbursed and Beneficiaries Assisted upto 31.03.2013.



वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि में आवंटन, वितरण, वसूली, प्रशिक्षित लाभार्थी, सहायता प्राप्त लाभार्थी सम्बन्धी उपलब्धियों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण।

Comparative presentation of Achievements of Allocation, Disbursement, Recovery, beneficiaries trained & beneficial assisted during 2011-12 & 2012-13.

युक्तिर oxlgrqdkS ky fodkl dk; iye Skill Development Programmes for Target Group



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज् इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चेन्नई द्वारा प्रायोजित पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थी चेन्नई में “मोबाइल फोन मरम्मत” में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए। प्रशिक्षण भारत संचार निगम लि. द्वारा प्रदान किया गया।

A Photo of Backward Classes trainees availing training in "Mobile Phone Repairing" at Chennai under NBCFDC Training Schemes. The trainees sponsored by Tamilnadu Backward Classes Economic Development Corporation, Chennai. Training provided through BSNL.

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मणिपुर स्टेट बी0सी0 कॉरपोरेशन, इम्फाल द्वारा प्रायोजित पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थी इम्फाल में “मिट्टी के बर्तन बनाना” में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए। प्रशिक्षण सहकारिता प्रबंधन संस्थान, इम्फाल द्वारा प्रदान किया गया।

A Photo of Skill Development Training Programme for Backward Classes trainees sponsored by Manipur State BC Corporation, Imphal under NBCFDC training scheme. The training programme was conducted through Institute of Co-operative Management, Imphal.



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत दिल्ली स्टेट एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थी “औद्योगिक सिलाई मशीन संचालन” में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए। प्रशिक्षण ए.टी.डी.सी. द्वारा प्रदान किया गया।

A Photo of Skill Development Training in Industrial Sewing Machine operation for Backward Classes trainees sponsored by Delhi ST/OBC Corporation under NBCFDC Training Scheme. The training programme was conducted through ATDC.



पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को “रिटेल मैनेजमेंट” में कौशल विकास प्रशिक्षण सहकारिता प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया। श्री ए0ए0नकवी, प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. प्रशिक्षणार्थियों को एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए। इस अवसर पर प्रशिक्षण संस्थान एवं निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

A Skill Development Programme on "Retail Management" conducted through Institute of Co-operative Management at New Delhi. Sh.A.A. Naqvi, MD, NBCFDC distributing certificates to the trainees in a function organized in NCU building, August Kranti Marg, New Delhi. At the occasion senior officers of Trg. Institute & officer of NBCFDC were presented.



प्रशिक्षणार्थियों का समूह बिग बाजार का अवलोकन करते हुए।
A group of trainees visiting at Big Bazar.



राजभाषा हिन्दी कार्यकलाप Rajbhasha Hindi Activities



निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेते हुए निगम के प्रबंध निदेशक एवं पदाधिकारीगण.



हिन्दी दिवस-2012 के अवसर पर निगम के प्रबंध निदेशक श्री ए. ए. नकवी, अधिकारीगण व अतिथि समारोह में भाग लेते हुए.



राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कारों का वितरण Distribution of Rajbhasha Incentive Awards



निगम के प्रबंध निदेशक श्री ए. ए. नकवी, निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2012 के हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं व हिन्दी प्रोत्साहन पुरस्कारों का वितरण करते हुए इस अवसर पर प्रबंध निदेशक के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समूह चित्र।

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS
As on 31.03.2013



Sh. A.A. Naqvi
Managing Director, NBCFDC



Smt. Ghazala Meenai
JS (BC), M/O SJ&E, GOI, Director



Sh. A.K. Angurana
MD, TRIFED, Director



Sh. Sushil Muhnot
CMD, SIDBI, Director



Sh. T.V.A. Ram
Dy. Secretary (Fin.) Mo, SJ&E, GOI, Director



Sh. H.S. Kingra
CMD, NSFDC, Director



Sh. Santanu Saha
MD, West Bengal BC Dev. and Fin.
Corpn. West Bengal, Director



Sh. M. Ramaiah
MD, D. Devraj Urs BC Dev. Corp.
Karnataka, Director



Sh. Sharad B. Londhe
MD, Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya
Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd., Director

fun'skd e.My
Board of Directors
(2012-13)

	: श्री ए.के. अंगुराना प्रबन्ध निदेशक, ट्राइफेड	Shri. A.K. Angurana Managing Director, TRIFED
	श्रीमती गज़ाला मीनाई संयुक्त सचिव (बी.सी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	Smt.Ghazala Meenai Joint Secretary (BC) Ministry of SJ&E, Govt. of India,
	श्री सुशील महनोट अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, सिडबी, लखनऊ	Sh.Sushil Muhnot CMD, SIDBI Lucknow
	श्री एच.एस. किंगड़ा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी., नई दिल्ली	Sh. H. S. Kingra CMD, NSFDC New Delhi
	श्री टी.वी.ए. राम उप सचिव (वित्त) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	Sh.T.V.A.Ram Dy. Secretary (Finance) Ministry of SJ&E, Govt. of India,
	प्रबंध निदेशक पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लासेज डेव. एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, पश्चिम बंगाल	Managing Director West Bengal BC Dev. and Fin. Corpn., West Bengal.
	प्रबंध निदेशक डी. देवराज अर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कर्नाटक	Managing Director D. Devraj Urs BC Dev. Corpn., Karnataka.
	प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र राज्य इतरमागस वर्ग वित्त एनि विकास महामण्डल लि. महाराष्ट्र	Managing Director Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd. Maharashtra.
	श्री ए.ए. नकवी प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	Sh. A. A. Naqvi Managing Director, NBCFDC
प्रबन्ध निदेशक, / Managing Director,	: श्री ए.ए.नकवी	Sh. A.A. Naqvi
महाप्रबन्धक (वित्त) / GM (Fin.)	: श्री अरविन्द कथूरिया	Sh. Arvind Kathuria
कम्पनी सचिव / Company Secretary	: श्री अजित कुमार सामल	Sh. Ajit Kumar Samal
लेखा परीक्षक / Auditors	: विजय दीपक एण्ड कं. चार्टर्ड एकाउन्टेंटस् नई दिल्ली	M/s Vijay Deepak & Co. Chartered Accountants New Delhi
मुख्य बैंकर्स / Principal Bankers	: • केनरा बैंक, नई दिल्ली • पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली • विजया बैंक, नई दिल्ली	• Canara Bank, New Delhi • Punjab National Bank, New Delhi • Vijaya Bank, New Delhi

विषय सूची CONTENTS

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	सूचना Notice	1-2
2.	निदेशकों का प्रतिवेदन Directors' Report	3-44
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां Comments of Comptroller and Auditor General of India	45-46
4.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन/मत Auditors' Report/ Opinion	47-48
5.	तुलन पत्र (बैलेंस शीट) Balance Sheet	49
6.	आय एवं व्यय लेखा Income and Expenditure Account	50
7.	रोकड़ प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	51
8.	लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ Notes and Accounting Policies	52-69

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

ANNEXURES TO THE DIRECTORS' REPORT

अनुलग्नक Annexure	शीर्षक Title	पृष्ठ संख्या Page No.
1	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची जिन्होंने आरम्भ से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त किए हैं List of State Channelising Agencies which have obtained loan from NBCFDC since inception	18-19
2	भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU with Govt. of India	20-23
2.1	वित्तीय वर्ष 2012-13 (प्रावधानित) हेतु समझौता ज्ञापन के कार्यनिष्पादन पर स्व-मूल्यांकन MoU assessment format (NBCFDC) 2012-13 (Provisional)	24
3.	गत तीन वर्षों के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी एवं राज्य-वार ऋण का वितरण एवं 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार सकल वितरण व लाभार्थियों की संख्या SCA & State-wise loan disbursement during the last three years and cumulative disbursement & No. of Beneficiaries as on 31 st March, 2013	25-26
3.1	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति जिन्होंने वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित नहीं की Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2012-13	27-28
3.2	वर्ष 2012-13 की अवधि में रा.चै.ए./राज्य-वार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी SCA/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and beneficiaries assisted during the year 2012-13	29
3.3	वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण एवं लाभार्थियों की संख्या State-wise/Scheme-wise & Sector-wise disbursement and No. of beneficiaries assisted during 2012-13	30-31

अनुलग्नक Annexure	शीर्षक Title	पृष्ठ संख्या Page No.
3.4	वर्ष 2012-13 के दौरान नई स्वर्णिमा एवं महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों के आच्छादन को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing Coverage of Women beneficiaries under Mahila Samridhi Yojana & New Swarnima Scheme during 2012-13	32
3.5	31.03.2013 तक एस.सी.ए./राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing SCA-wise/State-wise cumulative dues and recoveries upto 31.03.2013	33-34
4	वर्ष 2012-13 हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम Training programme for 2012-13	35-36
5.	वर्ष 2012-13 के दौरान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आयोजित प्रदर्शनियां/प्रतिभागिता का विवरण Details of Exhibitions participated/ organized by NBCFDC during 2012-13	37
6.	मूल्यांकन एवं प्रभाव अध्ययन (2012-13) Evaluation and Impact Studies (2012-13)	38-39
7.	निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक (2012-13) Addendum to the Directors' Report (2012-13)	40
8.	कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कॉरपोरेट प्रशासन का प्रमाण पत्र Report of Directors on Corporate Governance & Certificate on Corporate Governance	41-44

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)

National Backward Classes Finance & Development Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

No. NBCFDC/AGM-21/2013/2313-15

Dated: 21st Aug, 2013

Notice

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the Shareholders of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) will be held on Friday, the 6th day of September, 2013 at 11.00AM at Room No.604, A wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet of the Corporation as at March 31, 2013 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date and comments of Comptroller of Auditor General of India and Reports of the Directors, Auditors' thereon.

Special business

2. To consider and if thought fit to pass, with or without modification, the following resolution as a Special resolution:

"RESOLVED THAT subject to approval of the Central Government, the Clause VIII of Memorandum of Association be altered by substituting the following Clause VIII :-

"The authorized Share Capital of the Company is 1500,00,00,000/- (Rupees Fifteen Hundred Crore Only) divided into 150,00,000 (One Hundred Fifty lakhs) Equity Shares of Rs.1000/- (Rupees One Thousand only) each."

3. To consider and if thought fit to pass, with or without modification, the following resolution as a Special resolution:

"RESOLVED THAT subject to approval of the Central Government , Article 6 of Article of Association be altered by substituting the following Article 6:

"The authorized Share Capital of the Company is 1500,00,00,000/- (Rupees Fifteen Hundred Crore Only) divided into 150,00,000 (One Hundred Fifty lakhs) Equity Shares of Rs.1000/- (Rupees One Thousand only) each with a power to increase or reduce the Share Capital."

The meeting has been convened by giving a shorter notice then required under the Companies Act 1956. The consent from all the Shareholders has been obtained.

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Place : New Delhi

(Ajit Kumar Samal)

Dated : 21.08.2013

Company Secretary

Note: A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF /HERSELF. THE PROXY NEED NOT TO BE A MEMBER OF THE COMPANY.

To :

1. All the members, NBCFDC.
2. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, New Delhi (Member representing the President of India).
3. The Joint Secretary (BC), Govt of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, New Delhi (Member).
4. M/s Vijay Deepak & Co Chartered Accountants (DE 1050), Jeevan Vihar Annexes, 3 Sansad Marg, New Delhi, Statutory Auditors.

पंजीकृत कार्यालय : पंचम तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

Regd. Office : 5th Floor, N.C.U.I. Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delh-110016

Tel. 26511027, 26511028 Fax : (011) 26850086 Visit us at : www.nbcfdc.org.in E-Mail : nbcfdc@del3.vsnl.net.in

गरीबी से मुक्ति • FREEDOM FROM PROVERTY

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

National Backward Classes Finance & Development Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

सं. एनबीसीएफडीसी/एजीएम-21/2313-15

दिनांक 21 अगस्त, 2013

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अंशधारकों की वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2013 को प्रातः 11.00 बजे कमरा नं. 604, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी। बैठक में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जायेंगे:-

सामान्य कार्य:

- 31 मार्च, 2013 को निगम का लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों एवं निदेशक मंडल का प्रतिवेदन एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना तथा अंगीकार करना।

विशेष कार्य:

- निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करते हुए संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के जैसा उचित समझा जाए, पारित किया जाए:
“संकल्प पारित किया जाता है कि केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में, संस्था के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद के खण्ड VIII के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड VIII प्रतिस्थापित करते हुए परिवर्तित किया जाए।”
“कम्पनी की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 1500,00,00,000/- (रु. पन्द्रह सौ करोड़ केवल) जो प्रति रु. 1000/- (रु. एक हजार केवल) के 150,00,000 (एक सौ पचास लाख) इक्विटी अंशों में विभाजित है।”
- निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करते हुए, संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन जैसा उचित समझा जाए, पारित किया जाए:-
“संकल्प पारित किया जाता है कि केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में, संस्था के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 6 को निम्नलिखित अंतर्नियम 6 प्रतिस्थापित कर परिवर्तित किया जाए।”
“कम्पनी की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 1500,00,00,000/- (रु. पन्द्रह सौ करोड़ केवल) जो प्रति रु. 1000/- (रु. एक हजार केवल) के 150,00,000 (एक सौ पचास लाख) इक्विटी अंशों में विभाजित है तथा इस अंशपूंजी को बढ़ाने या घटाने की शक्ति है।”
कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित अवधि की तुलना में अल्प अवधि की सूचना देते हुए एक बैठक बुलाई गई है। सभी अंशधारकों की सहमति प्राप्त की गई है।

निदेशक मंडल की आज्ञा से,

ह0/-

स्थान : नई दिल्ली

(अजित कुमार सामल)

तारीख : 21.08.2013

कम्पनी सचिव

टिप्पणी: बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के पात्र सदस्य को बैठक में स्वयं उपस्थित होने तथा मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

सेवा में

- सभी सदस्यगण, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.।
- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य)
- संयुक्त सचिव (बी.सी.), भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली (सदस्य)
- मैसर्स विजय दीपक एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (डी.ई. 1050), जीवन विहार एनैक्सेस, 3 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110016 (सांविधिक लेखाकार)

पंजीकृत कार्यालय : पंचम तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

Regd. Office : 5th Floor, N.C.U.I. Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delh-110016

Tel. 26511027, 26511028 Fax : (011) 26850086 Visit us at : www.nbcfdc.org.in E-Mail : nbcfdc@del3.vsnl.net.in

गरीबी से मुक्ति • FREEDOM FROM PROVERTY

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)

National Backward Classes Finance & Development Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

AN EXPLANATORY STATEMENT

(Pursuant to Section 173 of the Companies Act , 1956)

Amendment of the Memorandum and Article of Association

ITEM NO- 2 & 3 OF THE NOTICE

The present authorized Share Capital of the Corporation Rs. 700,00,00,000/- (Rupees Seven Hundred Crore only) divided into 70,00,000/- (Seventy Lakhs) equity shares of Rs. 1000/- each. The Board of Directors of your Corporation vide its 83rd meeting held on 13.05.2011 had approved to increase the authorized Share Capital from Rs.700,00,00,000/- (Rupees Seven Hundred Crore only) to Rs. 1500,00,00,000/-(Rupees Fifteen Hundred Crore only) divided into 150,00,000/- (One Hundred Fifty Lakhs) Equity Shares of Rs.1000/- (Rupees One Thousand only) subject to the approval of Shareholders as well as Central Government.

None of the Directors is directly or indirectly interested or concerned in terms of Section 300 of the Companies Act, 1956 in the proposed Resolutions set out in the item no. 2 & 3 of the notice.

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

(Ajit Kumar Samal)

Company Secretary

Place : New Delhi

Dated : 21.08.2013

पंजीकृत कार्यालय : पंचम तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

Regd. Office : 5th Floor, N.C.U.I. Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delh-110016

Tel. 26511027, 26511028 Fax : (011) 26850086 Visit us at : www.nbcfdc.org.in E-Mail : nbcfdc@del3.vsnl.net.in

गरीबी से मुक्ति • FREEDOM FROM PROVERTY

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)

National Backward Classes Finance & Development Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

व्याख्यात्मक विवरण

(कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 के अनुसरण में)

संस्था के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद में संशोधन

सूचना की मद सं.-2 एवं 3

कम्पनी की वर्तमान प्राधिकृत अंशपूंजी 700,00,00,000 (रुपए सात सौ करोड़ मात्र) जो रु. 1000/- (रुपए एक हजार मात्र) के 70,00,000 (सत्तर लाख) इक्विटी अंशों में विभाजित है। आपके निगम के निदेशक मंडल में दिनांक 13.05.2011 को हुई 83वीं बैठक में 700,00,00,000/- (रुपए सात सौ करोड़ मात्र) को बढ़ाकर 1500,00,00,000 (रुपए पन्द्रह सौ करोड़ मात्र) जो प्रति 1000/- (रुपए एक हजार मात्र) के 150,00,000/- (रुपए एक सौ पचास लाख) इक्विटी अंशों में विभाजित हो, करने का अनुमोदन प्रदान किया था, बशर्ते कि अंशधारकों तथा केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो।

सूचना की मद सं. 2 एवं 3 में प्रस्तावित संकल्पों में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 300 के अनुसार कोई निदेशक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इच्छुक अथवा संबंधित नहीं है।

निदेशक मंडल की आज्ञा से
ह0/-

(अजित कुमार सामल)

कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21.08.2013

पंजीकृत कार्यालय : पंचम तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

Regd. Office : 5th Floor, N.C.U.I. Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delh-110016

Tel. 26511027, 26511028 Fax : (011) 26850086 Visit us at : www.nbcfdc.org.in E-Mail : nbcfdc@del3.vsnl.net.in

गरीबी से मुक्ति • FREEDOM FROM PROVERTY

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present the 21st Annual Report on the business and operations of your Corporation together with Audited Statement of Accounts and Auditors' Report thereon for the financial year ended on 31.03.2013.

I. CORPORATE PROFILE

- NBCFDC is a Govt. of India Undertaking under the aegis of Ministry of Social Justice and Empowerment. The Corporation was incorporated on 13th January, 1992 as a Company **not for profit** under Section 25 of Companies Act, 1956, with an objective to promote economic and developmental activities for the benefit of members of Backward Classes living below double the poverty line through State Channelising Agencies (SCAs) nominated by respective State Governments/Union Territories.
- The Channelling Agencies are required to identify and formulate technically feasible and financially viable projects and submit Annual Action Plan to obtain loan from NBCFDC. The Channelising Agencies are also required to identify potential beneficiaries, their vocational and training requirements and viable projects as per needs of the beneficiaries
- At present, 51 State Channelising Agencies (SCAs) have been nominated by States/UTs to obtain loan from NBCFDC. List of State Channelising Agencies are available at **Annexure-1** (Page 18-19).

II. REGISTERED OFFICE

Your Corporation is operating from its Registered Office at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

III. SHARE CAPITAL

The Authorized Share Capital of the Corporation is Rs. 700.00 Crore. The paid up Share Capital as on 31.03.2013 was Rs. 700.00 Crore. A proposal to increase the Authorized Share Capital to Rs.1500 Crores is under consideration of the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India.

IV. MAIN OBJECTIVES

NBCFDC's main objectives are:

- To promote economic and developmental activities for the benefit of backward classes.
- To assist, subject to such income and /or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individuals or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects.
- To promote self employment and other ventures for the benefit of backward classes
- To grant concessional finance in selected cases for persons belonging to backward classes living below double the poverty line.
- To extend loans to the backward classes for pursuing general/professional/technical education or training at graduate and higher level.
- To assist in the up-gradation of technical and entrepreneurial skills of backward classes for proper and efficient management of production units.

V. ELIGIBILITY

Members of backward classes as notified by Central/State Government from time to time and are living below double the poverty line are

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपके निगम के व्यवसाय और कार्यकलापों से संबंधित 21वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

I. निगम का स्वरूप

- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का उपक्रम है। इस निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कम्पनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया और इसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) के माध्यम से दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है।
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को चाहिए कि ऋण प्राप्त करने के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त एवं वित्तीय रूप से व्यवहारिक योजनाओं की पहचान कर वार्षिक कार्य योजना ऋण प्राप्त करने के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को प्रस्तुत करें। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को चाहिए कि वे संभावित लाभार्थियों की आवश्यकतानुसार उपयुक्त परियोजनाओं की व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं सहित पहचान करें।
- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. स ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु वर्तमान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 51 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को नामित किया गया है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची अनुलग्नक-1 (पृष्ठ सं. 18-19) पर उपलब्ध है।

II. पंजीकृत कार्यालय

आपका निगम 5वां तल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय से कार्य कर रहा है।

III. अंश पूंजी

निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 700.00 करोड़ है। दिनांक 31.3.2013 की प्रदत्त अंश पूंजी रु. 700.00 करोड़ थी। निगम की अधिकृत अंश पूंजी बढ़ाकर रु. 1500 करोड़ करने संबंधी प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

IV. मुख्य उद्देश्य

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना ।
- पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदण्डों के आधार पर आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के माध्यम से सहायता करना ।
- पिछड़े वर्गों के लिए स्व-रोजगार तथा अन्य कार्य के अवसरों को प्रोत्साहित करना ।
- गरीबी रेखा तथा दोहरी गरीबी रेखा के नीचे के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों हेतु चयनित मामलों में रियायती वित्त उपलब्ध करना ।
- पिछड़े वर्गों को स्नातक एवं उच्च स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु ऋण उपलब्ध करना ।
- उत्पादन इकाइयों के उचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए पिछड़े वर्गों की तकनीकी एवं उद्यमीय कुशलताओं के उत्थान में सहायता करना ।

V. पात्रता

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित एवं दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले

eligible to obtain NBCFDC loan through their State Channelising Agencies.

At present persons whose annual family income is below Rs.40,500/- in rural areas and Rs.51,500/- in urban areas are considered to be below poverty line and those with annual family income below Rs.81,000/- in rural areas and Rs.1,03,000/- in urban areas are considered to be below double the poverty line. The annual family income ceiling fixed in terms of Ministry of SJ&E's letter No.14015/01/2010-SCD-IV dated 6th November, 2012. Income & Caste Certificates are issued by Competent Authorities in the respective States.

Eligible persons desirous of obtaining loan assistance under NBCFDC Schemes should contact the Distt. Collector or District Manager/ Officer of SCAs in their respective States along with required documents such as income & caste certificates issued by the Competent Authority.

MANAGEMENT DISCUSSION ANALYSIS REPORT

1. WORKING RESULTS

The year 2012-13 has been a year of steady growth for your Corporation. During the year, the disbursement of loan of the Corporation recorded an increase of 4.43% at Rs.225.20 Crores as compared to Rs.215.65 cores in the previous year. The Corporation earned surplus of income over expenditure of Rs. 25.69 crores in the current year in comparison to Rs. 24.11 Crores during the previous year thus, registering a growth of 6.55%.

2. SECTORS OF FINANCING

Your Company provides loans at concessional rate of interest to the poorer section of Backward Classes and assists them in skill development and self employment ventures. The Company operates within the economic and other criteria fixed by the Govt. of India from time to time. The Financial assistance is provided to the members of Backward Classes, as notified by the Central and State Governments. Loans are provided to the eligible members of backward

classes living below double the poverty line broadly in the following Sectors:

- (i) **Agriculture & Allied Activities:** Bee-Keeping, Boat, Bore Well, Dairy, Fishing, Lift Irrigation, Tractor Trolley etc.
- (ii) **Small Business/Artisan & Traditional Occupation:** Bakery, Barber Shop, Beauty Parlour, Blacksmithy, Carpentry, Dry Cleaning, Grocery Shop, Handicrafts & Artisan Units, Pottery, Readymade Garments Shops, Tailoring & Weaving etc.
- (iii) **Service/Transport Sector:** Auto Repair Shop, Consultancy Services, Cycle Repair Shop, Computer Centre, Electrical & Electronic Repair Shop, Home Appliances, Mobile Repair Shop, Photo Copier, Photo Studio, Plumber, Auto Rickshaw, Multi Utility Vehicle, Pick-up Van, Taxi & Tempo etc.
- (iv) **Technical and Professional Trades/ Courses:** Technical & Professional Courses at Graduate & Higher Level such as Engineering, Management, Medical, Nursing & Computers etc.

Beneficiaries can choose any of the viable occupation of their choice. The above list of projects is illustrative only.

The SCAs are required to disburse loans for financially viable and technically feasible projects as per needs and choice of beneficiaries under above mentioned broad sectors.

3. LENDING POLICY :

➤ Method of Lending

Allocation

Each year Corporation notionally allocates funds to the States having nominated State Channelising Agencies (SCAs). The allocation is meant for all the SCAs in the State and they are expected to assess the realistic requirement

पिछड़े वर्गों के सदस्य राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण लेने के पात्र हैं।

वर्तमान में जिनकी पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु. 40,500/- वार्षिक तथा नगरीय क्षेत्र में रु. 51,500/- प्रति वर्ष से कम है, गरीबी रेखा के नीचे तथा जिनकी पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 81,000/- प्रति वर्ष एवं नगरीय क्षेत्र में रु. 1,03,000/- प्रति वर्ष से कम है दोहरी गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति माने जाते हैं। वार्षिक पारिवारिक आय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं 14015/01/2010-एस.सी. डी-IV दि० 6.11.2012 के अनुसार निर्धारित की गई है। आय एवं जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धित राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के अंतर्गत ऋण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों को अपने राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रपत्रों जैसे आय एवं जाति प्रमाण पत्रों सहित जिलाधिकारी अथवा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के जिला प्रबंधक/अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

प्रबंधन विचार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट

1. कार्य परिणाम

आपके निगम के लिए वर्ष 2012-13 सतत वृद्धि का वर्ष रहा है। वर्ष के दौरान गत वर्ष के वितरण रु. 215.65 करोड़ की तुलना में रु. 225.20 करोड़ का कुल वितरण कर इसमें 4.43% की वृद्धि दर्ज की गई है। गत वर्ष रु. 24.11 करोड़ की तुलना में रु. 25.69 करोड़ का आय आधिक्य हुआ तथा इस प्रकार 6.55% की वृद्धि दर्ज हुई।

2. वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र

आपका निगम पिछड़े वर्ग के निर्धन समुदाय को रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराता है एवं उनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार कार्यों हेतु सहायता प्रदान करता है। निगम भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार कार्य करता है। केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध पिछड़े वर्गों के लोगों को

वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को निम्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं-

- (i) **कृषि एवं सम्बन्धित कार्य:** मधुमक्खी पालन, नौका, बोर वेल, डेरी, मत्स्य पालन, सीढ़ीनुमा सिंचाई, ट्रैक्टर एवं ट्राली आदि।
- (ii) **लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारम्परिक व्यवसाय :** बेकरी, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, लोहारगीरी, बढईगीरी, ड्राई क्लीनिंग, किराना दुकान, हस्तशिल्प एवं दस्तकारी सामान की दुकान, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिले-सिलाए वस्त्रों की दुकान, सिलाई एवं बुनाई आदि।
- (iii) **सेवा/परिवहन सेवाएं क्षेत्र :** आटो मरम्मत दुकान, परामर्श सेवाएं, साइकिल मरम्मत दुकान, कम्प्यूटर सेंटर, बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत दुकान, घरेलू सामान, मोबाइल फोन मरम्मत दुकान, फोटो कॉपियर, फोटो स्टूडियो, प्लम्बर, आटो रिक्शा, बहुउद्देशीय वाहन, पिक-अप वैन, टैक्सी एवं टैम्पो आदि।
- (iv) **तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेड / पाठ्यक्रम :** स्नातक एवं उच्च स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे इन्जीनियरिंग, प्रबन्धन, चिकित्सा, नर्सिंग एवं कम्प्यूटर इत्यादि।

लाभार्थी अपनी रूचि का कोई व्यवहार्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। उपर्युक्त परियोजना सूची, उदाहरणात्मक है।

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को चाहिए कि उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण करें।

3. ऋण नीति

क ऋण की प्रक्रिया आवंटन

प्रत्येक वर्ष निगम नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निधि का आरंभिक आवंटन करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए आवंटन का तात्पर्य राज्य हेतु आवंटन है

of funds within the allocation keeping in view the availability of Block Govt. Guarantee, share capital to be received from State Govt., repayment of loan to NBCFDC, capacity and infrastructure available to utilize the funds within stipulated period and felt needs of the beneficiaries and area of implementation.

As per policy of NBCFDC, the SCAs are required to submit Annual Action Plan(AAP) at the beginning of the year formulated in view of District Credit Plan of various districts in their State in terms of providing financial assistance under various schemes of NBCFDC viz. Term Loan, Margin Money Loan, New Swarnima, Saksham, Shilp Sampada, Education Loan Scheme, Micro Finance, Krishi Sampada and Mahila Samridhhi Yojana.

The basis of notional allocation is total population (in absence of population figures of BCs) and 10% of the budget allocated to N-E States as per direction of the Government.

Disbursement of 'advance funds' to SCAs is made as per approved Annual Action Plan for the financial year under General Loan Scheme and Micro Finance Scheme. General Loan Scheme includes Term Loan/Margin Money Loan, New Swarnima Scheme for women, Education Loan scheme, Shilp Sampada, Saksham. Micro Finance Scheme includes Mahila Samridhi Yojana, Krishi Sampada and Micro Finance. The 'advance funds' are converted to respective Scheme's loan accounts on receipt of utilization certificates from SCAs.

NBCFDC provides financial assistance on concessional rate of interest for various income generating schemes to the target group through State Channelising Agencies. Beneficiaries can obtain loans for income generating activities through respective SCAs under the following schemes:

I) General Loan Schemes

a) Term Loan and Margin Money Loan : Under Term Loan Scheme, loans are given upto 85% of the project cost. Balance 15% is contributed by SCAs and beneficiaries. Under Margin Money Loan Scheme, loans upto 40% of the total cost is provided by the Corporation and the

balance 50% is contributed by Banks/ other Financial Institutions and 10% by SCAs/beneficiaries. The loan upto Rs.5 Lakh bears interest @6% p.a. and loan above Rs.5 Lakh up to Rs.10 Lakh bears interest @ 8% p.a.

- b) New Swarnima Scheme:** The scheme is implemented for inculcating the spirit of self-reliance among the women of Backward Classes living below the poverty line. Financial assistance to the extent of Rupees One Lakh per beneficiary @5% per annum.
- c) Saksham:** The scheme under Term Loan for young professional belonging to Backward Classes of the target group. Maximum loan limit is Rs.10 Lakh per beneficiary. The loan upto Rs.5 Lakh bears interest @6% p.a. and loan and above Rs.5 Lakh up to Rs.10 Lakh bears interest @ 8% p.a.
- d) Shilp Sampada:** The objective of this scheme is to upgrade the technical and entrepreneurial skill of Backward Classes by way of providing training and financial assistance under Term Loan for self-employment in traditional craft etc., the artisans and handicraft persons of Backward Classes living below double the poverty line can obtain loan upto Rs.10 Lakh under this scheme. Loans upto Rs.5 Lakh bears interest @6% p.a. and above Rs.5 Lakh up to Rs.10 Lakh bears interest @ 8% p.a.
- e) Educational Loan Scheme 'New Aakanksha':** For professional / technical education graduate and higher levels. Maximum loan limit for student studying in India is Rs. 10.00 Lakh and for student studying abroad is Rs.20.00 Lakh or actual expenses for the entire course whichever is less.

Maximum Loan Limit	Study in India Rs. 10 Lakh Study in Abroad Rs. 20 Lakh
Rate of Interest	@4% p.a. (@3.5% for Girl Student)

NBCFDC loan share will be 90% of the expenditure of the course. The balance 10% will be borne by student/SCAs.

तथा उनसे आशा की जाती है कि शासकीय गारण्टी, राज्य सरकार से प्राप्त अंश पूंजी, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण का पुनर्भुगतान, क्षमता एवं निधि के उपभोग हेतु निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध संसाधनों एवं लाभार्थियों की आवश्यकताओं व कार्यान्वयन के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आवंटन की सीमा में निधि की यथार्थ आवश्यकता का निर्धारण करेंगे।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की नीति के अनुसार, वर्ष के आरंभ में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं जैसे सावधि ऋण, मार्जिन मनी ऋण, नई स्वर्णिमा, सक्षम, शिल्प सम्पदा, शैक्षिक ऋण योजना, माइक्रो फाइनेन्स, कृषि सम्पदा एवं महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की सीमा में जिला क्रेडिट योजना के आधार पर राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को 'वार्षिक कार्य योजना' प्रस्तुत करनी होती है।

आरंभिक आवंटन का आधार कुल जनसंख्या है (पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े न होने पर) एवं सरकार के निर्देशानुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों हेतु बजट का 10% आवंटन किया गया है।

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार "अग्रिम राशि" का वितरण सामान्य ऋण योजना, माइक्रो फाइनेन्स योजना के अन्तर्गत किया जाता है। सामान्य ऋण योजना में टर्म लोन/मार्जिन मनी लोन, महिलाओं के लिए 'नई स्वर्णिमा' एवं शैक्षिक ऋण, शिल्प सम्पदा, सक्षम योजना सम्मिलित हैं। माइक्रो फाइनेन्स योजना में महिला समृद्धि योजना, कृषि सम्पदा एवं लघु वित्त सम्मिलित है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर "अग्रिम राशि" को सम्बन्धित योजना के खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्षित वर्ग को विभिन्न आय उत्पादक योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थी आय उत्पादक कार्यकलापों हेतु निम्न योजनाओं के अधीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं:

1) सामान्य ऋण योजना

क) सावधि ऋण एवं मार्जिन मनी ऋण योजना : सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा परियोजना लागत का 85% तक ऋण दिया जाता है। शेष 15% का अंशदान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी एवं लाभार्थी द्वारा किया जाता है। मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा कुल लागत का 40% ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं शेष 50% का अंशदान बैंक/अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा तथा 10%

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/ लाभार्थी द्वारा किया जाता है। रु. 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज दर 6% वार्षिक तथा रु. 5 लाख से रु. 10 लाख तक ब्याज दर 8% वार्षिक है।

ख) नई स्वर्णिमा योजना: निगम द्वारा यह योजना आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए संचालित की गई है। प्रति लाभार्थी रु. 1 लाख की सीमा तक ऋण सहायता 5% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है।

ग) सक्षम : यह योजना लक्षित वर्ग के पिछड़े वर्गों के व्यावसायिक युवाओं को सावधि ऋण के अन्तर्गत संचालित है। ऋण की अधिकतम सीमा रु. 10 लाख प्रति लाभार्थी है। रु. 5 लाख तक के ऋणों पर ब्याज दर 6% वार्षिक एवं रु. 5 लाख से अधिक रु.10 लाख तक ब्याज दर 8% वार्षिक है।

घ) शिल्प सम्पदा: टर्म लोन योजना के अन्तर्गत इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों के परम्परागत कला इत्यादि में स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल में अभिवृद्धि करना है। पिछड़े वर्गों के दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दस्तकार एवं हस्तशिल्पी व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत रु. 10 लाख तक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं। रु. 5 लाख तक के ऋणों पर ब्याज की दर 6% वार्षिक एवं रु. 5 लाख से अधिक व रु. 10 लाख तक ब्याज दर 8% वार्षिक है।

ङ) शैक्षिक ऋण योजना "नई आकांक्षा": यह योजना स्नातक एवं उच्च स्तर की व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु है। भारतवर्ष में अध्ययन करने हेतु ऋण की अधिकतम सीमा रु. 10 लाख है तथा विदेश में अध्ययन हेतु अधिकतम ऋण सीमा रु. 20 लाख अथवा समग्र पाठ्यक्रम हेतु वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है।

अधिकतम ऋण सीमा	भारतवर्ष में अध्ययन हेतु रु. 10 लाख विदेश में अध्ययन हेतु रु. 20 लाख
ब्याज की दर	4% वार्षिक (3.5% छात्राओं के लिए)

पाठ्यक्रम के व्यय का 90% अंश एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का होगा। शेष 10% विद्यार्थी/रा.चै.ए. द्वारा वहन किया जाएगा।

II) Micro Finance Schemes

- i) **Micro Finance Scheme:** Loans are provided to Self Help Groups (SHGs) through SCAs. Maximum amount of loan under this scheme is upto Rs.50, 000/- per beneficiary in SHG and rate of interest is @ 5% p.a.
- ii) **Mahila Samridhi Yojana :** The scheme is implemented to provide Micro Finance to

women Self Help Groups (SHGs) belonging to the target group. The maximum loan limit per beneficiary in SHG is Rs.50,000/- at concessional rate of interest @ 4% p.a.

- iii) **Krishi Sampada Scheme:** To provide concessional loans under Micro Finance to small farmers, vegetable of the target group for urgent requirement of funds during Rabi & Kharif or any cash crop. The loanee can obtain loan upto Rs.50,000/- @ 4% p.a.

4. RATE OF INTEREST:

The rates of interest under various loan schemes implemented by the Corporation are as under:

S. No	Name of Scheme	Max. Loan Limit. (Rs. In Lakh)	Pattern of Finance			Rate of Interest per annum		
			NBCFDC	SCA	Benef.	Loan Amt. (Rs. In lakh)	SCA	Benef.
1.	Term Loan	10.00	85%	10%	05%	Up to 5.00	3%	6%
						Above 5.00	5%	8%
2.	Margin Money Loan	10.00	40%	05%	05%	Up to 5.00	3%	6%
						Above 5.00	5%	8%
3.	New Akanksha (Education Loan)*							
a.	In India	10.00	90%	05%	05%	Up to 10.00	1.5%	4%
b.	Abroad	20.00	85%	10%	05%	Up to 20.00	1.5%	4%
4.	New Swarnima- for women	01.00	95%	05%	-		2%	5%
5.	Saksham	10.00	85%	10%	05%	Up to 5.00	3%	6%
						Above 5.00	5%	8%
6.	Shilp Sampada	10.00	85%	10%	05%	Up to 5.00	3%	6%
						Above 5.00	5%	8%
7.	Micro Finance	0.50	90%	05%	05%		2%	5%
8.	Mahila Samridhi Yojana for Women	0.50	95%	05%	-		1%	4%
9.	Krishi Sampada	0.50	95%	05%	-		1%	4%

* 0.5% rebate in interest for girls student

5. MOU WITH GOVT. OF INDIA

The Corporation had entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Govt. of India for the year 2012-13 on 22nd March, 2012. Copy of MOU is available at **Annexure-2** (Page 20-23). Members will be pleased to note that on the basis of audited results, the Corporation has achieved the targets under excellent criteria of all parameters. Achievement/performance evaluation report against targets fixed under MOU for the year 2012-13 is available at **Annexure-2.1** (Page 24).

6. PERFORMANCE ACHIEVEMENT

6.1 Achievements against MOU Targets (2012-13)

S.N.	Main Parameters	Unit	Target	Achievements	Variation (%)
1	Disbursement of Loan	Rs./Cr.	190.00	225.20	+18.53
2	Beneficiaries Covered	Nos.	128000	145970	+14.04
3	Target Group Trained	Nos.	7200	13112	+82.11
4	Repayment/Recoveries(Cum.)	%age	85.35	89.48	+ 4.13*
5	Gross Margin	Rs./Cr.	17.00	25.88	+52.24
6	Gross Margin/Total Employment of CPSE	%age	0.35	0.55	+57.14

* Absolute

ii) लघु वित्त योजना :

i) लघु वित्त योजना: राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से स्वयंसहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। स्वयंसहायता समूह में ऋण की अधिकतम सीमा रु. 50,000 तक प्रति लाभार्थी, ब्याज दर 5% वार्षिक पर उपलब्ध कराई जाती है।

ii) महिला समृद्धि योजना: योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग के महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराना है। स्वयं सहायता समूह में प्रति

लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 50,000 है तथा रियायती ब्याज दर 4% वार्षिक है।

iii) कृषि सम्पदा योजना: लक्षित वर्ग के दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छोटे किसानों, सब्जी उत्पादकों आदि को रबी, खरीफ अथवा नकदी फसलों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माइक्रो फाइनेंस योजना के अन्तर्गत रियायती ऋण उपलब्ध कराना है। ऋण प्राप्तकर्ता 4% वार्षिक ब्याज दर पर रु. 50,000/- तक ऋण प्राप्त कर सकता है।

4. ब्याज दर :

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दर निम्नलिखित है :

क्रम सं.	योजना का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति			वार्षिक ब्याज दर		
			रु. लाख में	एनबीसीएफडीसी	एससीए	लाभार्थी	ऋण राशि (रु. लाख में)	एससीए
1.	सावधि ऋण	10.00	85%	10%	05%	रु. 5 लाख तक	3%	6%
						रु. 5 लाख से अधिक	5%	8%
2.	मार्जिन मनी ऋण	10.00	40%	05%	05%	रु. 5 लाख तक	3%	6%
			बैंक/वित्तीय संस्थान 50%			रु. 5 लाख से अधिक	5%	8%
3.	नई आकांक्षा (शैक्षिक ऋण)*							
क.	भारत में	10.00	90%	05%	05%	रु. 10 लाख तक	1.5%	4%
ख.	विदेश में	20.00	85%	10%	05%	रु. 20 लाख तक	1.5%	4%
4.	नई स्वर्णिमा-महिलाओं के लिए	01.00	95%	05%	-		2%	5%
5.	सक्षम	10.00	85%	10%	05%	रु. 5 लाख तक	3%	6%
						रु. 5 लाख से अधिक	5%	8%
6.	शिल्प सम्पदा	10.00	85%	10%	05%	रु. 5 लाख तक	3%	6%
						रु. 5 लाख से अधिक	5%	8%
7.	लघु वित्त	0.50	90%	05%	05%		2%	5%
8.	महिला समृद्धि योजना - महिलाओं के लिए	0.50	95%	05%	-		1%	4%
9.	कृषि सम्पदा	0.50	95%	05%	-		1%	4%

* महिला विद्यार्थियों हेतु 0.5% को छूट

5. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन :


निगम ने वर्ष 2012-13 के लिए भारत सरकार के साथ दिनांक 22 मार्च 2012 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया था। समझौता ज्ञापन की प्रति अनुलग्नक 2 (पृष्ठ सं. 20-23) पर उपलब्ध है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लेखा परीक्षित परिणामों के आधार पर निगम ने सभी मानदण्डों में उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त की है। वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ अनुलग्नक-2.1 (पृष्ठ सं. 24) पर उपलब्ध हैं।

6. कार्य निष्पादन समीक्षा

6.1 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों (2012-13) के सापेक्ष उपलब्धियाँ

क्र. सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	अंतर (%)
1	ऋण वितरण	रु./करोड़	190.00	225.20	+18.53
2	सहायता प्राप्त लाभार्थी	संख्या	128000	145970	+14.04
3	प्रशिक्षित लक्ष्य समूह	संख्या	7200	13112	+82.11
4	पुनर्भुगतान/वसूली (संचयी)	%	85.35	89.48	+ 4.13*
5	सकल मार्जिन	रु./करोड़	17.00	25.88	+52.24
6	सकल मार्जिन/सी.पी.एस.सी. मे कुल सेवायोजन	%	0.35	0.55	+57.14

* निरपेक्ष



- Amount in Rs. in Cr. - Not to scale

6.2 Achievement highlights in comparison to the previous year

S. N.	Main Parameters	Unit	2011-12	2012-13	% Increase
1	Sanction of Loan	Rs./Cr.	338.08	427.52	+26.45
2	Disbursement of Loan	Rs./Cr.	215.65	225.20	+4.43
3	Beneficiaries Covered	Nos.	139100	145970	+4.94
4	Target Group Trained	Nos.	11730	13112	+11.78
5	Repayment/Recoveries (cumulative)	%	89.38	89.48	+0.10*
6	Gross Margin	Rs./Cr.	24.27	25.88	+6.63

* Absolute

6.3 Sanction

At the beginning of the financial year, notional allocation of funds for current financial year is conveyed to SCAs for submission of Annual Action Plan (AAP). On the basis of AAPs received from SCAs, the Corporation sanctioned Rs. 427.52 Crore to the SCAs during the year 2012-13, which is 26.45% more than previous year.

6.4 Disbursement


As against the target of Rs. 190.00 cr. during the year, the Corporation has disbursed Rs. 225.20 cr. for assisting 145970 beneficiaries

during the financial year 2012-2013. The disbursement so far made since inception now stands at Rs. 2290.96 Cr. for assisting 1610240 beneficiaries as on 31.03.2013. SCA & Statewise loan disbursement during the last three years and cumulative disbursement and No. of beneficiaries' upto 31.03.2013 is available at **Annexure-3** (Page 25-26). Few SCAs didn't draw funds due to various reasons stated at **Annexure-3.1** (Page 27-28).

SCA/Statewise & Scheme wise loan disbursement and number of beneficiaries assisted during the year 2012-13 are available at **Annexure-3.2** (Page 29).

Statewise/Schemewise & Sector wise Disbursement and number of Beneficiaries assisted during 2012-13 are available at **Annexure-3.3** (Page 30-31).


Sectorwise percentage of disbursement of funds of Rs.117.37 crores under General Loan Scheme during 2012-13 is as under:



Under the Agriculture/Allied Sector (32%) and Small Business/Traditional Occupation (33%) loan was disbursed for activities which include manufacture/purchase of agricultural implements, setting up of dairy units, installing irrigation bore well, poultry farming, fishery, tractor trolley, tube well, auto repair workshop, bicycle hiring and repair, kirana shop and vegetable shops etc.

Backward classes population is engaged in service sector such as barber shop, drycleaner, electrical and electronic shop, woodwork, autorickshaw, motorcycle taxi, pick-up van, tourist taxi. Hence 16% of loan has been drawn by SCAs to meet the demand of the service providers.

वर्ष 2012-13 के दौरान समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि



राशि रु. करोड़ में

पैमाने पर नहीं

6.2 गत वर्ष की तुलना में उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं :

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	2011-12	2012-13	% वृद्धि
1	ऋण स्वीकृति	रू./करोड़	338.08	427.52	+26.45
2	ऋण वितरण	रू./करोड़	215.65	225.20	+4.43
3	सहायता प्राप्त लाभार्थी	संख्या	139100	145970	+4.94
4	प्रशिक्षित लक्ष्य समूह	संख्या	11730	13112	+11.78
5	पुनर्भुगतान/वसूली (संचयी)	%	89.38	89.48	+0.10*
6	सकल मार्जिन	रू./करोड़	24.27	25.88	+6.63

* निरपेक्ष

6.3 स्वीकृति :

वित्तीय वर्ष के आरंभ में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना के सम्बंध में सूचित किया जाता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के आधार पर निगम ने वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को रु0 427.52 करोड़ स्वीकृत किए जो गत वर्ष से 26.45% अधिक है।

6.4 वितरण :


वर्ष के दौरान रु. 190 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष निगम ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 145970 लाभार्थियों

को सहायता प्रदान करने के लिए रु0 225.20 करोड़ वितरित किए हैं। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, प्रारंभ से अब तक 1610240 लाभार्थियों की सहायता के लिए रु 2290.96 करोड़ की राशि वितरित की गई है। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों का एस.सी.ए. एवं राज्यवार ऋण वितरण, सकल वितरण एवं सकल लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक-3 (पृष्ठ सं. 25-26) पर उपलब्ध है। कुछ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां विभिन्न कारणों से जिनका विवरण अनुलग्नक 3.1 (पृष्ठ सं. 27-28) पर उपलब्ध है, ऋण का आहरण नहीं कर सकीं।

वर्ष 2012-13 की अवधि में एस.सी.ए./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक-3.2 (पृष्ठ सं. 29) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण तथा सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या संबंधी विवरण अनुलग्नक 3.3 (पृष्ठ सं. 30-31) पर उपलब्ध है।



वर्ष 2012-13 की अवधि में सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत निधि के वितरण का क्षेत्रवार प्रतिशत निम्नानुसार है:




कृषि सम्बंधित क्षेत्र (32%) एवं लघु व्यवसाय/पराम्परागत सेवाओं (33%) के अधीन ऋणों का वितरण किया गया जिसमें विनिर्माण/कृषि औजारों की खरीद, डेरी इकाइयों की स्थापना, कृषि बोर-वेल स्थापना, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर-ट्राली, ट्यूब-वेल, आटो रिपेयर वर्कशाप, साइकिल मरम्मत एवं किराए पर देना, किराना शॉप एवं सब्जियों की दुकान इत्यादि सम्मिलित हैं।

पिछड़ा वर्ग जनसंख्या का अधिकांश भाग सेवा क्षेत्रों जैसे नाई की दुकान, ड्राईक्लीनर, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, लकड़ी कार्य, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, टैक्सी, पिक-अप वैन, पर्यटक टैक्सी में लगा है। अतः राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा 16% ऋण का आहरण सेवा उपलब्धकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए किया गया।


Education Loan under General Loan Scheme has been released to the students of Backward Classes for pursuing higher professional courses such as Medical, Engineering, Computers and Management etc. in the approved professional institutions/ colleges.



Schemewise Disbursement (2012-13)




Scheme-wise Beneficiaries Assisted (2012-13)



6.5 Education Loan Disbursement:

During the year 2012-13, your Corporation provided loans of Rs. 18.17 Cr. to 4441 beneficiaries under Education Loan Scheme over the previous year which was Rs. 16.25 Cr. for 4254 beneficiaries. The professional courses at graduate & higher level approved by AICTE/ MCI/Appropriate Authority etc. such as MBA, MCA, Engineering, BDS, MBBS, BSc Nursing, Hotel Management etc. are covered under the scheme.



Amount Rs. in Cr.


Not to Scale

6.6 Special Schemes for Women


The Corporation implements special schemes for women beneficiaries 'New Swarnima' under Term Loan and 'Mahila Samridhi Yojana' under Micro Finance. An amount of Rs. 91.82 Crore has been disbursed to assist 88487 women beneficiaries under these women oriented

सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संस्थानों/ कॉलेजों में उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, अभियन्त्री, कम्प्यूटर, प्रबंधन इत्यादि हेतु शैक्षिक ऋण अवमुक्त किए गए।


गत तीन वर्षों के दौरान वितरण (राशि रु. करोड़ में)




गत तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी



योजनावार वितरण (2012-13)




योजनावार सहायता प्राप्त लाभार्थी (2012-13)



6.5 शैक्षिक ऋण वितरण:

आपके निगम ने वर्ष 2012-13 में शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत रु. 18.17 करोड़ 4441 लाभार्थियों हेतु उपलब्ध कराए हैं, जो गत वर्ष रु. 16.25 करोड़ 4254 लाभार्थियों हेतु थे। स्नातक स्तर एवं उच्च स्तर के ए.आई.सी.टी.ई./एम.सी.आई./समुचित प्राधिकरण इत्यादि द्वारा मान्यताप्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे एम.बी.ए., एम.सी.ए. इन्जीनियरिंग, बी.डी.एस., एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग, होटल प्रबंधन इत्यादि सम्मिलित हैं, योजना के अन्तर्गत आच्छादित किए गए हैं।

शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत वितरण




6.6 महिलाओं के लिए विशेष योजना


निगम द्वारा महिला लाभार्थियों के लिए विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' टर्म लोन योजना के अन्तर्गत तथा 'महिला समृद्धि योजना' माइक्रो फाइनेंस योजना के अन्तर्गत संचालित है। वर्ष के दौरान इन महिला प्रधान योजनाओं जैसे कशीदाकारी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेरी, मत्स्य पालन एवं मत्स्य से तैयार उत्पाद, मसाला पाउडर पैकिंग, ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन,

schemes like Embroidery, Tailoring, Beauty Parlour, Dairy, Fisheries & Fish Processed Products, Ornamental Fish Culture, Spice Powder Packing, Organic Vegetable Growing, Pickle Making etc. during the year 2012-13. Status showing amount drawn by States under Special Schemes for Women during financial year 2012-13 is at **Annexure-3.4** (Page 32).

Loan Disbursed under 'New Swarnima' and 'Mahila Samridhi Yojna' within total Loan Disbursed during 2012-13



Total Beneficiaries Assisted under 'New Swarnima' and 'Mahila Samridhi Yojna' within total No. of Beneficiaries covered during 2012-13



6.7 Utilization of Loan

The SCAs are required to utilize the funds drawn from NBCFDC within 90 days of its release. Slab-wise rate of interest is levied in order to encourage the SCAs to utilize the released funds as early as possible within the stipulated period.

Utilization (days)	Rate of Interest (p.a.)
1-90 days	3%
91-180 days	6%
Above 180 days	8%

The area of focus which the Corporation is addressing is timely utilisation of loan. The SCAs are continuously being advised through

written communications, by regional meetings as well as by way of participation of the Managing Director and other key Officers of the Corporation in the meetings of Board of Directors of SCAs as well as interaction with State Govt. officials, for timely utilisation of loan so that the target group beneficiaries receive funds in the shortest possible time. Cumulative utilization of loans by SCAs stands at 96%.


6.8 Equity Share Vs. Total Disbursement

During the year Corporation received equity share capital of Rs. 27.65 Cr. from Govt. of India and disbursed Rs. 225.20 Cr.


The cumulative equity support upto 31.03.2013 is Rs. 700.00 Cr. against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs. 2290.96 Cr. covering 1610240 beneficiaries.

The disbursement so far is 3.27 times the equity received from Government of India. The amount of Rs. 1590.96 Cr. over and above the equity support has been met from recoveries and efficient management of internal resources.

Share of Equity, Internal Resources and Total Disbursement (upto 31.03.2013)




Cumulative Disbursement Vs. Last Three Years Disbursement (upto 31.03.2013)




अचार बनाना आदि के अन्तर्गत रु. 91.82 करोड़ की राशि 88487 महिला लाभार्थियों हेतु वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवधि में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा आहरित राशि का विवरण **अनुलग्नक-3.4 (पृष्ठ सं. 32)** पर उपलब्ध है।

वर्ष 2012-13 की अवधि में कुल वितरण में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत ऋण-वितरण



वर्ष 2012-13 की अवधि में कुल लाभार्थियों में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत आच्छादित कुल लाभार्थी



6.7 ऋण का उपभोग :

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित निधि को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा 90 दिनों के भीतर उपभोग करना होता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को वितरित निधि का उपभोग यथा सभव शीघ्र अतिशीघ्र करने हेतु प्रोत्साहित करने के क्रम में स्लैब-वार ब्याज दर लागू है:

उपयोग (दिन)	ब्याज दर (वार्षिक)
1-90 दिन	3%
91-180 दिन	6%
180 दिनों से ऊपर	8%

अन्य क्षेत्र, जिस पर निगम जोर दे रहा है वह है ऋण का समय पर उपभोग। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को पत्राचार आदि के साथ-साथ क्षेत्रीय बैठकों, निगम के प्रबंध

निदेशक एवं अन्य प्रमुख अधिकारियों द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के निदेशक मण्डल की बैठकों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परस्पर संवाद के द्वारा ऋण का समय पर उपभोग करने के लिए निरंतर सलाह दी जा रही है ताकि लक्षित समूह के लाभार्थी यथासंभव कम समय में धनराशि प्राप्त कर सकें। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋणों का सकल उपभोग 96% रहा है।


6.8 अंश पूंजी बनाम कुल वितरण

वर्ष के दौरान निगम ने भारत सरकार से रु. 27.65 करोड़ की अंश पूंजी प्राप्त की तथा रु. 225.20 करोड़ का वितरण किया।


दिनांक 31.3.2013 तक संचयी अंश सहायता रु. 700.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 2290.96 करोड़ का संचयी वितरण कर 1610240 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया।

भारत सरकार से प्राप्त अंश पूंजी का 3.27 गुणा वितरण अब तक किया गया। अंश पूंजी के अतिरिक्त राशि रु. 1590.96 करोड़ की पूर्ति वसूली एवं आन्तरिक संसाधनों के सफल प्रबंधन से की गई।


अंश पूंजी का भाग, आन्तरिक संसाधन एवं कुल वितरण (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)



सकल वितरण बनाम गत तीन वर्षों का वितरण (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)



Cumulative Beneficiaries Vs. last 3 Years Beneficiaries (upto 31.03.2013)



6.9 Recovery of Loan

Recovery of Loan from SCAs is receiving adequate attention of the Corporation. SCAs have been asked to strengthen the recovery mechanism, establish separate recovery cell at their Headquarters as well as District level and the responsibility be fixed at every level for timely recovery from the beneficiaries.

As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 1570.33 Cr. as against cumulative dues of the Rs. 1754.89 Cr. as on 31.03.2013. The cumulative amount of recoveries of Rs. 1570.33 Cr. comprises of Rs. 1320.03 Cr. as principal and Rs. 250.30 Cr as interest/other charges. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stand at 89.48% as on 31st March, 2013.

SCA & Statewise cumulative dues & recoveries as on 31st March, 2013 is available at **Annexure-3.5** (Page 33-34).

7. PROGRESS DURING FIVE YEAR PLAN

Progress of the Corporation during the Five Year Plans in respect of various parameters i.e. Gross Disbursement, Budgetary Support, No. of Beneficiaries Assisted, Recoveries, Utilization Percentage and Training Expenditure etc. have been as under:

S.N.	Particulars	8th Plan 1992-97	9th Plan 1997-02	10th Plan 2002-07	11th Plan 2007-12	12th Plan 2012-13	Cumulative as on 31.03.13
1	Budgetary Support (Rs. in Cr.)	198.90	191.50	69.95	212.00	27.65	700.00
2	Disbursement (Rs. in Cr.)	197.93	443.63	581.90	842.30	225.20	2290.96
3	Beneficiaries Assisted (Nos.)	109625	271905	448404	634336	145970	1610240
4	Beneficiaries Trained (Nos.)	2423	14605	46841	51843	13112	128824
5	Recovery of Loan (Rs. in Cr.)	55.47	260.10	409.87	680.35	164.54	1570.33


8. FINANCIAL HIGHLIGHTS

As mentioned earlier, the Corporation has so far received Rs. 700.00 crore as budgetary support from Govt. of India. During the year 2012-13, the Corporation received Rs. 27.65 crore as budgetary support from Govt. of India. The Corporation was able to achieve cumulative disbursement of Rs. 2290.96 crore upto 31.03.2013. The balance resources of Rs. 1590.96 crore have been met from recoveries and efficient management of internal resources. In spite of the enlargement of its activities by way of providing assistance for training, organizing/participating in various fairs and exhibitions, advertising & publicity and awareness camps, the overall financial status of the Corporation is quite satisfactory. The Corporation earned Surplus of income over expenditure amounting to Rs. 25.69 crore during 2012-13 as compared to Rs. 24.11 crore in the previous year.

The surplus funds generated were used to enhance the level of disbursement. The net worth of the Corporation stood at Rs. 1023.13 crore as on 31st March, 2013 against Rs.969.79 crore during the year 2011-12.

As recommended by your Directors, the entire amount of surplus of income over expenditure of Rs. 25.69 crore has been transferred to General Reserve. The Corporation is registered U/S 25 of the Companies Act, 1956. Under the provisions of Sec. 25 (1) (b) of the Companies Act, 1956 and also the provisions of license issued to the Corporation by Deptt. of Company Affairs, Ministry of Law Justice & Company Affairs, Govt. of India, the Corporation is not required to pay any dividend and the Corporation can apply its surplus if any, or other income in promoting its objects. The administrative expenses of the Corporation are met from its own resources viz. from interest on capital employed.

सकल लाभार्थी बनाम गत तीन वर्षों के लाभार्थी
(31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)



6.9 ऋण की वसूली :

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से ऋण की वसूली पर निगम पर्याप्त ध्यान दे रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने, अपने मुख्यालयों के साथ-साथ जिला स्तर पर अलग वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करने और लाभार्थियों से समय पर वसूली के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप निगम 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार ₹. 1754.89 करोड़ की सकल बकाया राशि के सापेक्ष ₹. 1570.33 करोड़ की राशि वसूल करने में समर्थ हुआ। ₹. 1570.33 करोड़ की वसूली को सकल राशि में मूलधन के रूप में ₹. 1320.03 करोड़ तथा ब्याज/अन्य प्रभार के रूप में ₹. 250.30 करोड़ की राशि सम्मिलित है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से सकल मांग के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2013 को सकल वसूली 89.48% है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार एवं राज्यवार संचयी देय एवं वसूली अनुलग्नक-3.5 (पृष्ठ सं. 33-34) पर उपलब्ध है।

7. पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रगति:

पंचवर्षीय योजना की अवधि में निगम की प्रगति विभिन्न मापदण्डों यथा-सकल वितरण, बजटीय सहायता, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, वसूली एवं प्रशिक्षित लाभार्थी इत्यादि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	8वीं योजना 1992-97	9वीं योजना 1997-02	10वीं योजना 2002-07	11वीं योजना 2007-12	12वीं योजना 2012-13	सकल 31.03.13
1	बजटीय सहायता (₹. करोड़ में)	198.90	191.50	69.95	212.00	27.65	700.00
2	वितरण (₹. करोड़ में)	197.93	443.63	581.90	842.30	225.20	2290.96
3	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	145970	1610240
4	प्रशिक्षित लाभार्थी (संख्या)	2423	14605	46841	51843	13112	128824
5	ऋण की वसूली (₹. करोड़ में)	55.47	260.10	409.87	680.35	164.54	1570.33

8. वित्तीय विशेषताएं

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निगम ने अब तक भारत सरकार से ₹ 700.00 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त की है। वर्ष 2012-13 में निगम को भारत सरकार से बजटीय सहायता के रूप में ₹. 27.65 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। निगम 31.03.2013 तक ₹ 2290.96 करोड़ का संचयी वितरण करने में समर्थ हुआ। शेष ₹. 1590.96 करोड़ की राशि, वसूलियों और आंतरिक संसाधनों के सफल प्रबंधन से पूरी की गई। निगम के अपने कार्यों में वृद्धि एवं प्रशिक्षण, उद्यम विकास, विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों को आयोजित करने के बावजूद निगम की समग्र वित्तीय स्थिति काफी संतोषजनक रही। निगम ने गत वर्ष ₹. 24.11 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान ₹. 25.69 करोड़ की व्यय से अधिक आय अर्जित की है।

अर्जित आधिक्य का उपयोग वितरण स्तर बढ़ाने में किया गया। 31 मार्च 2013, की स्थिति के अनुसार निगम का शुद्ध मूल्य 2011-12 के ₹. 969.79 करोड़ के सापेक्ष ₹. 1023.13 करोड़ हो गया है।

जैसा कि आपके निदेशकों ने संस्तुति की थी, व्यय से आय के आधिक्य की ₹. 25.69 करोड़ की पूरी राशि को सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित किया गया है। निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (1) (बी) के प्रावधान तथा कम्पनी कार्य विभाग, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस के प्रावधान के अनुसार निगम द्वारा कोई अंश (डेवीडेंड) का भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा निगम अपने अधिशेष यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग में ला सकता है। निगम द्वारा प्रशासनिक व्यय को अपने संसाधनों यथा- प्रयुक्त पूंजी पर ब्याज से पूरा किया जाता है।

9. BUDGET ALLOCATION BY GOI

During the year 2012-13, Rs. 27.65 crore has been received from Govt. of India as equity share capital and against which your Corporation has disbursed Rs. 225.20 crore, which means Rs. 197.55 crore over & above budgetary support has been disbursed from recycling of funds or internal resources of the Corporation. The achievement has been possible with the active support of SCAs and adequate repayments from them.

10. TRAINING AND SKILL UPGRADATION

The Corporation provides financial assistance for project linked training for up-gradation of technical and entrepreneurial skills of eligible members of Backward Classes living below double the poverty line. The objective of this scheme is to provide training to the target group to make them capable of self-dependent through appropriate skill and technical training in the field of traditional & technical occupations and Entrepreneurship. The trainees are encouraged to obtain loan under NBCFDC general loan schemes to start their business/ self-employment venture after the successful completion of the training.

The NBCFDC implements Training Scheme in collaboration with reputed training institutes and also through State Channelising Agencies (SCAs).

During 2012-13, the Ministry set a target of 9000 trainees for NBCFDC under Skill Development Training Programme. In order to achieve the desired goal, partnership was established by NBCFDC with following National level institutes having training Institutes in major cities of the country such as;

1. National Council for Cooperative Training (NCCT), under the Ministry of Agriculture and Cooperation for Training Programme on **Retail Management**.
2. Apparel Training and Design Centre, under the aegis of Apparel Export Promotion Council (Sponsored by Ministry of Textile) for Training Programme on
 - **SMART Operator (B),**
 - **SMART Operator (B+A),**

- **Garment Cutting Technique (GCT),**
 - **Production Supervisor Quality Control (PSQC).**
3. Fragrance & Flavour Development Centre, Kannauj under the Ministry of MSME for **Comprehensive Training Programme on Perfumery Industry.**
 4. Rajiv Gandhi Memorial Telecom Training Centre (under BSNL), Chennai for Training Programme on -
 - **Cell Phone Servicing**
 - **Web Designing**
 - **Network & Net Security**

Training Expenditure released as part payment on training during 2012-13 was Rs.1.12 Crore for 13112 trainees, which include Capacity Building & EDP Training Programmes.

Special training Programmes were conducted in North Eastern State of Manipur by NBCFDC in collaboration with NCCT for 120 trainees under Pottery, Embroidery and Tailoring. Mobile Phone Repair Training Programme for 30 trainees was organized in Tripura. Statewise/ Tradewise details of training during the year under report are available at **Annexure -4** (Page No. 35-36).

11. FOCUS ON NORTH EASTERN STATES

During the year 2012-13, Corporation has allocated 10% fund of the total allocation to the North Eastern States. As per their legitimate demand received during the year 2012-13, loan amounting to Rs.16.00 Cr. for 11359 beneficiaries was disbursed in the N-E States namely Assam (Rs. 6.75 cr) and Manipur (Rs. 3.25 cr.) through North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (NEDFi) and Tripura (Rs. 6.00 cr.). Cumulatively disbursement to N.E. States is under:

State	Cum. Loan Disbursed (Rs. in Cr.)	Cum. No. of Beneficiaries Assisted
Assam	16.94	5456
Manipur	4.83	1061
Sikkim	25.13	4111
Tripura	19.35	4763
NEDFi	20.00	28382
TOTAL	86.25	43773

9. भारत सरकार द्वारा बजट आवंटन

वर्ष 2012-13 में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने रु. 27.65 करोड़ की बजटीय सहायता साम्य अंश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त की है जिसके सापेक्ष आपके निगम ने रु. 225.20 करोड़ का वितरण किया है, इसका तात्पर्य यह है कि बजटीय सहायता से अधिक रु. 197.55 करोड़ का वितरण निधि के चक्रण अथवा आन्तरिक संसाधनों से किया गया है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के सक्रिय सहयोग एवं उनसे पर्याप्त वसूली से यह उपलब्धि संभव हो सकी है।

10. प्रशिक्षण एवं कुशलता उन्नयन

दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को तकनीकी और उद्यमीय कौशलों के स्तर में वृद्धि करने के लिए निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग को पारंपरिक और तकनीकी व्यवसायों एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उचित कौशल तथा तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा आत्म-निर्भर बनाने में समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण देना है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण सम्पन्न होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर अपना व्यवसाय/स्वरोजगार आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) के सहयोग से भी प्रशिक्षण योजना चलाता है।

वर्ष 2012-2013 के दौरान प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के लिए 9000 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य रखा था।

निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा राष्ट्रीय स्तर के निम्न प्रशिक्षण संस्थान जिनके प्रमुख शहरों में प्रशिक्षण संस्थान हैं, के साथ भागीदारी स्थापित की गई:

1. रिटेल मैनेजमेंट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद्
2. निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऐक्सपोर्ट काउंसिल के तत्वावधान में अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर (वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)
 - स्मार्ट ऑपरेटर (बी)
 - स्मार्ट ऑपरेटर (बी+ए)
 - गारमेंट कटिंग तकनीक (जीसीटी)

- उत्पादन पर्यवेक्षक गुणवत्ता नियंत्रण (पीएसक्यूसी)
- 3. सुगन्धीय उपयोग के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एमएसएमई मंत्रालय के अधीन फरेंग्रेस एवं क्लेवर डेवलेपमेंट केंद्र कन्नौज।
- 4. राजीव गाँधी मेमोरियल दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र (बीएसएनएल के अधीन) चेन्नई:
 - सैल फोन सर्विसिंग
 - वैब डिजाइनिंग
 - नेटवर्क एवं नैट सुरक्षा

वर्ष 2012-13 के दौरान अंशतः भुगतान के रूप में निर्मुक्त प्रशिक्षण व्यय 13112 प्रशिक्षणार्थियों के लिए रु. 1.12 करोड़ था जिसमें कुशलता निर्माण एवं ई.डी.पी. प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा एन.सी.सी.टी. के सहयोग से 120 प्रशिक्षणार्थियों को उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने, कशीदाकारी तथा सिलाई के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। त्रिपुरा में 30 प्रशिक्षणार्थियों के लिए मोबाइल फोन मरम्मत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान राज्यवार/व्यवसायवार विवरण **अनुलग्नक-4** (पृष्ठ सं. 35-36) पर उपलब्ध है।

11. उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान

वर्ष 2012-13 में निगम ने कुल आवंटन का 10% उत्तरी-पूर्वी राज्यों को आवंटित किया है, वर्ष 2012-13 में प्राप्त विधिसंगत मांग के अनुसार 11359 लाभार्थियों के लिए रु. 16.00 करोड़ का ऋण उत्तर-पूर्वी राज्यों अर्थात् असम (रु. 6.75 करोड़), मणिपुर (रु. 3.25 करोड़) को उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लि. के माध्यम से व त्रिपुरा को (रु. 6.00 करोड़) वितरित किया गया। उत्तर-पूर्वी राज्यों का सकल वितरण इस प्रकार है:-

राज्य	वितरित किया गया संचयी (ऋण करोड़ रु. में)	सहायता प्राप्त संचयी लाभार्थियों की सं.
आसाम	16.94	5456
मणिपुर	4.83	1061
सिक्किम	25.13	4111
त्रिपुरा	19.35	4763
नेडफी	20.00	28382
कुल	86.25	43773

12. MARKETING LINKAGES

Besides other developmental activities, the Corporation is promoting marketing facilities for the artisans of the target group by providing opportunities to participate in the Country's leading fairs like India International Trade Fair, Dilli Haat and Suraj Kund Crafts Mela etc. as well as in the exhibitions/fairs organized in their respective States. The event not only give much needed marketing exposure to these artisans but also provide an opportunity to market their products at good price which usually they find difficult in their own places.

NBCFDC helps traditional BC Artisans by way of providing them platform to exhibit their products in the exhibitions to establish marketing linkages.

NBCFDC also motivates the SCAs to organize or participate in exhibitions to showcase the schemes of the Corporation and also to exhibit the diverse products and services for which NBCFDC has provided financial assistance to the members of Backward Classes in different parts of the Country through SCAs. The objective of such exhibitions is to generate awareness about the NBCFDC schemes as well as to give exposure to the artisans of the target group to a bigger market. Beneficiaries are also being provided to and fro expenses etc. Detail statement of the Fairs, Exhibitions and Buyer Seller Meets organized/ sponsored by NBCFDC during the year 2012-13 is available at **Annexure-5** (Page 37).

13. MONITORING & EVALUATION

The Corporation gives due emphasis on monitoring the implementation of NBCFDC schemes at the grass root level. The SCAs have been advised to strengthen the monitoring mechanism. On-going-schemes are also evaluated from time to time to have an impact assessment through independent agencies. The findings of the recommendations are regularly followed up with the SCAs for taking

remedial measures. During the year 2012-13, the Corporation has got conducted Evaluation Studies of on-going schemes in the States of Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu. A status of findings of evaluation/impact studies of on going schemes received during the year is available at **Annexure - 6** (Page 38-39)

14. MAIN EVENTS DURING 2012-13

14.1 Regional Meetings

The Corporation also organized the Regional Meetings of MDs of SCAs in different regions to review performance of NBCFDC schemes. Such meeting was organized for SCAs of North India on 05.11.2012 in Delhi during Shilpotsav at Dilli Haat and participants from North Indian States interacted with the exhibitors. Meetings were also held at Kolkata (19.12.2012) for Eastern and North-Eastern Regions and Thiruvanthapuram (10.12.2012) for Southern & in Goa (07.01.2013) for Western Regions.

14.2 Exhibitions/Fairs/Melas

i) Shilpotsav - 2012

The Corporation organized and coordinated the Shilpotsav at Dilli Haat, New Delhi on behalf of the Ministry of Social Justice & Empowerment from 01.11.2012 to 12.11.2012. All the Apex Corporations and the Institutions under the Ministry participated in the Shilpotsav. The Shilpotsav was inaugurated by the then Secretary (SJ&E), Govt. of India. The NBCFDC invited beneficiaries from all State Channelising Agencies (SCAs) and 40 beneficiaries from the States of Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Haryana, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Punjab, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal were participated in the Shilpotsav with handicraft items like dry flowers, terracotta, silk sarees, kantha stitch,

12. विपणन संयोजन

निगम, अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त लक्षित वर्ग के दस्तकारों को देश के मुख्य मेलों जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली हाट एवं सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेला तथा साथ ही साथ सम्बन्धित राज्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों आदि में विपणन के अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करता है। ये आयोजन दस्तकारों को मात्र विपणन/प्रदर्शन का अवसर ही नहीं प्रदान करते हैं बल्कि एक ऐसा सुअवसर भी प्रदान करते हैं जहां उनके उत्पादों की अच्छे मूल्य पर बिक्री होती है जो सामान्यतः उनके क्षेत्र में होना कठिन होता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परम्परागत पिछड़े वर्ग के दस्तकारों को प्रदर्शनियों में उत्पादों के प्रदर्शन हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर विपणन संयोजन हेतु सहायता प्रदान करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निगम की योजनाओं के प्रदर्शन तथा विविध उत्पादों एवं सेवाओं जिनके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा प्रतिभागिता करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उद्देश्य एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित लक्षित वर्ग के दस्तकारों को बड़े बाजारों में अवसर प्रदान करना है। लाभार्थियों को आने-जाने का किराया व्यय इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित/प्रायोजित मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-5 (पृष्ठ संख्या-37) पर उपलब्ध है।

13. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

निगम जमीनी स्तर पर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग पर पर्याप्त बल देता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को मॉनीटरिंग तंत्र को मजबूत करने की सलाह दी गई है। उनके प्रभाव निर्धारण का पता लगाने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से चल रही योजनाओं का मूल्यांकन भी कराया जाता है। सिफारिशों के निष्कर्षों पर सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग

एजेंसियों से सतत अनुश्रवण किया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान निगम द्वारा असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्यों में चल रही योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। वर्ष के दौरान चल रही योजनाओं पर प्राप्त मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन के निष्कर्षों का विवरण अनुलग्नक-6 (पृष्ठ सं. 38-39) पर उपलब्ध है।

14. वर्ष 2012-13 की अवधि में मुख्य आयोजन

14.1 क्षेत्रीय बैठकें

निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा हेतु निगम के राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के प्रबंध निदेशकों की क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया। उत्तरी भारत की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की बैठक दिनांक 05.11.12 को दिल्ली हाट में 'शिल्पोत्सव' के दौरान आयोजित की गई एवं उत्तर भारतीय राज्यों के प्रतिभागियों ने प्रदर्शनी में भाग लेने वाले लाभार्थियों से वार्ता की। पूर्वी उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए कोलकाता (19.12.2012) में, दक्षिण क्षेत्र की थिरूअनंतपुरम (10.12.2012) तथा पश्चिमी क्षेत्रों के लिए गोआ (07.01.2013) में बैठक आयोजित की गई।

14.2 प्रदर्शनियां /उत्सव/मेले:

i) शिल्पोत्सव -2012

निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 01.11.2012 से 12.11.2012 तक दिल्ली हाट, नई दिल्ली में शिल्पोत्सव का आयोजन एवं समन्वय कार्य किया। मंत्रालय के सभी शीर्ष निगमों एवं संस्थानों ने शिल्पोत्सव में भाग लिया। शिल्पोत्सव का उद्घाटन तत्कालीन सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) भारत सरकार ने किया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने सभी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को आमंत्रित किया तथा आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मणिपुर, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से 40 लाभार्थियों ने भाग लिया तथा हस्तशिल्प वस्तुएं जैसे शुष्क फूल, टेराकोटा, सिल्क साड़ियाँ, कंथा स्टिच, केन एवं बांस, लकड़ी के खिलौने,

cane & bamboo, wooden toys, imitation jewellery, appliqué & patch work, spices, jute & jari products, handloom, Manipuri handicraft, batik work, woolen products, carpet, dari, tarkashi, pearls, glass & bead products, carpet, readymade kurta/kurties, honey, pickles, paper lamp shade etc.

ii) India International Trade Fair (IITF)- 2012

The Corporation participated in the Exhibition at India International Trade Fair-2012 (IITF), Pragati Maidan, New Delhi from 14th-27th November, 2012, wherein 25 artisans from 14 States participated with handicraft items like artificial jewellery, kantha stitch, silk and handloom products, rose wood, hand carving handicrafts, kashmiri shawls/stoles, sozni embroidery, hand embroidery, phulkari, wood carving, honey & organic products, pickles, bagh print, wood inlay, readymade garments etc. The participants have reported good sale of their products during the IITF.

iii) Surajkund Craft Mela - 2013

NBCFDC was made Nodal Corporation for coordinating Surajkund Craft Mela-2013 at Faridabad, Haryana from 1st-15th February, 2013 by the Ministry. All the Apex Corporations (NBCFDC, NSKFDC, NSFDC & NHFDC) and National Trust under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the Surajkund Craft Mela. A total 70 stalls were booked for the Apex Corporations under the Ministry to participate in the Surajkund Craft Mela. The NBCFDC invited beneficiaries from all State Channelising Agencies (SCAs) and 37 beneficiaries were given space free of cost to display their products. The products displayed by the artisans included shawls, handloom, handicrafts, banarsi sarees, kantha stitch, bead work, wood inlay, cane & bamboo, dress material, tie & dye, wooden toys, pottery, phulkari etc. Two trainees of ATDC also participated during Suraj Kund Craft Mela on behalf of NBCFDC.

15. PUBLICITY & AWARENESS OF NBCFDC SCHEMES

Awareness Camps

The Corporation encourages SCAs to hold Awareness Camps wherein activities such as information spread of NBCFDC schemes being implemented by your SCA in the State; information on procedure for obtaining loan and documentation required; loan application form submission, collection and verification of applications; compilation of loan documents; recovery from beneficiaries etc. The expenses on these camps are shared by NBCFDC. In all, 36 Awareness Camps were organized by the SCAs of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Tripura and Uttar Pradesh during the year. The Corporation has also released a short documentary film “Badal Gae Taqdeer” for visual publicity during the year.

16. AWARDS AND APPRECIATION

NBCFDC has achieved Excellent rating against MOU target of 2011-12 by achieving Score- 1.02 as communicated by Department of Public Enterprises, Government of India vide O.M No. 3 (I)/2012-DPE (MOU) dated 21st December, 2012. The Excellent rating has been achieved by your Corporation consecutively for the 12th year.

17. PERSONNEL & INDUSTRIAL RELATION

- a) The functional divisions of the Corporation viz. Project, Finance, Company Affairs, Personnel and Administration are operating with bare minimum staff, inspite of continuous increase in the workload of the Corporation.
- b) The total strength of the Corporation as on 31.3.2013 was 47 out of which 9 belong to SC/ST and 12 to OBC category, there is no backlog exist in any cadres.
- c) The officers/staff are encouraged to expose to new environment of learning process, through training & development mechanism. Accordingly, 15 number of officers/staff of the Corporation, were deputed for various short term training programmes as per their training needs

नकली आभूषण, एप्लीक्यू एवं पैच वर्क, समाले, जूट एवं जरी उत्पाद, हथकरघा, मणिपुरी हस्तशिल्प, बटीक वर्क, लकड़ी के उत्पाद, कार्पेट, दरी, तरकशी, पर्ल, ग्लास एवं बीड प्रोडक्ट, कारपेट, सिले-सिलाए कुर्ता-कर्तिया, शहद, अचार, पेपर की लैम्प आदि प्रदर्शित किए।

ii) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला- 2012

निगम ने 14-27 नवम्बर, 2012 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया जिसमें 14 राज्यों के 25 दस्तकारों ने हस्तशिल्प के उत्पादों जैसे आर्टीफिशियल ज्वैलरी, कंथा स्टिच, सिल्क एवं हथकरघा उत्पाद, रोज़ वुड, हाथ की नक्काशी, कश्मीरी-शॉल्स/स्टोल्स, सोजनी कढ़ाई, हाथ की कढ़ाई, फुलकारी, लकड़ी पर नक्काशी, शहद व कार्बनिक उत्पाद, अचार, बाग़ प्रिन्ट, लकड़ी पर जड़ाऊ कार्य, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि सहित भाग लिया। आई.आई.टी.एफ. के दौरान प्रतिभागियों द्वारा अपने उत्पादों की अच्छी बिक्री सूचित की गई है।

iii) सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेला-2013

मंत्रालय द्वारा निगम को दिनांक 1-15 फरवरी, 2013 तक फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला, 2013 के समन्वयन हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया। मंत्रालय के अन्तर्गत शीर्ष निगमों (एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.एफ.डी.सी., एन.एच.एफ.डी.सी.) तथा राष्ट्रीय न्यास ने सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले में भाग लिया। मंत्रालय के अधीन सभी शीर्ष निगमों के लिए मेला में भाग लेने हेतु कुल 70 स्टॉलों का आवंटन किया गया था। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने समस्त राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लाभार्थियों को आमंत्रित किया था एवं 37 लाभार्थियों को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया। दस्तकारों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों में शॉल, हैण्डलूम, हस्तशिल्प, बनारसी साड़ियां, कथा स्टिच, बीड वर्क, लकड़ी पर नक्काशी, केन व बाँस के सामान, ड्रेस सामग्री टाई एवं डाई, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, फुलकारी इत्यादि थे। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की ओर से ए.टी.डी.सी. द्वारा प्रशिक्षित दो प्रतिभागियों द्वारा भी सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला में भाग लिया गया।

15. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता

जागरूकता शिविर

निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के राज्य में प्रचार-प्रसार हेतु ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं आवश्यक प्रपत्रीकरण, ऋण आवेदन जमा करना, आवेदन का संग्रहण एवं सत्यापन, ऋण प्रपत्र को पूर्ण करना, लाभार्थियों से वसूली आदि हेतु जागरूकता शिविर आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इन शिविरों के व्यय में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा हिस्सेदारी की जाती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में वर्ष के दौरान 36 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान निगम ने एक संक्षिप्त वृत्त चित्र (डोक्यूमेंट्री फिल्म) 'बदल गई तकदीर' को दृश्य प्रचार हेतु जारी किया गया।

16. पुरस्कार एवं प्रशंसा

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जैसा कि उनके पत्र सं. 3(1)/2012-डी.पी.ई. (एम.ओ.यू.) दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 द्वारा सूचित किया गया है, समझौता ज्ञापन 2011-12 के लक्ष्यों के सापेक्ष स्कोर-1.02 प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। आपके निगम द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग निरंतर 12 वर्षों से प्राप्त की जा रही है।

17. कार्मिक एवं औद्योगिक सम्बंध

- क) लगातार बढ़ते हुए कार्यों के बावजूद, निगम अपने परियोजना, वित्त, कम्पनी कार्य एवं कार्मिक एवं प्रशासन विभागों के न्यूनतम स्टॉफ के साथ कार्य कर रहा है।
- ख) दिनांक 31.03.2013 को निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 47 थी जिनमें से 9 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा 12 अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। किसी भी संवर्ग में कोई बैकलॉग नहीं है।
- ग) अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास तंत्र के माध्यम से सुधार प्रक्रिया के नवीन परिवेश में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तदनुसार निगम के 15 अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी जरूरतों के अनुसार विभिन्न अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों-आई.एस./आई.

viz Internal Audit Training on QMS as per IS/ISO9001:2008, Quality Management System per IS/ISO 9001:2008, Workshop on Yogic Management of Stress, Workshop on Revised Data Sheet for PE Survey 2011-12, e-publishing Training, Project Planning Monitoring & Control System, Planning & MOU – An inter Twinned Approach for Improving Enterprise's Performance, Corporate Governance. In-house workshop was also organized on Stress Management & Physical Fitness from 27.2.2013 to 1.3.2013 for the employees of the Corporation in which 30 employees have participated.

d) Performance Related Pay (PRP)

Performance Related Pay (PRP) for the year 2010-11 & 2011-12 has been released to the employees of the Corporation upon approval by remuneration committee headed by an independent director.

e) Industrial Relations:

Relations between employer and employees are cordial, Periodic meetings have been held with the employees of the Corporation, as per continuous practice of improvement of employee welfare, Corporation has introduced General Purpose Advance Rules in lieu of Household advance and Computer Advance Rules.

f) Management Development Programme (MDP)

During the financial year 2012-13 NBCFDC organized three Management Development Programme (MDP) for Senior Officers / District Level officers of State Channelising Agencies (SCA's) in their states through reputed management institutes such as Abdul Nazeersab State Institute of Rural Development,

(Mysore), Maharashtra Industrial & Technical Consultancy Organization (MITCON), Pune and J&K Institute of Management, Public Administration & Rural Development, for a duration of two days. Covering the topics implementation of NBCFDC schemes, various practices on Project Appraisal & Financing of small income generation schemes, Micro finance, Financial Accounting, Audit and Reconciliation, Monitoring & Evaluation, Improving recovery mechanism, marketing of rural products etc.

18. NBCFDC IS NOW IS/ISO 9001:2008 COMPANY

NBCFDC is now IS/ISO 9001:2008 certified by Bureau of Indian Standard on 22nd March, 2010. The Quality Objectives of the Corporation is to optimize organizational efficiency to achieve the MOU targets and continual enhancement of the customer satisfaction through redressal of customer.

Following ISO standard is, however, only a means and not an end in itself. The core of our quality objective lies in our emphasis on continuous improvement and customer satisfaction. The quality objective of the Corporation will be based on customer needs and working through proactive and responsive customer approach, leading to customer satisfaction. This shall be achieved through competency enhancement and continual improvements of systems & processes within the regulatory framework.

19. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation is following Government directives issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India for progressive use of Official Language Hindi in day to day working of the Corporation and the employees of the Corporation are also

एस.ओ. 9001:2008 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र पर आंतरिक अंकक्षण, प्रशिक्षण, आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र, योग द्वारा तनाव प्रबंधन, पी.ई. सर्वेक्षण 2011-12 के लिए संशोधित डैटा शीट, ई-पब्लिसिंग प्रशिक्षण, परियोजना आयोजन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण तंत्र एवं एम.ओ.यू-उद्यम के कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु सम्मिश्रित पद्धति, कॉरपोरेट गवर्नेंस इत्यादि हेतु भेजा गया। निगम के कर्मचारियों के लिए तनाव एवं शारीरिक फिटनेस पर 27.2.2013 से 01.03.2013 तक आंतरिक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 30 कर्मचारियों ने भाग लिया।

घ) कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन (पी.आर.पी.)

स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में गठित पारिश्रमिक समिति के अनुमोदन के बाद निगम के कर्मचारियों को वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन (पी.आर.पी.) का भुगतान किया गया।

इ) औद्योगिक संबंध

नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। निगम कर्मचारियों के कल्याण में वृद्धि की सतत प्रक्रिया के अनुसार निगम ने घरेलू सामान अग्रिम एवं कंप्यूटर अग्रिम नियमों के स्थान पर सामान्य उद्देश्य अग्रिम नियम लागू किए हैं।

च) प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)

वित्तीय वर्ष 2012-13 में एनबीसीएफडीसी ने वरिष्ठ अधिकारियों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के जिला स्तर के अधिकारियों के लिए उनके राज्यों में प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान जैसे नजीरसाब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (मैसूर), महाराष्ट्र औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शदायी संगठन (एम.आई.टी.सी. ओ.एन.) पुणे एवं जम्मू एवं कश्मीर प्रबंधन, लोक

प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा दो दिवसीय तीन प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं का क्रियान्वयन, लघु आय सृजन योजनाओं का परियोजना मूल्यांकन एवं वित्त पोषण, लघु वित्त, वित्तीय लेखाकरण, लेखा परीक्षा समाशोधन, निगरानी एवं मूल्यांकन, वसूली तंत्र में सुधार तथा ग्रामीण उत्पादों को विपणन जैसे विषय शामिल किए गए।

18. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अब आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 कम्पनी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2010 को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 कम्पनी का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं ग्राहकों के निदान के द्वारा ग्राहक संतुष्टि को सतत् बढ़ाना निगम का गुणवत्ता उद्देश्य है।

आई.एस.ओ. मानक का पालन करना साधन मात्र है साध्य नहीं है। हमारी गुणवत्ता उद्देश्यों का महत्वपूर्ण भाग ग्राहक संतुष्टि एवं सुधार में सतत्ता पर ध्यान केन्द्रित करना है। निगम का गुणवत्ता उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकता जिसमें ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि हो, पूर्व क्रियाशील एवं दायित्वपूर्ण ग्राहक पहुंच पर आधारित होगा। यह नियामक ढांचा के अधीन क्षमता वृद्धि एवं प्रणाली तथा प्रक्रिया में नियमित वृद्धि के माध्यम से प्राप्त होगा।

19. राजभाषा क्रियान्वयन

निगम राजभाषा नीति एवं निगम के दैनिक काम-काज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण कर रहा है तथा निगम के कर्मचारियों को इसके लिए समय-समय पर प्रोत्साहित भी किया जाता है। वर्ष के दौरान सितम्बर में 'हिन्दी पखवाड़ा' तथा 'हिन्दी दिवस' मनाए गए। इस अवधि

encouraged for the same from time to time. During the year, 'HINDI PAKHWADA' & 'HINDI DIWAS' observed in the month of September and winners were given suitable prizes to promote the Hindi Rajbhasha in official work. Hindi Software 'Akshar' and 'Saransh' have been installed in Computers. The provisions of Sec 3(3) of Official Language Act are being complied with in the Corporation. Letters received in Hindi are always replied in Hindi. Meeting of Official language Implementation Committee was conducted regularly in each quarters to discuss the progressive use of Official Language in official work and quarterly/annual reports on the progressive use of Hindi were regularly sent to the Ministry of SJ & E. Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the "Annual Programme for transacting the Official work of the Corporation in Hindi for the year 2012-13". The employees of the Corporation are being constantly encouraged for maximum use of Hindi Rajbhasha in their official work.

20. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Corporation has taken action for implementation of RTI Act 2005. Nominations/Appointments of PIOs as well as Appellate Authority have been done. Compliance of the provisions of RTI Act, 2005 are ensured and requests for information are being attended. NBCFDC website has been updated and contains all information on all 17 items as required under clause 4.1(b) of RTI Act 2005. The Corporation also submitted quarterly/annual returns regularly online on the website of Central Information Commission (CIC).

21. VIGILANCE CELL

Proper preventive vigilance is being observed in the Corporation. Proper notice is displayed at the Notice Board of the Corporation for improving vigilance administration. Officers & Employees were made aware about the preventive vigilance during the meetings from time to time. Vigilance Awareness Week was observed from 29.10.2012 to 03.11.2012. Chief Vigilance

Officer (CVO), part time has been appointed for a period of three years vide Ministry letter No. C-43016/8/2007-Vig dated 26.11.2012.

22. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUT GO U/S 217 (1) (E) OF THE COMPANIES ACT, 1956.

Although the Corporation is not engaged in manufacturing activity as production process, efforts for conservation of energy & absorption of technology have been made wherever possible.

23. STATUTORY AUDITORS

In terms of Section 619(2) of the Companies Act 1956, the Comptroller and Auditor General of India, appointed M/s Vijay Deepak & Co. Chartered Accountants, New Delhi, as Statutory Auditors of the Company for the year 2012-13. The Statutory Auditors have audited the accounts of the Corporation for the year 2012-13, and submitted their report on 01.08.2013.

The Statutory Auditors have qualified their report on some points and the same have been replied in terms of Sec. 217(3) of the Companies Act, 1956 suitably which is available as Addendum to Directors' Report at **Annexure-7** (Page 40).

24. C&AG COMMENTS

The Accounts of the Corporation for the year 2012-13 shall also be audited by the Comptroller & Auditor General of India for providing their comments u/s 619(4) of the Companies Act 1956.

25. CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstone for good governance. The systems and business processes of the Corporation are reviewed at various levels for identifying and strengthening

के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं और सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए गए। कम्प्यूटरों में हिन्दी सॉफ्टवेयर 'अक्षर' एवं 'सारांश' लगाया गया है। निगम में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हमेशा हिन्दी में ही दिया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से की गई बैठकों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग पर चर्चा की गई तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को तिमाही वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी गई। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम, 2012-13 के प्रावधानों को लागू करने के भरसक प्रयास किए। निगम के कर्मचारियों को कार्यालयी कार्यों में राजभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

20. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन/नियुक्ति की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है एवं सूचना प्रेषण से सम्बन्धित अनुरोधों पर ध्यान दिया जा रहा है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की वेबसाइट अद्यतन की गई है एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4.1 (बी) के अन्तर्गत वांछित 17 मदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। निगम, केन्द्रीय सूचना आयोग को वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से त्रैमासिक/वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करता है।

21. सतर्कता प्रकोष्ठ

निगम में उचित निवारक सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए निगम के नोटिस बोर्ड पर उपयुक्त नोटिस प्रदर्शित की गईं। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर आयोजित बैठकों के दौरान निवारक सतर्कता के बारे में जानकारी दी गई। दिनांक 29.10.2012 से 03.11.2012 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया। मंत्रालय का पत्र सं. C-43016/8/2007-विज

दिनांक 26.11.2012 देखें, तीन वर्ष के लिए अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है।

22. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

यद्यपि निगम उत्पादन प्रक्रिया जैसे निर्माण कार्यकलाप में नहीं लगा है फिर भी जहां कहीं भी संभव है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन के प्रयास किए गए हैं।

23. सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए मेसर्स विजय दीपक एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगम के वर्ष 2012-13 के लेखों की लेखा परीक्षा की गई एवं उस पर दिनांक 01.08.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कुछ बिन्दुओं पर सीमित है जिसका उत्तर उपयुक्त रूप से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (3) के अनुसार दिया गया, जिसे निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक-7 (पृष्ठ सं. 40) पर दिया गया है।

24. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत निगम के वर्ष 2012-13 के लेखों का अंकेक्षण भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निमित्त सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु किया जाएगा।

25. कारपोरेट प्रशासन

आपके निगम का विश्वास है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धान्त अच्छे प्रशासन के विशेष अंग हैं। निगम के तंत्र एवं व्यवसाय प्रक्रिया की विभिन्न स्तरों पर कमजोर क्षेत्रों को सुदृढता प्रदान करने वाले उपायों, यदि कोई हों, की समीक्षा की जाती है। निगम का यह प्रयास है कि उच्च कोटि

areas of weakness, if any. It is the Corporation's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade. A Report of Directors on Corporate Governance and certificate on Corporate Governance issued by the Statutory Auditors are placed at **Annexure- 8** (Page 41-44).

26. BOARD OF DIRECTORS

As on 31.03.2013, there are nine Directors on the Board of NBCFDC including Managing Director. During the year 2012-13, the following changes took place in the composition of Board of Directors:

- Sh. A. K. Angurana, MD, TRIFED, part time non official Director was appointed in place of Shri Jiji Thomson, Ex-MD, TRIFED.
- Sh. Santanu Saha, MD, West Bengal Backward Classes Dev. and Finance Corporation, part time non official Director was appointed,
- Sh. M. Ramaiah, MD, D. Devraj Urs Backward Classes Devevelopment Corpn., part time non official Director was appointed,
- Sh. Sharad B. Londhe, MD, Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd., part time non official Director was appointed,

The Board welcomes Sh. A.K.Angurana, MD, TRIFED, Sh. Santanu Saha, MD, West Bengal Backward Classes Dev. and Finance Corporation, Sh. M. Ramaiah, MD, D. Devraj Urs Backward Classes Devevelopment Corpn. and Sh. Sharad B. Londhe, MD, Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd. as Directors on the Board of NBCFDC. The Board also wishes to place on record its appreciation for the valuable guidance given by Shri Jiji Thomson, MD, TRIFED, to the management of your Corporation during his tenure as part-time Directors. Details of tenure of Directors on the Board of Directors of the Corporation during the year 2012-13 (1.4.2012 to 31.3.2013) are as under:-

Sl. No.	Name of Directors	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Shri Jiji Thomson, MD, TRIFED	Director	27.02.2012	11.03.2013
2.	Smt. Ghazala Meenai, JS(BC), SJ&E	Director	02.01.2012	Till date
3.	Shri A.A. Naqvi, MD, NBCFDC	Managing Director	04.11.1997 / 04.11.2012	-do-
4.	Sh. T.V.A. Ram, DS(Fin.), SJ&E	Director	19.12.2011	-do-
5.	Sh. S. Muhnot, CMD, SIDBI	Director	13.05.2011	-do-
6.	Shri H. S. Kingra, CMD, NSFDC	Director	05.08.2011	-do-
7.	Sh. A.K. Angurana, MD, TRIFED	Director	13.03.2013	-do-
8.	Sh. Santanu Saha, MD, West Bengal BC Dev. and Fin. Corpn.,	Director	18.03.2013	-do-
9.	Sh. M. Ramaiah, MD, D. Devraj Urs BC Dev. Corpn.	Director	18.03.2013	-do-
10.	Sh. Sharad B. Londhe, MD, Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd.	Director	18.03.2013	-do-

के प्रशासन की सततता को बनाए रखे एवं समान व्यवसाय में श्रेष्ठ शासित कम्पनियों के साथ स्वयं का बेंचमार्क स्थापित कर सके। कारपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कारपोरेट प्रशासन पर सांविधिक अंकुशों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अनुलग्नक-8 (पृष्ठ सं.-41-44) पर दिया गया है।

26. निदेशक मण्डल

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार एन0बी0सी0एफ0डी0सी0 के निदेशक मण्डल में प्रबन्ध निदेशक सहित नौ निदेशक हैं। वर्ष 2012-13 की अवधि में निदेशक मण्डल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए:

- श्री जीजी थॉमसन, पूर्व प्रबंध निदेशक ट्राइफेड के स्थान पर श्री ए.के. अंगुराना, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड को अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री शांतनु साहा, प्रबंध निदेशक, पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम को गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री एम रमैया, प्रबंध निदेशक, डी. देवराज अर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम को अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री शरद बी. लोंढे, प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वरगिया वित्त अनि विकास महामंडल लि. को अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।

निदेशक मण्डल श्री ए.के. अंगुराना, प्रबंध निदेशक ट्राइफेड, श्री शांतनु साहा, प्रबंध निदेशक, पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम, श्री एम. रमैया, प्रबंध निदेशक, डी. देवराज अर्स पिछड़ा वर्ग विकास नि. एवं श्री शरद जी. लोंढे, प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वरगिया वित्त विकास महामंडल लि. को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में स्वागत करता है। निदेशक मण्डल श्री जीजी थॉमसन, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड द्वारा अंशकालिक निदेशक के रूप में दिए गए मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए उनकी सराहना करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान निगम के निदेशक मण्डल में निदेशकों की कार्य अवधि का विवरण (1.04.2012 से 31.03.2013 तक) इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	पदच्युति की तिथि
1.	श्री जीजी थामसन, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड	निदेशक	27.02.2012	11.03.2013
2.	श्रीमती गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव (पि.व.) (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	निदेशक	02.01.2012	अब तक
3.	श्री ए.ए. नक्वी, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	प्रबंध निदेशक	04.11.1997 / 04.11.2012	अब तक
4.	श्री टी.वी.ए. राम, उप सचिव (वित्त) सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	19.12.2011	अब तक
5.	श्री एस. महनोट, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी	निदेशक	13.05.2011	अब तक
6.	श्री एच. एस. कींगड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी.	निदेशक	05.08.2011	अब तक
7.	श्री ए.के. अंगुराना, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड	निदेशक	13.03.2013	अब तक
8.	श्री शांतनु साहा, प्रबंध निदेशक, पश्चिम बंगाल, बी. सी. डेवलपमेंट एण्ड फाईनेंस कारपोरेशन	निदेशक	18.03.2013	अब तक
9.	श्री एम. रमैया, प्रबंध निदेशक, डी. देवराज अर्स बी. सी. डेवलपमेंट कारपोरेशन	निदेशक	18.03.2013	अब तक
10.	श्री शरद बी. लोंढे, प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग वित्त एनि विकास महामंडल लि.	निदेशक	18.03.2013	अब तक

27. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, your Directors state that:

- (a) In the Preparation of accounts, the applicable accounting standards have been followed, along with the explanations given in Annexure-7 (page 39) relating to deviation commented by Statutory Auditors.
- (b) Accounting policies selected were applied consistently. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as at the end of March 31, 2013 and of the income & expenditure of the Corporation for the year ended on that date.
- (c) Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities.
- (d) The annual accounts of the Corporation have been prepared on a going concern basis.

28. PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 217 (2A) OF THE COMPANIES ACT, 1956.

None of the employees of the Corporation

was drawing remuneration of Rs. 5.00 lakh or more per month if employed for part of the year or Rs. 60.00 lakh or more p.a., if employed for whole of the year 2012-2013.

29. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to place on record their gratitude for the continued guidance, co-operation and support received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India,

Your Directors sincerely appreciate the significant contribution made by the Directors on the Board and also the Directors who completed their terms during the financial year under review.

Your Directors would also like to place on record their appreciation for the valuable services rendered by the employees of your Corporation.

We are also grateful to Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Deptt. of Public Enterprises, State Governments/UT Administrations, State Channelising Agencies and other concerned Government Agencies for their support and cooperation in achieving the objectives of the Corporation. Our thanks are also to the Company Auditors, Bankers and all others who have extended their support to the Corporation during the year.

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-
(A.A. Naqvi)
Managing Director

Sd/-
(Sharad B. Londhe)
Director

Place: New Delhi
Date: 01.08.2013

27. निदेशकों का दायित्व विवरण :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के प्रावधान के अनुसार आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि:

- (क) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा टिप्पणी किए गए अंतर से संबंधित **अनुलग्नक-7 (पृष्ठ सं. 39)** में दिए गए स्पष्टीकरणों के साथ, लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है।
- (ख) चयनित लेखा नीतियों को संगत रूप से लागू किया गया। 31 मार्च, 2013 की समाप्ति के अनुसार निगम की स्थिति की और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के आय-व्यय की सत्य और उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए तथा अनुमान लगाए गए।
- (ग) निगम की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखे और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- (घ) निगम के वार्षिक लेखे प्रचलित मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

28. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अधीन कर्मचारियों का ब्यौरा

निगम का कोई भी कर्मचारी यदि वर्ष के किसी भाग

के लिए नियोजित था तो वह प्रति माह रु. 5.00 लाख या इससे अधिक अथवा पूरे वर्ष 2012-13 के लिए नियोजित था तो वह प्रति वर्ष रु. 60.00 लाख या उससे अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा था।

29. अभिस्वीकृति

आपके निदेशकगण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सतत् समर्थन और मार्गदर्शन के लिए सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक निदेशक मण्डल के निदेशकों के लिए जिन्होंने समीक्षावधि के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण आपके निगम के कर्मचारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए भी सराहना व्यक्त करते हैं।

हम निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कम्पनी कार्य विभाग, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों की भी उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए आभारी हैं। हम कम्पनी के लेखा परीक्षकों, बैंकों तथा उन अन्य सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान निगम को अपना सहयोग प्रदान किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त,

ह°
(ए.ए. नकवी)
प्रबंध निदेशक

ह°
(शरद बी. लोढे)
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2013

LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES OF NBCFDC WHICH HAVE OBTAINED LOAN FROM NBCFDC SINCE INCEPTION

Andhra Pradesh

1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd., 6th Floor, Samkshema Bhavan, Masab Tank, Hyderabad-500 028, Andhra Pradesh
2. A.P. Toddy Tappers Co-operative Finance Corpn. Ltd., 3-5-1089, Beside Deepak Cinema, Narayanaguda, Hyderabad-500 029, Andhra Pradesh

Assam

3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd., Gopinath Bordoloi Road, Ambari, Guwahati-781 001, Assam.
4. Assam State development Corporation for Other Backward Classes Ltd., Dr. B.K. Kakaty Road, Gopinath Nagar, Guwahati-781 016, Assam.
5. Assam Electronics Development Corpn. Ltd., Industrial Estate, Bamunimaidan, Guwahati-781 021, Assam.

Bihar

6. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation, 4th Floor, Sone Bhawan, Birchand Patel Marg, Patna-800 001, Bihar.

Chandigarh

7. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation, Addl. Town Hall Building, 3rd Floor, Sector-17C, Chandigarh-160017. Chandigarh

Chhattisgarh

8. Chhattisgarh State Antyavasayee Sahkari Vitta Avam Vikas Nigam Ltd., B-9, Sector-5, Devendra Nagar, Raipur-492 005, Chhattisgarh.

Delhi

9. Delhi SC/ST/OBC/ Minorities & Handicapped Financial & Development Corpn., Ambedkar Bhawan, Institutional Area, Sector-16, Rohini, Delhi

Goa

10. Goa State Scheduled Castes & Other Backward Classes Fin. & Dev. Corpn. Ltd., 4th Floor, Patto Centre, Near KTC Bus Stand, Panaji-403 001, Goa.

Gujarat

11. Gujarat Backward Classes Development Corpn., Block No.11, 2nd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhawan, Gandhi Nagar-382 010, Gujarat.
12. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., Block No.16, Ground Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar-382 010, Gujarat.
13. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam, Block No.16, Ground Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar-382 010, Gujarat.

Haryana

14. Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam, SCO No.813-14, Sector-22-A, Chandigarh-160 022, Haryana

Himachal Pradesh

15. Himachal Backward Classes Finance & Development Corporation, P.W.D. Rest House Road, Kangra-176 001, Himachal Pradesh

Jammu & Kashmir

16. Jammu & Kashmir SC/STs & OBCs Development Corporation Ltd., 7, Extension Shastri Nagar, Jammu-180004, J&K
17. Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation, Block-A, 1st floor, Old Secretariat, Srinagar, J&K.

Jharkhand

18. Jharkhand ST Cooperative Development Corporation Ltd., Balihar Road, Morabadi, Ranchi-834008. Jharkhand.

Karnataka

19. D. Devraj Urs Backward Classes Devevelopment Corpn., No.16-D, 4th Floor, Miller Tank Bund Area, Vasanthnagar, Bangalore-560 052, Karnataka.

Kerala

20. Kerala State Artisans Development Corpn. Ltd., 'Swagath' T.C. 12/755, Govt. Law College Road, Vanchiyoor P.O., Trivandrum-695 035. Kerala.
21. Kerala State Backward Classes Dev. Corpn. Ltd., "SENTINEL", 2nd Floor, T.C. 27/588 (7) & (8), Pattoor, Vanchiyoor P.O., Thiruvananthapuram-695 035, Kerala.
22. Kerala State Development Corporation for Christian Converts from SCs & Recommended Communities (Ltd.), Near Railway Station, Nagampadam, Kottayam, Kerala.
23. Kerala State Co-operative Federation for Fisheries Development Ltd., Kamaleswaram, Manacaud P.O., Thiruvananthapuram-695 009, Kerala.
24. Handicrafts Development Corporation of Kerala Ltd. Post Box No.171, Puthenchanthai, Thiruvananthapuram-695 001, Kerala
25. Kerala State Palmyrah Products Development and Workers' Welfare Corporation Ltd., 'Kelpalm House', House No.XXIV/42, Near Government Hospital, Neyyattinkara-695 121, Kerala
26. Kerala State Women's Development Corpn. Ltd., "BASANT" T.C. 20/2170, Opp. Manmohan Bungalow, Kowdiar P.O., Thiruvananthapuram-695 003, Kerala.

Madhya Pradesh

27. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam, Rajiv Gandhi Bhawan, Parisar-2, 1st Floor, 35 shyamla Hills, Bhopal-462 002, Madhya Pradesh.

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची जिन्होंने आरम्भ से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त किए हैं

आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश बैंकवर्ड क्लासेज कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. छठा तल, समक्षेमा भवन, मसब टैंक, हैदराबाद - 500 028
2. आन्ध्र प्रदेश टोडडी टैपर्स को- ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. म.नं. 3-5- 1089, दीपक सिनेमा के पीछे, नारायणागुडा, हैदराबाद- 500 029

असम

3. असम एपेक्स वीवर्स एण्ड आर्टीसन्स कोऑपरेटिव फेडरेशन लि. गोपनीथ बारदोलाई रोड, अम्बरी गुवाहाटी- 781 001
4. असम प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर ओ.बी.सी.लि., डॉ. बी.के. काकोटी रोड, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी- 781 061
5. असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., इण्डस्ट्रीयल स्टेट, बामुनीमैदान, गुवाहाटी- 7810021

बिहार

6. बिहार प्रदेश बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चौथा तल, सोन भवन, बीर चन्द पटेल मार्ग पटना-800 001, बिहार

चण्डीगढ़

7. चण्डीगढ़ एस.सी./ बी.सी. एण्ड माइनोंरटीज फाइनेंसियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एडिशनल टाउन हाल भवन, तीसरा तल, सैक्टर- 17सी, चण्डीगढ़-160 017

छत्तीसगढ़

8. छत्तीसगढ़ स्टेट अन्त्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम, बी-9, सेक्टर 5, देवेन्द्र नगर, रायपुर-492 005

दिल्ली

9. दिल्ली एस.सी./ एस.टी./ओ.बी.सी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर- 16, रोहिणी, दिल्ली.

गोवा

10. गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड ओ.बी.सी फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., चौथा तल, यहाँ सेन्टर, के.टी.सी बस स्टैण्ड के पास, पणजी-403 001, गोवा

गुजरात

11. गुजरात बैंकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ब्लॉक नं. 11, दूसरा तल, डॉ. जीवराज मेहत भवन, गाँधी नगर-382 010, गुजरात
12. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., ब्लाक सं. 16, ग्राउन्ड फ्लोर, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर-382 010, गुजरात
13. गुजरात ठाकुर एवं कोली विकास निगम, ब्लॉक नं.16, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर-382 010, गुजरात

हरियाणा

14. हरियाणा बैंकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस कल्याण निगम, एस. सी.ओ. सं 813-14, सेक्टर 22ए, चण्डीगढ़- 160 022.

हिमाचल प्रदेश

15. हिमाचल प्रदेश बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पी. डब्ल्यू. डी. रेस्ट हाउस रोड, कांगडा, हिमाचल प्रदेश- 176 001

जम्मू एण्ड कश्मीर

16. जम्मू एण्ड कश्मीर एस.सी/ एस.टी एण्ड अदर बैंकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., 7, एक्सटेंशन, शास्त्री नगर, जम्मू
17. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पुराना सचिवालय, ब्लॉक-ए, प्रथम तल, श्रीनगर

झारखण्ड

18. झारखण्ड एस.टी. कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बलिहार रोड, मोराबादी राची- 834 008

कर्नाटक

19. डी. देवराज अर्स बैंकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सं. 16 डी, चौथा तल, मिलर टैंक बुंद एरिया, वसंथनगर, बंगलौर-560 052, कर्नाटक

केरल

20. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., स्वागथ, टी. सी. 12/755, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज रोड, वांच्यूर पी.ओ. त्रिवेन्द्रम.
21. केरल स्टेट बैंकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., 'सेन्टीनेल', द्वितीय तल, टी.सी. 27/588 (7) एवं (8), पट्टूर, वांच्यूर पी.ओ. थिरुअनन्तपुरम-659 035
22. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्राम शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड रिक्मेंडिड कम्यूनिटीज (लि.), रेलवे स्टेशन के पास, नागमपादम, कोट्टायम
23. केरल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन फॉर फिशरीज डेवलपमेंट लि., कमलेश्वरम्, मनाचुड पी.ओ. थिरुअनन्तपुरम- 695 009
24. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल, पो.ब.सं. 171, पुथेनचन्थ. ई, थिरुअनन्तपुरम- 695 009 केरल नियामककारा- 695 121
25. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एण्ड वर्कस वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि., कैल्पम हाउस, हाउस नं. 24/42ए नजदीक सरकारी अस्पताल, नियामककारा-695 121
26. केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., "बसंत" टी सी 20/2170, मनमोहन बंगलो के सामने, कोडियार पी.ओ. त्रिवेन्द्रम- 695 003

मध्य प्रदेश

27. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव गाँधी भवन, परिसर-2, प्रथम तल, 35 शामला हिल्स, भोपाल-462 002

28. Madhya Pradesh Hastshilp Evam HathaKargha Vikas Nigam, Hastshilp Bhawan, Hamidia Road, Bhopal-462001, Madhya Pradesh.

Maharashtra

29. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd., Administrative Building, 4th Floor, Ramakrishna Chamburkar Marg, Chambur (E), Mumbai-400071, Maharashtra.
30. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Dev. Corpn. Ltd., Juhu Supreme Shopping Centre, 1st Floor, Gulmohar Cross Road NO.9, JVPD Scheme, Juhu Vile-Parle Scheme (W), Mumbai-400 009, Maharashtra.
31. Anna Saheb Patel Arthik Magas Vikas Mahamandal Ltd. H.O. G.T. Hospital Compound Badruddin Taiyabji Marg, Behind J.J. School of arts, Nr. CST Railway Station, Mumbai-400 001

Manipur

32. Manipur State Women's Development Corporation, Directorate Building, Near 2nd M.R. Gate (Social Welfare Department Building), Imphal-795001, Manipur.
33. Manipur Tribal development corporation Ltd. Lamphelpat, Imphal-795004

Orissa

34. Orissa Backward Classes Finance & Development, Co-operative Corporation Ltd., Qrs. No. A/6, Unit-5, Near Rajiv Bhawan, Bhubaneswar-751001, Orissa.

Puducherry

35. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd., No.5, Zamindar Garden, Puducherry-605 012. Puducherry.

Punjab

36. Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation, SCO No. 60-61, Sector-17 A, Chandigarh-160 017, Punjab.

Rajasthan

37. Rajasthan OBC Fin. & Dev. Cooperative Corpn. Ltd. Ambedkar Bhawan, G-3/1, Social Justice & Empowerment Deptt., Behind Hotel Rajmahal Palace, Residency Road, Jaipur, Rajasthan.

Sikkim

38. Sikkim SC/ST & Other Backward Classes Development Corporation Ltd., Sonam Tshering Marg (Kazi Road), Gangtok-737 101, Sikkim.

Tamil Nadu

39. Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corpn., 735, 3rd Floor, L.L.A. Building, Anna Salai, Chennai-600 002, Tamil Nadu.
40. Tamil Nadu Corporation for Dev. of Women Ltd., No.100, Anna Salai, Guindy, Chennai-600 032, Tamil Nadu.

Tripura

41. Tripura OBC Co-operative Dev. Corpn., Supari Bhawan, Krishnanagar, Tribal Research Building, Agartala-799001, Tripura.

Uttar Pradesh

42. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd., 4th Floor, (South Wing), PCF Building, 32, Station Road, Lucknow-226 001, Uttar Pradesh.

Uttarakhand

43. Uttaranchal Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam, No. 161, Nehru Nagar (Old Nehru Colony, Haridwar Road), Dehradun, Uttarakhand.

West Bengal

44. West Bengal Backward Classes Dev. and Finance Corporation, 12, B.B.D. Bag (East), Hemantha Bhawan (Top Floor & 1st Floor), Kolkata-700 001, West Bengal.
45. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation, 'Ambar' 27/E, Sector-1, D.D. Block, Salt lake City, Kolkatta-700 064, West Bengal.

LIST OF STATE CHANNELISHING AGENCIES WHICH HAVE BEEN NOMINATED BY STATE GOVTS./UTS ADMINISTRATION BUT HAVE NOT OBTAIN LOAN FROM NBCFDC SO FAR

Andaman & Nicobar

46. Andaman & Nicobar Islands Integrated Dev. Corpn. Ltd., Vikas Bhawan, P.B. No. 180, Portblair-744 101

Dadra & Nagar Haveli

47. Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu SC/ST/OBC & Minorities Financial & Development Corpn. Ltd., Ground Floor, Right Wing of New Collectorate Bldg., Nr. Electricity Deptt., Opp. 66 KV Sub Station, 66, KVA Road, Amlil, Silvassa-396230, Dadra & Nagar Haveli.

Manipur

48. Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society (MOBEDS), 301, State Guest House, Babupara, Imphal-795001, Manipur.

Meghalaya

49. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd. Apex bank Building, M.G. Road, P.O. Shilong-793 001, Meghalaya

Mizoram

50. Mizoram Co-operative Apex Bank Ltd., Treasury Square, Aizwal, Mizoram-796 001, Mizoram

CHANNELISING AGENCY FOR NORTH-EASTERN STATES

51. North Eastern Development Finance Corporation Ltd. NEDFI House, G.S. Road, Dispur, Guwahati - 781006

28. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि; हस्तशिल्प भवन, हमीदिया रोड, भोपाल- 462 001,

महाराष्ट्र

29. महाराष्ट्र राज्य इतरमागस वर्ग वित्त एनि विकास महामण्डल लि., एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चौथा तल, रामकृष्ण चैम्बरकर मार्ग, चैम्बर (पू.) मुम्बई - 400 071
30. वसन्तराव नाइक विमुक्ति जातीय एण्ड नोमैडिक ट्राइव्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., जुहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर, प्रथम तल, गुलमोहर क्रास रोड नं०-9, जे.वी.पी.डी स्कीम, जुहू, विले पारले स्कीम (पश्चिम), मुम्बई-400 009
31. अन्ना साहिब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामण्डल लि. जी.टी. हास्पिटल महामण्डल, बदरुद्दीन तैयब जी मार्ग, जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स के पीछे, सी.एस.टी. रेलवे स्टेशन के पास, मुम्बई-400 001

मणिपुर

32. मणिपुर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डायरेक्ट्रेट बिल्डिंग, द्वितीय एम.आर. गेट के पास (समाज कल्याण विभाग बिल्डिंग), इम्फाल-795 001
33. मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., लम्फेलपट, इम्फाल-795 004

ओडिशा

34. ओडिशा बी.सी. फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि., क्वार्टर सं. ए/6, यूनिट-5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर-751 001

पुडुच्चेरी

35. पुडुच्चेरी बैकवर्ड क्लासेज एण्ड माइनारिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, सं.-5 जमीनदार गार्डन, पुडुच्चेरी-605 012

पंजाब

36. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, एस.सी.ओ. नं. 60-61, सेक्टर 17ए, चण्डीगढ़-160 017

राजस्थान

37. राजस्थान ओ.बी.सी. फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., अम्बेडकर भवन, जी-3/1, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, होटल राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेंसी रोड, जयपुर - 302 005

सिक्किम

38. सिक्किम अनुसूचित जाति/ जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग विकास निगम लि., सोनम टेशरिंग मार्ग (काजी रोड), गंगटोक- 737 101

तमिलनाडु

39. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 735, तीसरा तल, एल.एल.ए. बिल्डिंग, अन्ना सलाई, चेन्नई- 600 002
40. तमिलनाडु कॉरपोरेशन फार डेवलपमेंट ऑफ वीमेन लि. नं. 100, अन्ना सलाई गुड्डो, चेन्नई- 600 032

त्रिपुरा

41. त्रिपुरा ओ.बी.सी. कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सुपारी भवन, कृष्णा नगर, लेक चौमुहानी ट्राइबल रिसर्च भवन, अगरतला-799 001

उत्तर प्रदेश

42. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि., चौथा तल (साउथ विंग) पी.सी.एफ. भवन, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ- 226 001

उत्तराखंड

43. उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, प्रथम तल, भवन सं. 161, नेहरू नगर (पुरानी नेहरू नगर कालोनी, हरिद्वार रोड), देहरादून, उत्तराखंड

पश्चिम बंगाल

44. पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, 12 बीबीडी बाग (पूर्व) हैमन्त भवन, (टॉप फ्लोर एवं प्रथम तल), कलकत्ता - 700 001, पश्चिम बंगाल
45. पश्चिम बंगाल माइनोंइटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, 'अम्बर', 27/ई, सेक्टर-1, डी.डी. ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता-700 064.

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची जिन्होंने अब-तक एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु कार्यवाही नहीं की है

अंदमान एंड निकोबार

46. अंदमान एंड निकोबार आईसलैंड इटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, विकास भवन, पो.बो. नं. 180, पोर्टब्लेयर-744101

दादरा एवं नगर हवेली

47. दादरा एवं नगर हवेली, दमन एण्ड दीव एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. एण्ड माइनोंरिटीज फाइनेंशियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि, ग्राउण्ड फ्लोर, न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग (राइटविंग), विद्युत विभाग के पास, 66 केवी सब स्टेशन के सामने, 66 केवीए रोड, आमली, सिलवासा- 396 230.

मणिपुर

48. मणिपुर माइनोंरिटीज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी, 301 स्टेट गेस्ट हाउस, बाबूपारा, इम्फाल-795001, मणिपुर

मेघालय

49. मेघालय को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, एपेक्स बैंक बिल्डिंग, एम.जी.रोड, पी.ओ. शिलोंग- 793001, मेघालय

मिजोरम

50. मिजोरम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, लि. ट्रेजरी एस्क्वायर, एंजोल, मिजोरम- 796 001, मिजोरम.

उत्तर-पूर्वी राज्यों हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी

51. उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए चैनेलाइजिंग एजेंसी उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि. एनईडीएफआई हाउस, जीएस रोड, दिसपुर, गुवाहटी-781006



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA**

AND

**NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND
DEVELOPMENT CORPORATION
(NBCFDC)**

FOR

2012-13

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

एवं

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन
(एन.बी.सी.एफ.डी.सी.)

के मध्य

वर्ष 2012-13

समझौता ज्ञापन

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT, GOVERNMENT OF INDIA AND NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE
AND DEVELOPMENT CORPORATION**

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING) FOR THE YEAR 2012 – 13

BACKGROUND

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC), was incorporated on 13th January, 1992, as a company not for profit Under Section–25 of the Companies Act. As on date, the Authorised Share Capital of the Corporation is Rs.700.00 Crore and the paid-up capital is Rs. 672.35 Crore as on 31st January, 2012.

PART – I

VISION

To play a leading role in upliftment of economic status of the target group of Backward Classes.

MISSION

To provide concessional financial assistance to the eligible members of Backward Classes for self-employment ventures and skill development.

OBJECTIVES

- (i) To promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes.
- (ii) To assist in the upgradation of technical and entrepreneurial skills of Backward Classes for proper and efficient management of production units.
- (iii) To enlarge the delivery system through Governmental and Non-Governmental channels.
- (iv) To enlarge the scope of the scheme to reach out to the maximum number of beneficiaries.
- (v) To maximise the utilisation of funds with a view to reach large number of beneficiaries.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं
नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (भारत सरकार का उपक्रम)

के मध्य वर्ष 2012-13 के लिए समझौता ज्ञापन

पृष्ठभूमि:

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) की स्थापना 13 जनवरी, 1992 को कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कम्पनी के रूप में हुई। निगम की अद्यतन प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 700 करोड़ तथा दिनांक 31 जनवरी 2012 तक प्रदत्त पूंजी रु. 672.35 करोड़ है।

भाग-1

दृष्टि

पिछड़े वर्गों के लक्ष्य समूह की आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

लक्ष्य

पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों एवं कौशल विकास हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।

उद्देश्य

- (i) पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना।
- (ii) उत्पादन इकाइयों के उचित एवं दक्ष प्रबन्ध में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के तकनीकी और उद्यमीय कौशलों के विकास हेतु सहायता करना।
- (iii) सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमों के जरिए वितरण प्रणाली का विस्तार करना।
- (iv) अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए योजना के क्षेत्र का विस्तार करना।
- (v) अधिक संख्या में लाभार्थियों तक पहुंच के उद्देश्य से धनराशि का अधिकतम उपयोग करना।



PART - II MOU ASSESSMENT FORMAT (NBCFDC) 2012-13

PART - II MOU ASSESSMENT FORMAT (NBCFDC) 2012-13								
Evaluation Criteria				MoU Targets				
1.	Static /Financial Parameters (40%)	UNIT	WEIGHTAGE (in %)	EXCELLENT (1)	V.GOOD (2)	GOOD (3)	FAIR (4)	POOR (5)
1.1	Gross Margin	Rs./Cr	10	17.85	17.00	16.15	15.34	14.58
1.2	Disbursements	Rs./Cr	14	200.00	190.00	181.00	172.00	163.00
1.3	Gross Margin / Total employment of the CPSE at the year end as per Audited Accounts	Ratio	02	0.37	0.35	0.34	0.32	0.30
1.4	Recoveries as a % of amount due (Cumulative)	%age	07	85.50	85.35	85.25	85.10	85.00
1.5	Recoveries as a % of amount overdue as on date 31.03.2012	%age	07	8.45	7.45	6.45	5.45	4.45
Sub Total 1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			40					
2	Non-financial Parameters (60%)							
2.1	No. of Beneficiaries assisted during the year	No.	11	132000	128000	122000	116000	110000
2.2	% age of beneficiaries inspected during the year	%age	10	5.00	4.00	3.50	3.00	2.50
2.3	% of beneficiaries found during inspection to have utilized the assistance for the intended purpose	%age	10	75	70	67	64	61
3.	%age Reduction in Non-performing assets	%age	05	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005
4.	No. of target group provided training under Entrepreneur-ship Development/skill development/ capacity building programme	No.	06	7500	7200	7000	6800	6600
5.	Participation in exhibitions for providing marketing platform for target group	No.	02	5	4	3	2	1
6.	Partnership with EDP institutes/ Vocational institutes to train beneficiaries.	No.	2.5	3	2	1	1	0
7.	Corporate Governance	As per DPE Guidelines dated 22.06.2011	05	-	-	-	-	-
8.	Human Resource Management	As per Annexure-3	05	As per Annexure-3				
9.	Submission of completed data for PE Survey to DPE	Timeline	01	15th Sept,12	1st Oct, 12	15th Oct, 12	31st Oct, 12	After 31st Oct,12
10.	Reservation for SC/ST & OBC in appointment	Yes/No	01	Yes				No
11.	Implementation of 2007 pay revision	Yes/No	01	Yes				No
12.	Submission of Report on compliance of DPE guidelines.	Timeline	0.5	30th June, 12	31st Aug,12	30th Sept,12	31st Oct,12	After 31st Oct,12
Sub Total - 2 (2 to 12)			60					
Total (1+2)			100					

भाग -II, समझौता ज्ञापन मूल्यांकन का प्रारूप (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) 2012-13								
	मूल्यांकन मानदण्ड			समझौता ज्ञापन लक्ष्य				
1.	स्थिर/वित्तीय संकेतक (40%)	इकाई	भार (%)	उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	साधारण (4)	घटिया (5)
1.1	सकल मार्जिन	रू/करोड़	10	17.85	17.00	16.15	15.34	14.58
1.2	वितरण	रू/करोड़	14	200.00	190.00	181.00	172.00	163.00
1.3	सकल मार्जिन/अंकेक्षित लेखा के अनुसार केन्द्रीय लोक उद्यम में वर्ष के अन्त में कुल सेवायोजन (कर्मचारी)	अनुपात	02	0.37	0.35	0.34	0.32	0.30
1.4	देय राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली (सकल)	प्रतिशत	07	85.50	85.35	85.25	85.10	85.00
1.5	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली	प्रतिशत	07	8.45	7.45	6.45	5.45	4.45
	कुल योग 1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		40					
2	गैर वित्तीय संकेतक (60%)							
2.1	वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सं.	संख्या	11	132000	128000	122000	116000	110000
2.2	वर्ष के दौरान निरीक्षित लाभार्थियों का प्रतिशत	प्रतिशत	10	5.00	4.00	3.50	3.00	2.50
2.3	निरीक्षण के दौरान पाए गए ऐसे लाभार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने इच्छित उद्देश्य हेतु सहायता का उपभोग किया है जिसके लिए उन्हें ऋण दिया गया था	प्रतिशत	10	75	70	67	64	61
3.	गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कटौती का प्रतिशत	प्रतिशत	05	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005
4.	लक्षित वर्ग की संख्या जिन्हें उद्यमीय विकास/कौशल विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया	संख्या	06	7500	7200	7000	6800	6600
5.	प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता हेतु लक्षित वर्ग के लिए विपणन प्लेटफार्म उपलब्ध कराना	संख्या	02	5	4	3	2	1
6.	लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु ई.डी.पी. संस्थानों/ व्यावसायिक संस्थानों के साथ सहभागिता	संख्या	2.5	3	2	1	1	0
7.	कारपोरेट प्रशासन	डी.पी.ई. गाइडलाइन दिनांक 22.06.11 के अनुसार	05	-	-	-	-	-
8.	मानव संसाधन विकास	अनुलग्नक-3 के अनुसार	05	अनुलग्नक 3 के अनुसार				
9.	लोक उद्यम का पूर्ण आंकड़े लोक उद्यम विभाग को सर्वेक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना	समय सीमा	01	15 सितंबर, 12	1 अक्टूबर, 12	15 अक्टूबर, 12	31 अक्टूबर, 12	31 अक्टूबर, 12 के बाद
10.	नियुक्तियों में अनु.जाति/जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण	हां/नहीं	01	हाँ				नहीं
11.	वेतन संशोधन, 2007 का क्रियान्वयन	हां/नहीं	01	हाँ				नहीं
12.	डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों पर अनुपालन हेतु प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना	समय-सीमा	0.5	30 जून, 12	31 अगस्त, 12	30 सितंबर, 12	31 अक्टूबर, 12	31 अक्टूबर, 12 के बाद
	उप योग - 2 (2 से 12)		60					
	योग (1+2)		100					

PART – III

DELEGATION OF POWERS

All powers delegated to MOU signing PSEs vide DPE OM number BPE I(18)/88-Fin. (PPU) dated 19.10.88 and subsequent amendments from time to time will be available to NBCFDC.

PART – IV

ASSISTANCE FROM THE GOVERNMENT

1. Government of India will assist the Corporation in realisation of outstanding dues from the defaulting States.
2. Government of India will ensure the release of equity funds as per approved plan, well in time to the Corporation.
3. Government of India will assist the Corporation by requesting RBI/Banks/Other Financial Institutions to help the Corporation to reach larger clientele through them.
4. The Government of India will assist in securing State Government Guarantee against the financial assistance provided to the State Channelising Agencies and persuade the State Governments, UTs not to charge commission for such guarantees from State Channelising Agencies.
5. Govt. of India will also consider to reimburse the expenditure incurred by the corporation on training and up-gradation of skills of target group, evaluation studies and inspection of beneficiaries to check the status of possession of assets and impact on their income level.
6. Govt. of India will assist the Corporation in persuading the State Governments to strengthen the State Channelising Agencies with adequate resources and staff.
7. NBCFDC will also like to execute similar MOU with SCAs. The Govt. of India may request the State Governments to this effect for signing tripartite MOU.
8. Government of India may convene meetings at senior level with officials of State Governments/ UT's dealing with the backward classes (BCs), with a view to improve the performance particularly of low performing State Channelling Agencies.
9. The Ministry may explore the possibility of getting back money from the SCAs defaulting for more than one year, from the planned fund allocation of the respective States in consultation with Finance Ministry.

PART – V

FREQUENCY OF MONITORING AND INFORMATION FLOW

NBCFDC will provide a quarterly progress report to the Ministry of SJ&E for review on achievement of targets. It will be evaluated by DPE at the end of the financial year.

Signed at New Delhi on the 22nd day of March of the year 2012.

Sd/-
[A.A. NAQVI]
Managing Director
NBCFDC

Sd/-
[K.M. ACHARYA]
Secretary
Ministry of SJ&E
Govt. of India

भाग - 3

शक्तियों का प्रत्यायोजन

लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या बी.पी.ई. 1(18)/88- वित्त(पी.पी.यू.) दिनांक 19.10.88 एवं तत्पश्चात समय-समय पर जारी संशोधनों के तहत, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रत्यायोजित समस्त शक्तियाँ एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को उपलब्ध होगी।

भाग - 4

सरकार से सहायता

1. भारत सरकार चूक करने वाले राज्यों से बकाया राशि की वसूली में निगम को सहायता करेगी।
2. भारत सरकार निगम को अनुमोदित योजना के अनुसार समय पर पर्याप्त इक्विटी धनराशि की निर्मुक्ति सुनिश्चित करेगी।
3. भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं से निगम को अधिक संख्या में लक्ष्य समूहों को सहायता करने हेतु अनुरोध करेगी।
4. भारत सरकार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को प्रदान की गई सहायता के प्रति राज्य शासकीय गारण्टी प्राप्त करने में सहायता करेगी एवं राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को प्रदान की गई इस प्रकार की गारण्टी पर कमीशन न चार्ज किए जाने हेतु आग्रह करेगी।
5. भारत सरकार, निगम द्वारा लक्षित वर्ग के कौशल अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षण, मूल्यांकन अध्ययन एवं परिसम्पत्तियों के आधिपत्य की स्थिति की जांच एवं आय स्तर पर प्रभाव को जानने हेतु लाभार्थियों के निरीक्षण पर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति पर विचार करेगी।
6. भारत सरकार निगम को, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सुदृढ़ करने हेतु पर्याप्त संसाधन एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य सरकारों को अनुश्रवण करने में सहायता प्रदान करेगी।
7. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. इसी प्रकार का समझौता ज्ञापन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के साथ भी निष्पादित करना चाहेगा। भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के लिए इस आशय हेतु राज्य सरकारों को अनुरोध किया जा सकता है।
8. भारत सरकार द्वारा कम कार्य निष्पादन करने वाली राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की प्रगति में सुधार लाने के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों (बी.सी.) से सम्बन्धित कार्य देख रहे राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी स्तर की बैठकों का आयोजन किया जा सकता है।
9. एक वर्ष से अधिक समय से चूक करने वाली राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से, वित्त मंत्रालय के परामर्श से सम्बन्धित राज्यों को योजनान्तर्गत आर्वाटिट निधि से, धन की वापसी की संभावनाओं का मंत्रालय द्वारा पता लगाया जाएगा।

भाग - 5

मॉनीटरिंग की आवृत्ति तथा सूचना प्रवाह

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रेषित की जाएगी। इसका मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जाएगा।

दिनांक 22 मार्च 2012 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित।

ह०
(ए.ए. नक्वी)
प्रबन्ध निर्देशक
एन.बी.सी.एफ.डी.सी.

ह०
(के. एम. आचार्य)
सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

National Backward Classes Finance and Development Corporation

Self assesment of MoU Performance for the year 2012-13 (Audited)

1.	Evaluation Criteria			2012-2013 MoU TARGETS		
		UNIT	Weight (in %)	EXCELLENT	V.GOOD	Achievement (Audited) 31.03.2013
1.1	Gross Margin	Rs./Cr	10	17.85	17.00	25.88
1.2	Disbursements	Rs./Cr	14	200.00	190.00	225.20
1.3	Gross Margin / Total employment of the CPSE at the year end as per Audited Accounts	Ratio	2	0.37	0.35	0.55
1.4	Recoveries as a % of amount due (Cumulative)	%age	7	85.50	85.35	89.48
1.5	Recoveries as a % of amount overdue as on 31.03.2012	%age	7	8.45	7.45	14.87
Sub Total 1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			40			
2.	Non-financial Parameters (60%)					
2.1	No. of Beneficiaries assisted during the year	Nos.	11	132000	128000	145970
2.2	% age of beneficiaries inspected during the year	%age	10	5	4	5.22
2.3	% of beneficiaries found during inspection to have utilised the assistance for the intended purpose	%age	10	75	70	91.17
3.	% of Reduction in Non-performing assets	%age	5	0.010	0.008	0.060
4.	No. of target group provided training under Enterpreneurship Development/skill development/capacity building programme	No.	6	7500	7200	13112
5.	Participation in exhibitions for providing marketing platform for target group.	No.	2	5	4	9
6.	Partnetship with EDP Institutes / Vocational Institutes train beneficiaries.	No.	2.5	3	2	4
7.	Corporate Governance	As per DPE Guidelines dated 22.06.2011	5	Yes	-	Compliance Reports 30.04.13 (Annual)
8.	Human Resource management	As per Annexure 3 of MoU	5	Yes	-	Annexure 12 enclosed
9.	Submission of completed data for PE Survey to DPE	Timeline	1	15th Sept. 12	1st Oct. 12	11th Sept. 12
10.	Reservation for SC/ST & OBC in appointment	Yes/No	1	Yes	-	Yes
11.	Implementation of 2007 pay revision	Yes/No	1	Yes	-	Yes
12.	Submission of Report on compliance of DPE guidelines	Timeline	0.5	30th June' 12	31st Aug '12	29th June 12
Sub Total - 2 (2 to 12)			60			
Total (1+2)			100			

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

वित्तीय वर्ष 2012-2013 (अंकेक्षित) हेतु समझौता ज्ञापन के कार्यनिष्पादन पर स्व-मूल्यांकन

1.	मूल्यांकन मानदण्ड			2012-2013 समझौता ज्ञापन लक्ष्य		
		इकाई	भार (in %)	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	उपलब्धियां (अंकेक्षित) 31.03.2013
1.1	सकल मार्जिन	रू/करोड़	10	17.85	17.00	25.88
1.2	वितरण	रू/करोड़	14	200.00	190.00	225.20
1.3	सकल मार्जिन/अंकेक्षित लेखा के अनुसार केन्द्रीय लोक उद्यम में वर्ष के अन्त में कुल सेवायोजन (कर्मचारी)	अनुपात	2	0.37	0.35	0.55
1.4	देय राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली (सकल)	प्रतिशत	7	85.50	85.35	89.48
1.5	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली	प्रतिशत	7	8.45	7.45	14.87
उप योग 1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			40			
2.	गैर वित्तीय संकेतक (60%)					
2.1	वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सं.	संख्या	11	132000	128000	145970
2.2	वर्ष के दौरान निरीक्षित लाभार्थियों का प्रतिशत	प्रतिशत	10	5	4	5.22
2.3	निरीक्षण के दौरान पाए गए ऐसे लाभार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने उसी उद्देश्य हेतु ऋण का उपयोग किया है जिसके लिए उन्हें ऋण दिया गया था.	प्रतिशत	10	75	70	91.17
3.	गैर-निष्पादित परिसम्पतियों में कटौती का प्रतिशत	प्रतिशत	5	0.010	0.008	0.060
4.	लक्षित वर्ग की संख्या जिन्हें उद्यमीय विकास/कौशल विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया	संख्या	6	7500	7200	13112
5.	प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता हेतु लक्षित वर्ग के लिए विपणन प्लेटफार्म उपलब्ध कराना	संख्या	2	5	4	9
6.	लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु ई.डी.पी. संस्थानों/व्यावसायिक संस्थानों के साथ सहभागिता	संख्या	2.5	3	2	4
7.	कारपोरेट प्रशासन	डी.पी.ई. गाइडलाइन दिनांक. 22.06.11 के अनुसार	5	हाँ	-	अनुपालन रिपोर्ट 30.04.13 (वार्षिक)
8.	मानव संसाधन विकास	समझौता ज्ञापन के अनुलग्नक-3 के अनुसार	5	हाँ	-	अनुलग्नक 12 संलग्न
9.	लोक उद्यम के पूर्ण आंकड़े लोक उद्यम विभाग को सर्वेक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना	समय सीमा	1	15 सितंबर, 12	1 अक्टूबर, 12	11 सितंबर, 12
10.	नियुक्तियों में अनु. जा./अनु. जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण	हाँ/नहीं	1	हाँ	-	हाँ
11.	वेतन संशोधन. 2007 का क्रियान्वयन	हाँ/नहीं	1	हाँ	-	हाँ
12.	डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों पर अनुपालन हेतु प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना	समय सीमा	0.5	30 जून, 12	31 अगस्त, 12	29 जून, 12
उप योग - 2 (2 से 12)			60			
योग - (1 और 2)			100			

SCA & State-wise loan disbursement during the last three years and cumulative Disbursement & no. of beneficiaries as on 31st March' 13

S.N.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's				Cumulative as on 31.03.2013	
		2010-11	2011-12	2012-13	Disbursement	No. of Beneficiaries
I. 1	STATES					
	1.1 Andhra Pradesh (BC)	}	0.00	0.00	16116.73	331793
	1.2 Andhra Pradesh (Toddy Tapper)					
	1.3 Andhra Pradesh (Others)					
	Sub Total (1.1 to 1.3)	0.00	0.00	0.00	17400.46	337549
2	Assam					
	2.1 Assam (Artfed)	}	100.00	50.00	680.00	3912
	2.2 Assam (BC)					
	2.3 Assam (Electronics)					
	Sub Total (2.1 to 2.3)	100.00	50.00	0.00	1694.42	5456
3	Bihar (BC)	18.00	0.00	0.00	3910.54	8928
4	Chhattishgarh (SC/ST)	155.63	382.00	25.00	1167.32	2165
5	Goa (SC/ST/BC)	140.00	50.00	400.00	1322.73	1258
6	Gujarat					
	6.1 Gujarat (BC)	}	0.00	100.00	7429.79	13743
	6.2 Guajrat (Gopalak)					
	6.3 Guajrat (Thakor)					
	6.4 Gujarat (Others)					
	Sub Total (6.1 to 6.4)	470.25	671.02	855.00	11647.57	26731
7	Haryana (BC)	300.00	1000.00	500.00	6307.15	32722
8	Himachal Pradesh (BC)	373.33	339.98	343.50	4240.65	5533
9	Jammu & Kashmir					
	9.1 Jammu & Kashmir (SC)	}	50.00	50.00	271.88	527
	9.2 Jammu & Kashmir (Women)					
	Sub Total (9.1 to 9.2)	175.00	220.00	175.00	992.48	2689
10	Jharkhand (Tribal)	0.00	0.00	0.00	545.30	1128
11	Karnataka (BC)	2400.00	2000.00	2000.00	25699.19	176154
12	Kerala					
	12.1 Kerala (Artisan)	}	0.00	50.00	330.29	781
	12.2 Kerala (BC)					
	12.3 Kerala (Christian Converts)					
	12.4 Kerala (Fisheries)					
	12.5 Kerala (Handicraft)					
	12.6 Kerala (Polymer)					
	12.7 Kerala (Women)					
	Sub Total (12.1 to 12.7)					
13	Madhya Pradesh					
	13.1 Madhya Pradesh (SC)	}	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2 Madhya Pradesh (BC)					
	13.3 Madhya Pradesh (Hastshilp)					
	Sub Total (13.1 to 13.3)	0.00	0.00	0.00	5284.51	19117

गत तीन वर्षों के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी एवं राज्य-वार ऋण का वितरण एवं
31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार सकल वितरण व लाभार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सकल				
		2010-11	2011-12	2012-13	वितरण	लाभार्थियों की संख्या
1.	राज्य आन्ध्र प्रदेश 1.1 आन्ध्र प्रदेश (बीसी) 1.2 आन्ध्र प्रदेश (टोडी टैपर्स) 1.3 आन्ध्र प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	16116.73	331793
		0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
		0.00	0.00	0.00	20.00	210
		उप योग (1.1 से 1.3)	0.00	0.00	0.00	17400.46
2	असम 2.1 असम (अर्टफेड) 2.2 असम (बी.सी.) 2.3 असम (इलेक्ट्रानिक्स)	100.00	50.00	0.00	680.00	3912
		0.00	0.00	0.00	556.78	876
		0.00	0.00	0.00	457.64	668
		उप योग (2.1 से 2.3)	100.00	50.00	0.00	1694.42
3	बिहार (बी.सी.)	18.00	0.00	0.00	3910.54	8928
4	छत्तीसगढ़ (एस.सी/एस.टी)	155.63	382.00	25.00	1167.32	2165
5	गोवा (एस.सी/एस.टी/बी.सी)	140.00	50.00	400.00	1322.73	1258
6	गुजरात 6.1 गुजरात (बी.सी) 6.2 गुजरात (गोपालक) 6.3 गुजरात (ठाकोर) 6.4 गुजरात (अन्य)	0.00	100.00	0.00	7429.79	13743
		200.25	331.02	305.00	2087.78	6383
		270.00	240.00	550.00	2085.00	5405
		0.00	0.00	0.00	45.00	1200
		उप योग (6.1 से 6.4)	470.25	671.02	855.00	11647.57
7	हरियाणा (बी.सी)	300.00	1000.00	500.00	6307.15	32722
8	हिमाचल प्रदेश (बी.सी)	373.33	339.98	343.50	4240.65	5533
9	जम्मू और कश्मीर 9.1 जम्मू और कश्मीर (एस.सी.) 9.2 जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	50.00	50.00	0.00	271.88	527
		125.00	170.00	175.00	720.60	2162
		उप योग (9.1 से 9.2)	175.00	220.00	175.00	992.48
10	झारखण्ड (ट्राइबल)	0.00	0.00	0.00	545.30	1128
11	कर्नाटक (बी.सी)	2400.00	2000.00	2000.00	25699.19	176154
12	केरल 12.1 केरल (आर्टीजन) 12.2 केरल (बी.सी) 12.3 केरल (क्रिश्चियन कनवर्ट) 12.4 केरल (फिशरीज) 12.5 केरल (हैण्डिक्राफ्ट) 12.6 केरल (पालीमर) 12.7 केरल (वीमेन)	0.00	50.00	0.00	330.29	781
		3500.00	4550.00	5000.00	41682.27	170387
		0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
		2500.00	1300.00	4000.00	13309.83	148948
		0.00	42.50	0.00	311.50	1159
		25.00	50.00	50.00	140.00	521
		150.00	200.00	300.00	2975.74	9971
		उप योग (12.1 से 12.7)	6175.00	6192.50	9350.00	59856.16
13	मध्य प्रदेश 13.1 मध्य प्रदेश (एस.सी) 13.2 मध्य प्रदेश (बी.सी) 13.3 मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
		0.00	0.00	0.00	3528.15	12895
		0.00	0.00	0.00	546.25	2706
		उप योग (13.1 से 13.3)	0.00	0.00	0.00	5284.51



S.N.	State Channelising Agencies (SCA)/States/UT's				Cumulative as on 31.03.2013	
14	Maharashtra					
14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	48.87	0.00	0.00	2077.99	3659
14.2	Maharashtra (VJNT)	600.00	1000.00	200.00	6172.83	18462
14.3	Maharashtra (Annasahib)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
14.4	Maharashtra (OBC)	600.00	1375.00	625.00	13064.15	38596
14.5	Maharashtra (Others)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
	Sub Total (14.1 to 14.5)	1248.87	2375.00	825.00	21389.97	61132
15	Manipur					
15.1	Manipur (Tribal)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
15.2	Manipur (Women)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
	Sub Total (15.1 to 15.2)	0.00	0.00	0.00	483.04	1061
16	North Eastern Dev. Fin. Corpn.	0.00	1000.00	1000.00	2000.00	28382
17	Orissa					
17.1	Orissa (BC)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
17.2	Orissa (Others)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
	Sub Total (17.1 to 17.2)	0.00	0.00	0.00	1435.61	6747
18	Punjab (BC)	450.00	500.00	400.00	3995.89	9397
19	Rajasthan					
19.1	Rajasthan (SC)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
19.2	Rajasthan (OBC)	400.00	1600.00	325.00	5802.14	18854
	Sub Total (19.1 to 19.2)	400.00	1600.00	325.00	6478.49	20067
20	Sikkim (SC/ST)	203.02	0.00	0.00	2512.86	4111
21	Tamilnadu					
21.1	Tamilnadu (BC)	3500.00	4000.00	5000.00	30511.97	447003
21.2	Tamilnadu (Women)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
21.3	Tamilnadu (Others)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
	Sub Total (21.1 to 21.3)	3500.00	4000.00	5000.00	30567.97	447563
22	Tripura (OBC)	100.73	100.00	600.00	1935.11	4763
23	Uttar Pradesh					
23.1	Uttar Pradesh (BC)	27.69	50.00	0.00	7477.80	27849
23.2	Uttar Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
	Sub Total (23.1 to 23.2)	27.69	50.00	0.00	7482.80	27899
24	Uttarakhand (Bahuudeshiya)	0.00	0.00	0.00	191.21	370
25	West Bengal					
25.1	West Bengal (BC)	561.68	662.37	100.00	7306.52	30050
25.2	West Bengal (Minorities)	300.00	250.00	100.00	750.00	6830
25.3	West Bengal (Others)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
	Sub Total (25.1 to 25.3)	861.68	912.37	200.00	8071.52	37180
	TOTAL-STATES (1 - 25)	17099.20	21442.87	21998.50	226612.95	1603282
II.	UT's					
26	Chandigarh (SC/BC)	0.00	5.00	0.00	95.37	222
27	Delhi (SC/ST/OBC)	34.00	17.00	21.25	365.76	577
28	Puducherry					
28.1	Puducherry (Adidravidar)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
28.2	Puducherry (BC)	400.00	100.00	500.00	1867.37	6034
	Sub Total (28.1 to 28.2)	400.00	100.00	500.00	2022.13	6159
	Total - UT's (26 - 28)	434.00	122.00	521.25	2483.26	6958
III.	GRAND TOTAL (I + II)	17533.20	21564.87	22519.75	229096.21	1610240

क्रम संख्या	राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसी (एससीए) राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र				31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सकल	
14	महाराष्ट्र					
14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फूले)	48.87	0.00	0.00	2077.99	3659
14.2	महाराष्ट्र (बी.जे.एन.टी)	600.00	1000.00	200.00	6172.83	18462
14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
14.4	महाराष्ट्र (ओ.बी.सी.)	600.00	1375.00	625.00	13064.15	38596
14.5	महाराष्ट्र (अन्य)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
	उप योग (14.1 से 14.5)	1248.87	2375.00	825.00	21389.97	61132
15	मणिपुर					
15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
15.2	मणिपुर (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
	उप योग (15.1 से 15.2)	0.00	0.00	0.00	483.04	1061
16	नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनैन्स कारपोरेशन	0.00	1000.00	1000.00	2000.00	28382
17	उड़ीसा					
17.1	उड़ीसा (बी.सी)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
17.2	उड़ीसा (अन्य)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
	उप योग (17.1 से 17.2)	0.00	0.00	0.00	1435.61	6747
18	पंजाब (बी.सी)	450.00	500.00	400.00	3995.89	9397
19	राजस्थान					
19.1	राजस्थान (एस.सी)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
19.2	राजस्थान (ओ.बी.सी)	400.00	1600.00	325.00	5802.14	18854
	उप योग (19.1 से 19.2)	400.00	1600.00	325.00	6478.49	20067
20	सिक्किम (एस.सी/एस.टी)	203.02	0.00	0.00	2512.86	4111
21	तमिलनाडु					
21.1	तमिलनाडु (बी.सी)	3500.00	4000.00	5000.00	30511.97	447003
21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
21.3	तमिलनाडु (अन्य)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
	उप योग (21.1 से 21.3)	3500.00	4000.00	5000.00	30567.97	447563
22	त्रिपुरा (ओ.बी.सी)	100.73	100.00	600.00	1935.11	4763
23	उत्तर प्रदेश					
23.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी)	27.69	50.00	0.00	7477.80	27849
23.2	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
	उप योग (23.1 से 23.2)	27.69	50.00	0.00	7482.80	27899
24	उत्तराखण्ड (बहुउद्योगीय)	0.00	0.00	0.00	191.21	370
25	पश्चिम बंगाल					
25.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी)	561.68	662.37	100.00	7306.52	30050
25.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	300.00	250.00	100.00	750.00	6830
25.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
	उप योग (25.1 से 25.3)	861.68	912.37	200.00	8071.52	37180
	कुल राज्य (1 - 25)	17099.20	21442.87	21998.50	226612.95	1603282
II.	संघ राज्य क्षेत्र					
26	चण्डीगढ़ (एस.सी./बी.सी.)	0.00	5.00	0.00	95.37	222
27	दिल्ली (एस.सी/एस.टी./ओ.बी.सी.)	34.00	17.00	21.25	365.76	577
28	पुडुचेरी					
28.1	पुडुचेरी (आदिद्विदार)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
28.2	पुडुचेरी (बी.सी)	400.00	100.00	500.00	1867.37	6034
	उप योग (28.1 से 28.2)	400.00	100.00	500.00	2022.13	6159
	कुल संघ राज्य क्षेत्र (26 - 28)	434.00	122.00	521.25	2483.26	6958
III.	कुल योग (I + II)	17533.20	21564.87	22519.75	229096.21	1610240

Status of State Channelising Agencies (SCAs) Which Did Not Draw Funds During 2012-2013

S.No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2012-13	Reasons
1.	Andhra Pradesh	02	1. A.P. Backward Classes Co-operative Finance Corpn. Ltd. 2. A.P. Toddy Tappers Co-operative Finance Corpn.	1. A.P. Backward Classes Co-operative Finance Corpn. Ltd. 2. A.P. Toddy Tappers Co-operative Finance Corpn.	As per State Government directive, the SCA stopped drawing funds from NBCFDC
2.	Assam	03	1. Assam State Development Corporation for Other Backward Classes 2. Assam Electronics Dev. Corporation Ltd. 3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.	1. Assam State Development Corporation for other Backward Classes 2. Assam Electronics Dev. Corporation Ltd. 3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.	Annual action plan (AAP) not received. AAP not received. No Demand
3.	Bihar	01	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	Non availability of Guarantee. Default in loan repayment.
4.	Chandigarh	01	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corpn.	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corpn.	No Demand
5.	Gujarat	03	1. Gujarat Backward Classes Dev. Corpn. 2. Gujarat Gopalak Dev. Corporation Ltd. 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam.	1. Gujarat Backward Classes Dev. Corporation.	Default in loan repayment
6.	Jammu & Kashmir	02	1. Jammu & Kashmir SCs/STs & OBCs Dev. Corporation Ltd. 2. Jammu & Kashmir State Women's Dev. Corpn. Ltd.	1. Jammu & Kashmir SCs/STs & OBCs Dev. Corporation Ltd	Non availability of Govt. Guarantee.
7.	Jharkhand	01	1. Jharkhand ST Cooperative Development Corporation Ltd.	1. Jharkhand ST Cooperative Development Corporation Ltd.	No Demand
8.	Kerala	07	1. Kerala State Artisans Development Corpn. Ltd. 2. Kerala State Dev. Corporation for Christian Converts from Scheduled Castes & Recommended Communities (Ltd;) 3. Handicrafts Dev. Corpn. of Kerala. 4. Kerala State Backward Classes Dev. Corpn. Ltd. 5. Kerala State Co-operative Federation for Fisheries Development Ltd. 6. Kerala State Palmyrah Products Developmen and Workers' Welfare Corporation Ltd. 7. Kerala State Women's Development Corpn. Ltd	1. Kerala State Artisans Development Corporation Ltd. 2. Kerala State Development Corporation for Christian Converts from Scheduled Castes & Recommended Communities (Ltd;) 3. Handicrafts Dev. Corpn. of Kerala.	No Demand Non-availability of Guarantee. No Demand

राज्य चैनेलाइजिंग एजेसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति जिन्होंने वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित नहीं की

क्र.सं.	राज्य का नाम	रा.चै.ए. की सं०	नामित रा.चै.ए. का नाम	वर्ष 2012-13 के दौरान निधि का आहरण न कर पाने वाली रा.चै.ए. के नाम	कारण
1.	आन्ध्र प्रदेश	02	1. आन्ध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन 2. आन्ध्र प्रदेश टोडुडी टैपर्स को-ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन	1. आन्ध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन 2. आन्ध्र प्रदेश टोडुडी टैपर्स को-ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेसी ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण लेना बंद कर दिया।
2.	असम	03	1. असम प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर ओ.बी.सी. 2. असम इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. 3. असम एपेक्स वीवर्स एण्ड आर्टीसन्स कोऑपरेटिव फेडरेशन लि.	1. असम प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर ओ.बी.सी. 2. असम इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. 3. असम एपेक्स वीवर्स एण्ड आर्टीसन्स कोऑपरेटिव फेडरेशन लि.	वर्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं है। वर्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं है। मांग नहीं की गई।
3.	बिहार	01	1. बिहार प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,	1. बिहार प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,	शासकीय गारंटी की अनुपलब्धता। ऋण पुनर्भुगतान में चूक।
4.	चंडीगढ़	01	1. चण्डीगढ़ एस.सी./ बी.सी. एण्ड माइनोंरिटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. चण्डीगढ़ एस.सी./ बी.सी. एण्ड माइनोंरिटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	माँग नहीं की गई
5.	गुजरात	03	1. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. 3. गुजरात ठाकुर एवं कोली विकास निगम	1. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	ऋण पुनर्भुगतान में चूक।
6.	जम्मू एण्ड कश्मीर	02	1. जम्मू एण्ड कश्मीर एस.सी./ एस.टी. एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. 2. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. जम्मू एण्ड कश्मीर एस.सी./ एस.टी. एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	शासकीय गारंटी की अनुपलब्धता
7.	झारखण्ड	01	1. झारखण्ड एस.टी. कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. झारखण्ड एस.टी. कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	माँग नहीं की गई
8.	केरल	07	1. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. 2. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्राम शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड रिकमॉडिड कम्यूनिटीज(लि.) 3. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल 4. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. 5. केरल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन फॉर फिशरीज डेवलपमेंट लि. 6. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एण्ड वर्क्स वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि. 7. केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	1. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. 2. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्राम शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड रिकमॉडिड कम्यूनिटीज (लि.) 3. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल	माँग नहीं की गई गारंटी की अनुपलब्धता माँग नहीं की गई

S.No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2012-13	Reasons
9.	Madhya Pradesh	02	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastship Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	11. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastship Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	AAP not received. Default in repayment of loan AAP not received.
10.	Manipur	02	1. Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society 2. Manipur State Women's Dev. Corporation	1. Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society 2. Manipur State Women's Dev. Corporation	AAP not received. Non-availability of Govt. Guarantee
11.	Mizoram	01	1. Mizoram Co-operative Apex Bank Ltd.	1. Mizoram Co-operative Apex Bank Ltd.	AAP not received and General Loan Agreement not executed by SCA.
12.	Orissa	01	1. Orissa B.C. Dev. Finance Co-operative Corpn. Ltd.	1. Orissa B.C. Dev. Finance Co-operative Corpn. Ltd.	Default in loan repayment.
13.	Sikkim	01	1. Sikkim SC/ST & OBCs Dev. Corpn. Ltd.	1. Sikkim SC/ST & OBCs Dev. Corpn. Ltd.	Non-availability of Block Govt. Guarantee. Default in Loan repayment.
14.	Tamil Nadu	02	1. Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corpn. 2. Tamil Nadu Corporation for Dev. of Women Ltd.	2. Tamil Nadu Corporation for Dev. of Women Ltd.	AAP not received
15.	Uttarakhand	01	1. Uttaranchal Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	1. Uttaranchal Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	No Demand
16.	Uttar Pradesh	01	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd.,	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd.,	Default in loan repayment. Non availability of Bloc Govt. Guarantee.
17.	Andaman & Nicobar Islands	01	1. Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd.	1. Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd.	AAP not received and General Loan Agreement not executed by SCA.
18.	Dadra & Nagar Haveli	01	1. Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu SC/ST, OBC & Minorities Financial & Development Corporation	1. Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu SC/ST, OBC & Minorities Financial & Development Corporation	AAP not received and General Loan Agreement not executed by SCA.

क्र.सं.	राज्य का नाम	रा.चै.ए. की सं०	नामित रा.चै.ए. का नाम	वर्ष 2012-13 के दौरान निधि का आहरण न कर पाने वाली रा.चै.ए. के नाम	कारण
9.	मध्य प्रदेश	02	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई। ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक। वार्षिक कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई
10.	मणिपुर	02	1. मणिपुर माइनोंरिटीज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी 2. मणिपुर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. मणिपुर माइनोंरिटीज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी 2. मणिपुर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई। शासकीय गारण्टी की आवश्यकता।
11.	मिजोरम	01	1. मिजोरम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि.	1. मिजोरम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि.	वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई एवं रा.चै.ए. द्वारा सामान्य ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया गया।
12.	उड़ीसा	01	1. उड़ीसा बी.सी. फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि.	1. उड़ीसा बी.सी. फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि.	ऋण पुनर्भुगतान में चूक।
13.	सिक्किम	01	1. सिक्किम अनुसूचित जाति/ जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग विकास निगम लि.	1. सिक्किम अनुसूचित जाति/ जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग विकास निगम लि.	शासकीय गारंटी की अनुपलब्धता। ऋण पुनर्भुगतान में चूक।
14.	तमिलनाडु	02	1. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 2. तमिलनाडु कॉरपोरेशन फार डेवलपमेंट ऑफ वीमेन लि.	2. तमिलनाडु कॉरपोरेशन फार डेवलपमेंट ऑफ वीमेन लि.	वार्षिक कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई।
15.	उत्तराखण्ड	01	1. उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	1. उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	मांग नहीं की गई।
16.	उत्तर प्रदेश	01	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	ऋण पुनर्भुगतान में चूक। शासकीय गारंटी की अनुपलब्धता।
17.	अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	01	1. अंदमान एंड निकोबार आईसलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	1. अंदमान एंड निकोबार आईसलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	वार्षिक कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा सामान्य ऋण अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया।
18.	दादर एण्ड नगर हवेली	01	1. दादरा एवं नगर हवेली, दमन एण्ड दीव एस. सी/एस.टी/ओ.बी.सी. एण्ड माइनोंरिटीज फाइनेंशियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि	1. दादरा एवं नगर हवेली, दमन एण्ड दीव एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी. एण्ड माइनोंरिटीज फाइनेंशियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि	वार्षिक कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा सामान्य ऋण अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया।

SCA/Statewise & Scheme wise Loan Disbursement and Beneficiaries Assisted during the Year 2012-13

Financial : Rs. in Lac

Physical : No. of Beneficiaries

S.No.	NAME OF SCAs/ STATES/UTs	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEMES		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
		Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
I.	STATES								
1	Assam (Artfed)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2	Chattisgarh (SC/ST)	25.00	50	0.00	0	0.00	0	25.00	50
3	Goa (SC/ST/BC)	378.00	477	5.00	20	17.00	85	400.00	582
4	Gujarat								
4.1	Gujarat (BC)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.2	Gujarat (Thakor)	485.00	1028	37.00	230	28.00	190	550.00	1448
4.3	Gujarat (Gopalak)	291.00	670	14.00	95	0.00	0	305.00	765
	Sub Total (4.1 to 4.3)	776.00	1698	51.00	325	28.00	190	855.00	2213
5	Haryana (BC)	500.00	1325	0.00	0	0.00	0	500.00	1325
6	Himachal Pradesh (BC)	307.50	428	36.00	155	0.00	0	343.50	583
7	Jammu & Kashmir								
7.1	Jammu & Kashmir (SC/BC)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.2	Jammu & Kashmir (Women)	160.00	440	0.00	0	15.00	150	175.00	590
	Sub Total (7.1 to 7.2)	160.00	440	0.00	0	15.00	150	175.00	590
8	Karnataka (BC)	1446.28	7189	422.32	3930	131.40	1636	2000.00	12755
9	Kerala								
9.1	Kerala (BC)	3000.00	4989	1200.00	13886	800.00	10175	5000.00	29050
9.2	Kerala (Artisan)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.3	Kerala (Handicraft)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.4	Kerala (Fisheries)	1000.00	2566	1700.00	16500	1300.00	12400	4000.00	31466
9.5	Kerala (Polymer)	45.00	132	5.00	35	0.00	0	50.00	167
9.6	Kerala (Women)	300.00	1000	0.00	0	0.00	0	300.00	1000
	Sub Total (9.1 to 9.6)	4345.00	8687	2905.00	30421	2100.00	22575	9350.00	61683
10	Maharashtra								
10.1	Maharashtra (OBC)	403.50	823	103.00	687	118.50	783	625.00	2293
10.2	Maharashtra (VJNT)	200.00	620	0.00	0	0.00	0	200.00	620
	Sub Total (10.1 to 10.2)	603.50	1443	103.00	687	118.50	783	825.00	2913
11	North Eastern Dev. Fin.Corp.	0.00	0	0.00	0	1000.00	10000	1000.00	10000
12	Punjab (BC)	400.00	830	0.00	0	0.00	0	400.00	830
13	Rajasthan (OBC)	325.00	725	0.00	0	0.00	0	325.00	725
14	Tamil Nadu (BC)	1224.00	2832	221.00	817	3555.00	44411	5000.00	48060
15	Tripura (OBC)	600.00	1359	0.00	0	0.00	0	600.00	1359
16	Uttar Pradesh (BC)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17	West Bengal								
17.1	West Bengal (BC)	100.00	200	0.00	0	0.00	0	100.00	200
17.2	West Bengal (Minorities)	100.00	310	0.00	0	0.00	0	100.00	310
	Sub Total (17.1 to 17.2)	200.00	510	0.00	0	0.00	0	200.00	510
	TOTAL - STATES (1 - 17)	11290.28	27993	3743.32	36355	6964.90	79830	21998.50	144178
II.	UT's								
18	Chandigarh (SC/BC)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19	Delhi (SC/ST/OBC)	21.25	60	0.00	0	0.00	0	21.25	60
20	Puducherry (BC)	430.00	1332	70.00	400	0.00	0	500.00	1732
	TOTAL - UT's (18 - 20)	451.25	1392.00	70.00	400.00	0.00	0.00	521.25	1792.00
III.	GRAND TOTAL (I+II)	11741.53	29385	3813.32	36755	6964.90	79830	22519.75	145970

वर्ष 2012-13 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/राज्य-वार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी

क्रम संख्या	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य ऋण योजना		लघु वित्त योजना		महिला समृद्धि योजना		योग	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
I.	राज्य								
1	असम (आर्टीफेड)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2	छत्तीसगढ़ (एस.सी/एस.टी)	25.00	50	0.00	0	0.00	0	25.00	50
3	गोवा (एस.सी/एस.टी/बी.सी)	378.00	477	5.00	20	17.00	85	400.00	582
4	गुजरात								
4.1	गुजरात (बी.सी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.2	गुजरात (ठाकोर)	485.00	1028	37.00	230	28.00	190	550.00	1448
4.3	गुजरात (गोपालक)	291.00	670	14.00	95	0.00	0	305.00	765
	उप योग (4.1 से 4.3)	776.00	1698	51.00	325	28.00	190	855.00	2213
5	हरियाणा (बी.सी)	500.00	1325	0.00	0	0.00	0	500.00	1325
6	हिमाचल प्रदेश (बी.सी)	307.50	428	36.00	155	0.00	0	343.50	583
7	जम्मू और कश्मीर								
7.1	जम्मू और कश्मीर (एस.सी/बी.सी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.2	जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	160.00	440	0.00	0	15.00	150	175.00	590
	उप योग (7.1 से 7.2)	160.00	440	0.00	0	15.00	150	175.00	590
8	कर्नाटक (बी.सी.)	1446.28	7189	422.32	3930	131.40	1636	2000.00	12755
9	केरल								
9.1	केरल (बी.सी)	3000.00	4989	1200.00	13886	800.00	10175	5000.00	29050
9.2	केरल (आर्टीजन)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.3	केरल (हैण्डिक्रा.)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.4	केरल (फिशरीज)	1000.00	2566	1700.00	16500	1300.00	12400	4000.00	31466
9.5	केरल (पोलीमर)	45.00	132	5.00	35	0.00	0	50.00	167
9.6	केरल (वीमेन)	300.00	1000	0.00	0	0.00	0	300.00	1000
	उप योग (9.1 से 9.6)	4345.00	8687	2905.00	30421	2100.00	22575	9350.00	61683
10	महाराष्ट्र								
10.1	महाराष्ट्र (ओ.बी.सी.)	403.50	823	103.00	687	118.50	783	625.00	2293
10.2	महाराष्ट्र (वी.जे.एन.टी)	200.00	620	0.00	0	0.00	0	200.00	620
	उप योग (10.1 से 10.2)	603.50	1443	103.00	687	118.50	783	825.00	2913
11	नार्थ इस्टर्न डेवेलपमेन्ट फाइनेंस का.	0.00	0	0.00	0	1000.00	10000	1000.00	10000
12	पंजाब (बी.सी.)	400.00	830	0.00	0	0.00	0	400.00	830
13	राजस्थान (ओ.बी.सी)	325.00	725	0.00	0	0.00	0	325.00	725
14	तमिलनाडु (बी.सी)	1224.00	2832	221.00	817	3555.00	44411	5000.00	48060
15	त्रिपुरा (ओ.बी.सी)	600.00	1359	0.00	0	0.00	0	600.00	1359
16	उत्तर प्रदेश (बी.सी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17	पश्चिम बंगाल								
17.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी)	100.00	200	0.00	0	0.00	0	100.00	200
17.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	100.00	310	0.00	0	0.00	0	100.00	310
	उप योग (17.1 से 17.2)	200.00	510	0.00	0	0.00	0	200.00	510
	कुल राज्य (1 - 17)	11290.28	27993	3743.32	36355	6964.90	79830	21998.50	144178
II.	संघ राज्य क्षेत्र								
18	चण्डीगढ़ (एस.सी/बी.सी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19	दिल्ली (एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी)	21.25	60	0.00	0	0.00	0	21.25	60
20	पुडुचेरी (बी.सी)	430.00	1332	70.00	400	0.00	0	500.00	1732
	कुल संघ राज्य क्षेत्र (18 - 20)	451.25	1392.00	70.00	400.00	0.00	0.00	521.25	1792.00
III.	कुल योग (I+II)	11741.53	29385	3813.32	36755	6964.90	79830	22519.75	145970

National Backward Classes Finance and Development Corporation Statewise/ Schemewise & Sectorwise Disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2012-2013

As on 31.03.2013

State Wise	A. TERM LOAN																	Sub-Total	
	Agriculture & Allied		Small Business		Service /Transport Sector		Education Loan				New Swarnima		Shilp Sampadha		Saksham		Term Loan		
	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	In India	Abroad	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	
Assam	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
Bihar	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
Chandigarh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
Chattisgarh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	25.00	50	
Delhi	0.00	0	21.25	60	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	21.25	60	
Goa	40.00	47	100.00	117	100.00	55	25.00	50	0.00	0	20.00	40	73.00	146	20.00	22	378.00	477	
Gujarat	272.75	730	138.00	275	161.75	237	72.70	146	0.00	0	91.80	260	0.00	0	39.00	50	776.00	1698	
Haryana	60.00	170	120.00	340	120.00	340	50.00	100	0.00	0	50.00	175	50.00	150	50.00	50	500.00	1325	
Himachal Pradesh	52.78	86	47.18	83	84.92	62	86.00	135	0.00	0	20.12	38	8.50	15	8.50	9	308.00	428	
Jammu & Kashmir	0.00	0	0.00	0	0.00	0	20.00	26	0.00	0	140.00	414	0.00	0	0.00	0	160.00	440	
Jharkhand	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
Karnataka	140.44	472	129.68	436	170.24	236	45.14	54	4.50	2	932.48	5934	10.20	47	13.60	8	1446.28	7189	
Kerala	1315.00	2276	1240.00	2553	413.00	497	617.00	2062	50.00	26	330.00	896	150.00	204	230.00	173	4345.00	8687	
Madhya Pradesh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
Maharashtra	121.25	206	264.50	725	111.75	289	52.50	102	0.00	0	28.50	95	12.50	13	12.50	13	603.50	1443	
Puducherry	43.00	142	55.00	160	32.00	100	300.00	930	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	430.00	1332	
Punjab	80.00	160	80.00	160	40.00	110	100.00	200	0.00	0	100.00	200	0.00	0	0.00	0	400.00	830	
Rajasthan	0.00	0	125.00	200	0.00	0	0.00	0	0.00	0	200.00	525	0.00	0	0.00	0	325.00	725	
Sikkim	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
Tamil Nadu	432.00	1700	264.00	560	44.00	52	224.00	200	0.00	0	168.00	252	52.00	52	40.00	16	1224.00	2832	
Tripura	105.00	340	118.00	330	150.00	133	120.00	240	0.00	0	59.00	173	43.00	123	0.00	0	595.00	1339	
Uttar Pradesh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
NEDFI	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
West Bengal	0.00	0	50.00	142	0.00	0	50.00	168	0.00	0	100.00	200	0.00	0	0.00	0	200.00	510	
Grand Total:	2662.22	6329	2752.61	6141	1427.66	2111	1762.34	4413	54.50	28	2264.90	9252	399.20	750	413.60	341	11737.03	29365	

नेशनल बैंकवर्ड क्लॉसेज़ फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण एवं लाभार्थियों की संख्या

31.03.2013 को

राज्यवार	क. टर्म लोन										उप योग						
	कृषि एवं सहायक		छोटे व्यापार		सेवा/परिवहन क्षेत्र		शैक्षिक ऋण		चई स्वर्णिमा		शिल्प संपदा		सक्षम		टर्म लोन		
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	भारत में	विदेश में	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	
असम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
बिहार	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	25.00	50	0.00	0	0.00	0	25.00	50	0
दिल्ली	0.00	0	21.25	60	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	21.25	60	0
गोवा	40.00	47	100.00	117	100.00	55	25.00	50	20.00	40	73.00	146	20.00	22	378.00	477	0
गुजरात	272.75	730	138.00	275	161.75	237	72.70	146	91.80	260	0.00	0	39.00	50	776.00	1698	0
हरियाणा	60.00	170	120.00	340	120.00	340	50.00	100	50.00	175	50.00	150	50.00	50	500.00	1325	0
हिमाचल प्रदेश	52.78	86	47.18	83	84.92	62	86.00	135	20.12	38	8.50	15	8.50	9	308.00	428	0
जम्मू एण्ड कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	20.00	26	0.00	0	140.00	414	0.00	0	160.00	440	0
झारखण्ड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
कर्नाटक	140.44	472	129.68	436	170.24	236	45.14	54	932.48	5934	10.20	47	13.60	8	1446.28	7189	0
केरल	1315.00	2276	1240.00	2553	413.00	497	617.00	2062	50.00	26	150.00	204	230.00	173	4345.00	8687	0
मध्यप्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
महाराष्ट्र	121.25	206	264.50	725	111.75	289	52.50	102	28.50	95	12.50	13	12.50	13	603.50	1443	0
पुडुचेरी	43.00	142	55.00	160	32.00	100	300.00	930	0.00	0	0.00	0	0.00	0	430.00	1332	0
पंजाब	80.00	160	80.00	160	40.00	110	100.00	200	100.00	200	0.00	0	0.00	0	400.00	830	0
राजस्थान	0.00	0	125.00	200	0.00	0	0.00	0	200.00	525	0.00	0	0.00	0	325.00	725	0
सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
तमिलनाडु	432.00	1700	264.00	560	44.00	52	224.00	200	168.00	252	52.00	52	40.00	16	1224.00	2832	0
त्रिपुरा	105.00	340	118.00	330	150.00	133	120.00	240	59.00	173	43.00	123	0.00	0	595.00	1339	0
उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
नेडफो	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
पश्चिम बंगाल	0.00	0	50.00	142	0.00	0	50.00	168	100.00	200	0.00	0	0.00	0	200.00	510	0
कुल योग	2662.22	6329	2752.61	6141	1427.66	2111	1762.34	4413	2264.90	9252	399.20	750	413.60	341	11737.03	29365	0

National Backward Classes Finance & Development Corporation

Statewise/ Schemewise Disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2012-2013

(As on 31.03.2013)

State Wise	B. Micro Finance												(TL+MFS)	
	Micro Finance		Mahila Samridhi		Krishi Sampada		Sub Total		Grand Total (A+B)		Benef.	Benef.		
	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.				
Assam	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	
Bihar	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	
Chandigarh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	
Chattisgarh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	25.00	50	0	
Delhi	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	21.25	60	0	
Goa	5.00	20	15.00	75	2.00	10	22.00	105	400.00	582	855.00	2213	0	
Gujarat	41.00	285	28.00	190	10.00	40	79.00	515	855.00	2213	0	0	0	
Haryana	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	500.00	1325	0	0	0	
Himachal Pradesh	36.00	155	0.00	0	0.00	0	36.00	155	344.00	583	0	0	0	
Jammu & Kashmir	0.00	0	15.00	150	0.00	0	15.00	150	175.00	590	0	0	0	
Jharkhand	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	
Karnataka	422.32	3930	109.44	1152	21.96	484	553.72	5566	2000.00	12755	9350.00	61683	0	
Kerala	2905.00	30421	2100.00	22575	0.00	0	5005.00	52996	0.00	0	0.00	0	0	
Madhya Pradesh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	825.00	2913	0	0	0	
Maharashtra	103.00	687	110.00	733	8.50	50	221.50	1470	500.00	1732	0	0	0	
Puducherry	70.00	400	0.00	0	0.00	0	70.00	400	400.00	830	0	0	0	
Punjab	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	325.00	725	0	0	0	
Rajasthan	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	
Sikkim	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	4995.00	48060	0	0	0	
Tamil Nadu	216.00	800	3540.00	44360	15.00	51	3771.00	45211	600.00	1359	0	0	0	
Tripura	0.00	0	0.00	0	5.00	20	5.00	20	0.00	0	0.00	0	0	
Uttar Pradesh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1000.00	10000	0	0	0	
NEDFI	0.00	0	1000.00	10000	0.00	0	1000.00	10000	200.00	510	0	0	0	
West Bengal	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	10778.22	116588	22515.25	145970	0	
Grand Total:	3798.32	36698	6917.44	79235	62.46	655	10778.22	116588	22515.25	145970				

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

वर्ष 2012-13 की अवधि में राज्य-वार/योजनावार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

(31.03.2013 को)

राज्यवार	ख. लघु वित्त												(सावधि ऋण+लघु वित्त)	
	लघु वित्त		महिला समृद्धि		कृषि संघदा		उप योग		कुल योग (क+ख)		लाभार्थी	लाभार्थी		
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी				
असम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
बिहार	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	25.00	50	21.25	60
दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	400.00	582	400.00	582
गोवा	5.00	20	15.00	75	2.00	10	22.00	105	79.00	515	855.00	2213	855.00	2213
गुजरात	41.00	285	28.00	190	10.00	40	79.00	515	0.00	0	500.00	1325	500.00	1325
हरियाणा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	36.00	155	344.00	583	344.00	583
हिमाचल प्रदेश	36.00	155	0.00	0	0.00	0	0.00	0	15.00	150	175.00	590	175.00	590
जम्मू एण्ड कश्मीर	0.00	0	15.00	150	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
झारखण्ड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	553.72	5666	2000.00	12755	2000.00	12755
कर्नाटक	422.32	3930	109.44	1152	21.96	484	553.72	5666	5005.00	52996	9350.00	61683	9350.00	61683
केरल	2905.00	30421	2100.00	22575	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	221.50	1470	825.00	2913	825.00	2913
महाराष्ट्र	103.00	687	110.00	733	8.50	50	221.50	1470	70.00	400	500.00	1732	500.00	1732
पुद्दुचेरी	70.00	400	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	400.00	830	400.00	830
पंजाब	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	325.00	725	325.00	725
राजस्थान	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3771.00	45211	4995.00	48060	4995.00	48060
तमिलनाडु	216.00	800	3540.00	44360	15.00	51	3771.00	45211	5.00	20	600.00	1359	600.00	1359
त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	5.00	20	5.00	20	0.00	0	0.00	0	0.00	0
उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1000.00	10000	1000.00	10000	1000.00	10000
नेडफी	0.00	0	1000.00	10000	0.00	0	1000.00	10000	0.00	0	200.00	510	200.00	510
पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
कुल योग:	3798.32	36698	6917.44	79235	62.46	655	10778.22	116588	22515.25	145970	22515.25	145970	22515.25	145970

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)

Statement showing Coverage of Women Beneficiaries under Mahila Samridhi Yojana &
New Swarnima Scheme during 2012-13

Rs. / Lakhs

S.No	Name of State	2012-13			
		New Swarnima		Mahila Samridhi	
		Financial	Physical	Financial	Physical
1.	Chattisgarh	25.00	50	0	0
2.	Goa	20.00	40	15.00	75
3.	Gujarat	91.80	260	28.00	190
4.	Haryana	50.00	175	0	0
5.	Himachal Pradesh	20.12	38	0	0
6.	Jammu & Kashmir	140.00	414	15.00	150
7.	Karnataka	932.48	5934	109.44	1152
8.	Kerala	330.00	896	2100.00	22575
9.	Maharashtra	28.50	95	110.00	733
10.	Punjab	100.00	200	0	0
11.	Rajasthan	200.00	525	0	0
12.	Tamil Nadu	168.00	252	3540.00	44360
13.	Tripura	59.00	173	0	0
14.	NEDFI	0	0	1000.00	10000
15.	West Bengal	100.00	200	0	0
	Total:	2264.90	9252	6917.44	79235

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

वर्ष 2012-13 के दौरान नई स्वर्णिमा योजना एवं महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों के आच्छादन को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रु. /लाख)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2012-13			
		नई स्वर्णिमा		महिला समृद्धि	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1.	छत्तीसगढ़	25.00	50	0	0
2.	गोवा	20.00	40	15.00	75
3.	गुजरात	91.80	260	28.00	190
4.	हरियाणा	50.00	175	0	0
5.	हिमाचल प्रदेश	20.12	38	0	0
6.	जम्मू एण्ड कश्मीर	140.00	414	15.00	150
7.	कर्नाटक	932.48	5934	109.44	1152
8.	केरल	330.00	896	2100.00	22575
9.	महाराष्ट्र	28.50	95	110.00	733
10.	पंजाब	100.00	200	0	0
11.	राजस्थान	200.00	525	0	0
12.	तमिलनाडु	168.00	252	3540.00	44360
13.	त्रिपुरा	59.00	173	0	0
14.	नेडफ्री	0	0	1000.00	10000
15.	पश्चिम बंगाल	100.00	200	0	0
	योग :	2264.90	9252	6917.44	79235

National Backward Classes Finance and Development Corporation

Statement Showing SCA Wise/State Wise Cumulative Dues and Recoveries
upto 31st March, 2013

Rs. in Lac.

S.N.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
		(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
I.	<u>STATES</u>				
1	Andhra Pradesh				
1.1	Andhra Pradesh (BC)	18453.96	18453.96	0.00	100
1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	1571.49	1611.99	-40.50	103
1.3	Andhra Pradesh (Others)	21.29	21.29	0.00	100
	Sub Total (1.1 to 1.3)	20046.74	20087.24	-40.50	100
2	<u>Assam</u>				
2.1	Assam (BC)	295.38	254.34	41.04	86
2.2	Assam (Electronics)	367.08	367.08	0.00	100
2.3	Assam (Others)	607.18	588.20	18.98	97
	Sub Total (2.1 to 2.3)	1269.64	1209.62	60.02	95
3	Bihar (BC)	4575.91	2167.80	2408.11	47
4	Chhattishgarh (SC/ST)	588.70	584.75	3.95	99
5	Goa (SC/ST/BC)	741.40	741.40	0.00	100
6	<u>Gujarat</u>				
6.1	Gujarat (BC)	8981.55	6250.42	2731.13	70
6.2	Guajrat (Gopalak)	936.57	882.14	54.43	94
6.3	Guajrat (Thakor)	628.27	627.89	0.38	100
6.4	Gujarat (Others)	46.94	46.94	0.00	100
	Sub Total (6.1 to 6.4)	10593.33	7807.39	2785.94	74
7	Haryana (BC)	4585.90	4141.48	444.42	90
8	Himachal Pradesh (BC)	3083.63	3083.32	0.31	100
9	<u>Jammu & Kashmir</u>				
9.1	Jammu & Kashmir (SC)	102.90	100.58	2.32	98
9.2	Jammu & Kashmir (Women)	238.90	238.73	0.17	100
	Sub Total (9.1 to 9.2)	341.80	339.31	2.49	99
10	Jharkhand (Tribal)	462.87	289.40	111.19	63
11	Karnataka (BC)	18355.90	18355.90	0.00	100
12	<u>Kerala</u>				
12.1	Kerala (Artisan)	291.11	290.93	0.18	100
12.2	Kerala (BC)	27457.69	27442.98	14.71	100
12.3	Kerala (Christian Converts)	1096.61	1096.61	0.00	100
12.4	Kerala (Fisheries)	6954.54	6946.60	7.94	100
12.5	Kerala (Handicraft)	195.69	195.28	0.41	100
12.6	Kerala (Polymer)	18.56	18.55	0.01	100
12.7	Kerala (Women)	2356.47	2356.00	0.47	100
	Sub Total (12.1 to 12.7)	38370.67	38346.95	23.72	100
13	<u>Madhya Pradesh</u>				
13.1	Madhya Pradesh (SC)	1522.06	1393.17	128.89	92
13.2	Madhya Pradesh (BC)	4775.95	1797.88	2978.07	38
13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	623.75	623.75	0.00	100
	Sub Total (13.1 to 13.3)	6921.76	3814.80	3106.96	55

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

दिनांक 31 मार्च, 2013 तक एस.सी.ए./राज्य वार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए./राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
		(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
1.	राज्य				
1	आंध्र प्रदेश				
1.1	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)	18453.96	18453.96	0.00	100
1.2	आंध्र प्रदेश (टोडडी टेपर)	1571.49	1611.99	-40.50	103
1.3	आंध्र प्रदेश (अन्य)	21.29	21.29	0.00	100
	उप योग (1.1 से 1.3)	20046.74	20087.24	-40.50	100
2	असम				
2.1	असम (बी.सी.)	295.38	254.34	41.04	86
2.2	असम (इलैक्ट्रानिक्स)	367.08	367.08	0.00	100
2.3	असम (अन्य)	607.18	588.20	18.98	97
	उप योग (2.1 to 2.3)	1269.64	1209.62	60.02	95
3	बिहार (बी.सी.)	4575.91	2167.80	2408.11	47
4	छत्तीसगढ़ (एस.सी/एस.टी)	588.70	584.75	3.95	99
5	गोवा (एस.सी/एस.टी/बी.सी)	741.40	741.40	0.00	100
6	गुजरात				
6.1	गुजरात (बी.सी.)	8981.55	6250.42	2731.13	70
6.2	गुजरात (गोपालक)	936.57	882.14	54.43	94
6.3	गुजरात(ठाकोर)	628.27	627.89	0.38	100
6.4	गुजरात (अन्य)	46.94	46.94	0.00	100
	उप योग (6.1 से 6.4)	10593.33	7807.39	2785.94	74
7	हरियाणा (बी.सी.)	4585.90	4141.48	444.42	90
8	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	3083.63	3083.32	0.31	100
9	जम्मू एण्ड कश्मीर				
9.1	जम्मू एण्ड कश्मीर (एस.सी.)	102.90	100.58	2.32	98
9.2	जम्मू एण्ड कश्मीर (वीमेन)	238.90	238.73	0.17	100
	उप योग (9.1 से 9.2)	341.80	339.31	2.49	99
10	झारखण्ड (ट्राइबल)	462.87	289.40	111.19	63
11	कर्नाटक (बी.सी.)	18355.90	18355.90	0.00	100
12	केरल				
12.1	केरल (आर्टीजन)	291.11	290.93	0.18	100
12.2	केरल (बी.सी.)	27457.69	27442.98	14.71	100
12.3	केरल (क्रिश्चियन कनवर्ट)	1096.61	1096.61	0.00	100
12.4	केरल (फिशरीज)	6954.54	6946.60	7.94	100
12.5	केरल (हैंडीक्राफ्ट)	195.69	195.28	0.41	100
12.6	केरल (पोलीमर)	18.56	18.55	0.01	100
12.7	केरल (वीमेन)	2356.47	2356.00	0.47	100
	उप योग (12.1 से 12.7)	38370.67	38346.95	23.72	100
13	मध्य प्रदेश				
13.1	मध्य प्रदेश (एस.सी.)	1522.06	1393.17	128.89	92
13.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	4775.95	1797.88	2978.07	38
13.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	623.75	623.75	0.00	100
	उप योग (13.1 से 13.3)	6921.76	3814.80	3106.96	55

S.N.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
		(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
14	<u>Maharashtra</u>				
14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	2226.32	2202.49	23.83	99
14.2	Maharashtra (VJNT)	5418.16	4626.23	791.93	85
14.3	Maharashtra (Annasahib)	3.97	3.97	0.00	100
14.4	Maharashtra (OBC)	9791.61	8978.79	812.82	92
14.5	Maharashtra (Others)	25.08	25.08	0.00	100
	Sub Total (14.1 to 14.5)	17465.14	15836.56	1628.58	91
15	<u>Manipur</u>				
15.1	Manipur (Tribal)	280.96	117.48	163.48	42
15.2	Manipur (Women)	91.44	91.44	0.00	100
	Sub Total (15.1 to 15.2)	372.40	208.92	163.48	56
16	North Eastern Dev. Fin. Corpn.	176.88	175.34	1.54	99
17	<u>Orissa</u>				
17.1	Orissa (BC)	1774.94	667.05	1107.89	38
17.2	Orissa (Others)	43.77	28.26	15.51	65
	Sub Total (17.1 to 17.2)	1818.71	695.31	1123.40	38
18	Punjab (BC)	2324.08	2043.71	280.37	88
19	<u>Rajasthan</u>				
19.1	Rajasthan (SC)	462.81	462.78	0.03	100
19.2	Rajasthan (OBC)	2077.30	1825.03	252.27	88
	Sub Total (19.1 to 19.2)	2540.11	2287.81	252.30	90
20	Sikkim (SC/ST)	2241.09	1749.56	491.53	78
21	<u>Tamilnadu</u>				
21.1	Tamilnadu (BC)	20956.12	20954.31	1.81	100
21.2	Tamilnadu (Women)	52.68	52.68	0.00	100
21.3	Tamilnadu (Others)	10.11	3.80	6.31	38
	Sub Total (21.1 to 21.3)	21018.91	21010.79	8.12	100
22	Tripura (OBC)	870.15	867.66	2.49	100
23	<u>Uttar Pradesh</u>				
23.1	Uttar Pradesh (BC)	9291.08	4817.83	4473.25	52
23.2	Uttar Pradesh (Others)	9.50	0.50	9.00	6
	Sub Total (23.1 to 23.2)	9300.58	4818.33	4482.25	52
24	Uttarakhand (Bahuudeshiya)	163.49	157.10	6.39	96
25	<u>West Bengal</u>				
25.1	West Bengal (BC)	5765.81	4725.64	1040.17	82
25.2	West Bengal (Minorities)	322.84	322.83	0.01	100
25.3	West Bengal (Others)	16.32	16.32	0.00	100
	Sub Total (25.1 to 25.3)	6104.97	5064.79	1040.18	83
	TOTAL - STATES (1 - 25)	174334.76	155885.23	18449.53	
II.	UT's				
26	Chandigarh (SC/BC)	72.23	72.14	0.09	100
27	Delhi (SC/ST/OBC)	271.39	265.14	6.25	98
28	<u>Puducherry</u>				
28.1	Puducherry (Adidravidar)	177.65	177.65	0.00	100
28.2	Puducherry (BC)	632.64	632.64	0.00	100
	Sub Total (28.1 to 28.2)	810.29	810.29	0.00	100
	TOTAL - UTs (26 - 28)	1153.91	1147.57	6.34	
III.	GRAND TOTAL (I + II)	175488.67	157032.80	18455.87	89.48

Note : The Percentage of recoveries in Column 4 has been rounded off.

क्रम संख्या	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एम.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
		(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
14	महाराष्ट्र				
14.1	महाराष्ट्र (महॉत्मा फूले)	2226.32	2202.49	23.83	99
14.2	महाराष्ट्र (वी.जे.एन.टी.)	5418.16	4626.23	791.93	85
14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	3.97	3.97	0.00	100
14.4	महाराष्ट्र (ओ.बी.सी.)	9791.61	8978.79	812.82	92
14.5	महाराष्ट्र (अन्य)	25.08	25.08	0.00	100
	उप योग (14.1 से 14.5)	17465.14	15836.56	1628.58	91
15	मणिपुर				
15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	280.96	117.48	163.48	42
15.2	मणिपुर (बीमन)	91.44	91.44	0.00	100
	उप योग (15.1 से 15.2)	372.40	208.92	163.48	56
16	नार्थ इस्टर्न डेवेलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन	176.88	175.34	1.54	99
17	उड़ीसा				
17.1	उड़ीसा (बी.सी.)	1774.94	667.05	1107.89	38
17.2	उड़ीसा (अन्य)	43.77	28.26	15.51	65
	उप योग (17.1 से 17.2)	1818.71	695.31	1123.40	38
18	पंजाब (बी.सी.)	2324.08	2043.71	280.37	88
19	राजस्थान				
19.1	राजस्थान (एम.सी.)	462.81	462.78	0.03	100
19.2	राजस्थान (ओ.बी.सी.)	2077.30	1825.03	252.27	88
	उप योग (19.1 से 19.2)	2540.11	2287.81	252.30	90
20	सिक्किम (एम.सी.एस.टी.)	2241.09	1749.56	491.53	78
21	तमिलनाडु				
21.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	20956.12	20954.31	1.81	100
21.2	तमिलनाडु (बीमन)	52.68	52.68	0.00	100
21.3	तमिलनाडु (अन्य)	10.11	3.80	6.31	38
	उप योग (21.1 से 21.3)	21018.91	21010.79	8.12	100
22	त्रिपुरा (ओ.बी.सी.)	870.15	867.66	2.49	100
23	उत्तर प्रदेश				
23.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	9291.08	4817.83	4473.25	52
23.2	उत्तर प्रदेश (अन्य)	9.50	0.50	9.00	6
	उप योग (23.1 से 23.2)	9300.58	4818.33	4482.25	52
24	उत्तराखण्ड (बहुदेशीय)	163.49	157.10	6.39	96
25	पश्चिम बंगाल				
25.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी.)	5765.81	4725.64	1040.17	82
25.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	322.84	322.83	0.01	100
25.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	16.32	16.32	0.00	100
	उप योग (25.1 से 25.3)	6104.97	5064.79	1040.18	83
	कुल - राज्य (1 - 25)	174334.76	155885.23	18449.53	
II.	संघ राज्य क्षेत्र				
26	चंडीगढ़ (एम.सी./बी.सी.)	72.23	72.14	0.09	100
27	दिल्ली (एम.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.)	271.39	265.14	6.25	98
28	पुडुच्चेरी				
28.1	पुडुच्चेरी (अद्विद्रविदार)	177.65	177.65	0.00	100
28.2	पुडुच्चेरी (बी.सी.)	632.64	632.64	0.00	100
	कुल योग (28.1 से 28.2)	810.29	810.29	0.00	100
	कुल - संघ राज्य क्षेत्र (26 - 28)	1153.91	1147.57	6.34	
III.	कुल योग (I + II)	175488.67	157032.80	18455.87	89.48

टिप्पणी : कॉलम 4 में वसूली के प्रतिशत को पूर्ण अंक में प्रदर्शित किया गया है।



NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Training Programme for the year 2012-13

S.No.	State Name	Name of Trades	No. of Target Group Trained in Skill Development/EDP/ Capacity Building Programme
1	Andhra Pradesh	Retail Management	100
2	Assam	Retail Management	200
3	Bihar	SMART Operator (Basic)	850
		Garment Construction Technique	20
		SMART Operator (B+A)	60
		Retail Management	250
		Comprehensive Training Programme on Perfumery Industry	60
4	Chandigarh	Retail Management	25
5	Chattisgarh	SMART Operator (Basic)	50
		Retail Management	25
6	Delhi	SMART Operator (Basic)	50
		Retail Management	50
	Goa	Retail Management	25
7	Gujarat	SMART Operator (Basic)	200
		Retail Management	50
8	Haryana	SMART Operator (Basic)	500
		Retail Management	75
		DTP	40
9	J&K	Jute Accessories	700
		Spy/Tie/Dye & Mirror Work	200
10	Jharkhand	SMART Operator (Basic)	220
11	Karnataka	SMART Operator (Basic)	600
		Retail Management	50
		Capacity Building	1000
12	Kerala	Garment Construction Technique	30
		SMART Operator (B+A)	60
		Retail Management	50
		Capacity Building	3000
13	Madhya Pradesh	SMART Operator (Basic)	200
		Retail Management	100
		Geriatric Care Housekeeping	25
14	Maharashtra	SMART Operator (Basic)	400
		Production Supervision & Quality Control (PSQC)	30
		SMART Operator (B+A)	60
		Retail Management	50
15	Manipur	Retail Management	320
16	Odisha	SMART Operator (Basic)	40
		Retail Management	25

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

वर्ष 2012-13 के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम

क्रम संख्या	राज्य का नाम	व्यवसाय का नाम	कौशल विकास कार्यक्रम/ई.डी.पी./क्षमता निर्माण कार्यक्रम में प्रशिक्षित लक्षित वर्ग की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	खुदरा बिक्री प्रबंधन	100
2	असम	खुदरा बिक्री प्रबंधन	200
3	बिहार	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	850
		वस्त्र निर्माण तकनीक	20
		स्मार्ट आपरेटर (बी+ए.)	60
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	250
		परफ्यूम उद्योग पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	60
4	चंडीगढ़	खुदरा बिक्री प्रबंधन	25
5	छत्तीसगढ़	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	50
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	25
6	दिल्ली	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	50
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	50
	गोवा	खुदरा बिक्री प्रबंधन	25
7	गुजरात	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	200
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	50
8	हरियाणा	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	500
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	75
		डी.टी.पी.	40
9	जम्मू एवं कश्मीर	जूट का सामान	700
		स्पाई/टाई/डाई एवं मिरर कार्य	200
10	झारखण्ड	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	220
11	कर्नाटक	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	600
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	50
		क्षमता निर्माण	1000
12	केरल	वस्त्र निर्माण तकनीक	30
		स्मार्ट आपरेटर (बी+ए.)	60
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	50
		क्षमता निर्माण	3000
13	मध्य प्रदेश	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	200
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	100
		बृद्धों की देख-रेख	25
14	महाराष्ट्र	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	400
		उत्पादन देख-रेख एवं गुणवत्ता नियंत्रण	30
		स्मार्ट आपरेटर (बी+ए.)	60
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	50
15	मणिपुर	खुदरा बिक्री प्रबंधन	320
16	उड़ीसा	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	40
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	25



17	Punjab	SMART Operator (Basic)	390
		Retail Management	25
18	Pudduchery	Retail Management	25
19	Rajasthan	SMART Operator (Basic)	350
		Retail Management	25
20	Tamil Nadu	SMART Operator (Basic)	300
		Retail Management	100
		Cell Phone Servicing	50
		Web Designing	50
		Network & Net security	50
21	Tripura	Retail Management	25
		Mobile phone repairing	30
		Capacity Building	20
22	Uttar Pradesh	SMART Operator (Basic)	870
		Retail Management	50
		Garment Construction Technique	20
		SMART Operator (B+A)	90
		Production Supervision & Quality Control (PSQC)	15
		Comprehensive Training Programme on Perfumery Industry	120
23	Uttarakhand	Retail Management	177
24	West Bengal	SMART Operator (Basic)	500
		Retail Management	40
		Total	13112

17	पंजाब	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	390
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	25
18	पुडुच्चेरी	खुदरा बिक्री प्रबंधन	25
19	राजस्थान	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	350
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	25
20	तमिलनाडू	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	300
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	100
		सेल फोन मरम्मत	50
		वेब डिजाइनिंग	50
		नेटवर्क एवं नेट सुरक्षा	50
21	त्रिपुरा	खुदरा बिक्री प्रबंधन	25
		मोबाइल फोन मरम्मत	30
		क्षमता निर्माण	20
22	उत्तर प्रदेश	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	870
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	50
		वस्त्र निर्माण तकनीक	20
		स्मार्ट आपरेटर (बी+ए.)	90
		उत्पादन देख-रेख एवं गुणवत्ता नियंत्रण	15
		परफ्यूम उद्योग पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	120
23	उत्तराखण्ड	खुदरा बिक्री प्रबंधन	177
24	पश्चिम बंगाल	स्मार्ट आपरेटर (बेसिक)	500
		खुदरा बिक्री प्रबंधन	40
		योग	13112

**Details of Exhibitions participated/organised by
NBCFDC during 2012-13**

S.N.	Exhibition	Duration	Location
1	Shilpotsav-2012 Dilli Haat, INA	1-11 November, 2012	New Delhi
2	India International Trade Fair, 2012 New Delhi	14-27 November, 2012	New Delhi
3	Kozhikode, Kerala Exhibition cum Trade Fair, 2012	20-24 December, 2012	Kerala
4	Cooperative Expo Pusa New Delhi	13-15 December, 2012	New Delhi
5	Milan Mela, Kolkata	24-30 December, 2012	West Bengal
6	Goa Lokotsav, Panji	7-16 January, 2013	Goa
7	Puducherry Exhibition	10-20 January, 2013	Puducherry
8	Suraj Kund Mela 2012, Faridabad	1-15 February, 2013	Haryana
9	Perambalur Exhibition cum Awareness Programme 2013	23-24 February, 2013	Tamil Nadu

वर्ष 2012-13 के दौरान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आयोजित प्रदर्शनियाँ/प्रतिभागिता का विवरण

क्र.सं.	प्रदर्शनी	अवधि	स्थान
1	शिल्पोत्सव 2012, दिल्ली हाट, आईएनए	1-11 नवंबर, 2012	नई दिल्ली
2	भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2012 नई दिल्ली	14-27 नवंबर, 2012	नई दिल्ली
3	कोजिकोड, केरल, प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला, 2012	20-24 दिसंबर, 2012	केरल
4	सहकारी एक्सो, पूसा नई दिल्ली	13-15 दिसंबर, 2012	नई दिल्ली
5	मिलन मेला, कोलकाता	24-30 दिसंबर, 2012	पश्चिम बंगाल
6	गोआ, लोकोत्सव, पणजी, गोआ	7-16 जनवरी, 2013	गोवा
7	पुडुचेरी प्रदर्शनी	10-20 जनवरी, 2013	पुडुचेरी
8	सूरजकुण्ड मेला, 2012 फरीदाबाद	1-15 फरवरी, 2013	हरियाणा
9	पेराम्बुलूर प्रदर्शनी एवं जागरूकता कार्यक्रम, 2013	23-24 फरवरी, 2013	तमिलनाडु

Evaluation & Impact Studies (2012-13)

Common observations and recommendation of the Evaluation & Impact Studies on NBCFDC Schemes conducted by NBCFDC through independent agencies viz. NABARD Consultancy Services, National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, APITCO Ltd. for the beneficiaries assisted during last five years

- ❖ **Beneficiaries who have crossed poverty line**

About 87% beneficiaries have crossed the poverty line after availing NBCFDC loan.
- ❖ **Verification of assets created**

The verification of assets created was undertaken. 87% beneficiaries have created assets out of loan provided.
- ❖ **Utilization of loan**

The analysis reflects that 91% of the beneficiaries have utilized the loan for the purpose they have taken. The reason for non-utilization by 9% may be failure in business or intentionally not utilizing.
- ❖ **Credit rating by SCA**

One of the Channelising Agency of NBCFDC-NEDFi has initiated the process of credit rating of SHGs before disbursement of Micro Finance Credit which lead to almost 100% repayment of loan by the SHGs.
- ❖ **Repayment of Loan**
 - 92% beneficiaries under Micro Finance repaying their loan regularly.
 - About 50% beneficiaries under Term Loan repaying their loan regularly.
- ❖ **Purpose of loan disbursed and utilization**

The loan assistance provided under the Micro Finance Scheme has been utilized mostly for the purpose of economic activities.
- ❖ **Selection of activity**

The activities were mostly self-selected (95%) by the beneficiaries as per their needs and skills they possess.
- ❖ **Source of information & awareness of scheme**
 - The major source of information to the beneficiaries still remains the words of mouth rather than electronic and mass media. The NBCFDC may search option to strengthen the information and awareness system at grass-root level.
 - 98% beneficiaries became aware of schemes from family and friends.
- ❖ **Status of Units established**

Nearly 89% of total activities established through Micro Finance assistance are operational i.e. performing well. While 8% are partially operational i.e. operating satisfactorily. One unit on average is giving employment to atleast two persons in a year which is more than the satisfactory achievement.
- ❖ **Economic impact of the Scheme**
 - At an average approximately 42% incremental change reported in total family income after availing NBCFDC loan assistance.

मूल्यांकन एवं प्रभाव अध्ययन (2012-13)

गत पाँच वर्षों में सहायता-प्राप्त लाभार्थियों के लिए एन.बी.सी. एफ.डी.सी. द्वारा स्वतंत्र एजेन्सियों जैसे नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विस, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राष्ट्रीय संस्थान, एपीआईटीसीओ लि. के माध्यम से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के मूल्यांकन एवं प्रभाव अध्ययनों पर सामान्य टिप्पणियाँ एवं सिफारिश।

❖ गरीबी रेखा पार कर चुके लाभार्थी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के ऋण का लाभ उठाने के पश्चात् लगभग 87% लाभार्थी गरीबी रेखा पार कर चुके हैं।

❖ सृजित परिसम्पत्तियों का सत्यापन

सृजित परिसम्पत्तियों का सत्यापन किया गया। प्रदान किए गए ऋण से 87% लाभार्थियों ने परिसम्पत्तियों का सृजन किया।

❖ ऋण का उपयोग

विश्लेषण से पता लगता है कि 91% लाभार्थियों ने ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए यह लिया गया था। 9% द्वारा ऋण का उपयोग न करने का कारण कारोबार में असफलता अथवा जान-बूझकर ऋण का उपयोग न करना है।

❖ एस.सी.ए. द्वारा क्रेडिट रेटिंग

माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट संवितरण से पहले एन.बी.सी.एफ.डी.सी.-एन.ई.डी. ऑफ आई. की एक चैनेलाइजिंग एजेंसी ने क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया शुरू की जिससे एस.एच.जी. द्वारा ऋण की लगभग 100% वापसी हुई है।

❖ ऋण की चुकौती

- माइक्रो फाइनेंस के अधीन 92% लाभार्थी अपना ऋण नियमित रूप से चुका रहे हैं
- सावधि ऋण के अधीन लगभग 50% लाभार्थी अपना ऋण नियमित रूप से चुका रहे हैं।

❖ संवितरित ऋण का उद्देश्य एवं उपयोग

माइक्रो फाइनेंस योजना के अधीन उपलब्ध कराई गई ऋण सहायता का अधिकतर उपयोग आर्थिक गतिविधियों के उद्देश्य के लिए हुआ है।

❖ गतिविधि का चयन

लाभार्थियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं कुशलताओं के अनुसार गतिविधियाँ अधिकतर स्वयं चुनी गई (95%)।

❖ सूचना का स्रोत एवं योजना की जानकारी

- लाभार्थियों के लिए सूचना का स्रोत इलैक्ट्रॉनिक अथवा जन संचार माध्यम न होकर अभी मुख्यतः एक दूसरे से सुनकर ही है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को निम्न स्तर तक सूचना पहुँचाने एवं जागरूकता लाने की प्रणाली का पता लगाना चाहिए।
- 98% लाभार्थी परिवार एवं मित्रों से योजनाओं के बारे में जान सके।

❖ स्थापित की गई इकाईयों का स्तर

माइक्रो फाइनेंस सहायता के माध्यम से स्थापित गतिविधियों की लगभग 89% गतिविधियाँ चालू हालत में हैं अर्थात् अच्छा कार्य कर रही हैं। 8% अंशतः चालू हैं अर्थात् संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं। औसतन एक इकाई साल में कम से कम दो व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कर रही है जो एक अच्छी उपलब्धि है।

❖ योजना का आर्थिक प्रभाव

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण सहायता का लाभ उठाने के बाद परिवार की कुल आय में लगभग 42% वृद्धि हुई है।

- 85% beneficiaries reported increase in their income level.

❖ **Perception bases response of beneficiaries**

95% of beneficiaries are satisfied with the assistance provided under Schemes of NBCFDC.

❖ **Training and Capacity Building**

There is a need of training and capacity building of the beneficiaries. The trainings were provided for duration of one week. There is still need to provide training for capacity building to all the beneficiaries as

only 15% beneficiaries reported attending training programme.

❖ **Time lag in sanction and disbursement of loan**

- Almost 98% of the respondents have opined delay in loan disbursement against stipulated period due to weak infrastructure at SCA level. On an average, beneficiary spends Rs.103/- towards documentation charges.
- Average time taken under Term Loan is more than the Micro Finance through SHGs.

- 85% लाभार्थियों द्वारा उनकी आय में वृद्धि को सूचित किया गया है।

क्योंकि मात्र 15% लाभार्थियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बारे में सूचित किया है।

❖ **लाभार्थियों का अवधारणा आधारित प्रत्युत्तर**

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के अधीन मुहैया कराई गई सहायता से 95% लाभार्थी संतुष्ट हैं।

❖ **ऋण स्वीकृत एवं संवितरण करने के बीच की समय अवधि**

- लगभग 98% लाभार्थियों ने राय व्यक्त की है कि एस.सी.ए. स्तर पर पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं न होने के कारण निर्धारित अवधि में ऋण संवितरित नहीं किया जाता। औसतन एक लाभार्थी दस्तावेजी शुल्क के रूप में रु. 103 खर्च करता है।

❖ **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण**

लाभार्थियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता अभी समस्त लाभार्थियों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण मुहैया कराने की जरूरत है

- सर्वाधिक ऋण के अन्तर्गत लिया गया औसतन समय एस.एच.जी. के माध्यम से लिए माइक्रो फाइनेंस से अधिक है।

ADDENDUM TO THE DIRECTOR'S REPORT (2012-13)

Replies of Management of NBCFDC on the observations of Statutory Auditors given in their Report for the year 2012-13 [Required under Section 217 (3) of the Companies Act 1956]

Sl. No. Observations of Statutory Auditors	The Replies of the Management
1. Note no. 5.2 in Note 5 of the balance sheet regarding implementation of SRMS scheme, as the same is not covered under the objects mentioned in the Memorandum & Articles of Association of the Corporation.	SRMS is being implemented by the Corporation in the States of U.P., Uttrakhand and J&K as per directions of the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Kind reference is also invited to note no. 5.2 of the Balance Sheet, which is self-explanatory.
2. Accounting Policy No.2.3 of Note – 22 regarding recognition of income on basis other than mercantile is not in conformity with the Accounting Standard-9 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The effect on accounts for this non-conformation is unascertained.	Necessary action is being taken for implementing requirement of Accounting Standard – 9, for which the required software shall be got developed at the earliest.

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-
(A.A. Naqvi)
Managing Director

Sd/-
(Sharad B. Londhe)
Director

Place : New Delhi
Date : 01.08.2013

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक (2012-13)

सांविधिक लेखा परीक्षकों की उनकी 2012-13 की रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों पर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के प्रबंधन का उत्तर
[कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(3) के अंतर्गत अपेक्षित]

क्रम सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
1. तुलन पत्र की टिप्पणी 5 की टिप्पणी सं. 5.2 एस.आर. एम.एस. योजना के क्रियान्वयन के संबंध में है जबकि यह निगम के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद में उल्लेखित उद्देश्य के अन्तर्गत नहीं आता है।	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में एस.आर.एम.एस. योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तुलन पत्र की टिप्पणी 5.2 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो स्वतः स्पष्ट है।
2. वाणिज्य लेखा-पद्धति के सिवाय, किसी अन्य आधार पर आय का पता लगाने के संबंध में अनुसूची-22 की लेखा नीति सं. 2.3, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक-9 के अनुरूप नहीं है। लेखे पर इसका प्रभाव अनिश्चित है।	लेखा मानक-9 के कार्यान्वयन की आवश्यकताओं हेतु आवश्यक कार्यवाई की जा रही है जिसके लिए उन्नत सॉफ्टवेयर शीघ्र ही विकसित कर लिया जायेगा।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त,

हं
(ए.ए. नकवी)
प्रबंध निदेशक

हं
(शरद बी. लोढे)
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2013

REPORT OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance: Philosophy

Corporate Governance refers to set of systems, principles and processes by which any organization is governed and function. They provide the broad guidelines as to how the organization has to be directed or controlled so that it can fulfill its goals and objectives in a manner that beneficial to all the stakeholders of the organization in the long term.

NBCFDC believes that good governance should entail trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to the Government policies. The main objectives of the Corporation are to promote economic and developmental activities for the benefit of members of backward classes through State Channelising Agencies nominated by concerned State Governments/Union territories. The Corporation constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value of all its stakeholders and the society at large.

2. Board of Directors: composition

Under the provisions of Articles of Association of the Corporation, the number of Directors shall not be less than four and not more than thirteen. The Board comprises one whole time Director i.e. Managing Director and others part-time/non-executive/Govt. Directors who bring a wide range of skills and experience. The members of the Board are from diversified backgrounds and have varied expertise and considerable experience in the respective fields.

3. Responsibilities

The Board has a formal schedule of matters reserved for its consideration and decision which includes reviewing corporate performance

ensuring adequate accountability of financial resources and reporting to Shareholders.

Further, an annual Memorandum of Understanding (MoU) is entered into by the Corporation with Govt. of India (GOI) in the beginning of the year setting the targets in financial and non financial area with weightages decided in consultation with GOI. The performance of the Company is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to MOU is reviewed regularly within the Company on quarterly basis. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are suggested in these forums.

At the end of each financial year the MoU achievements report is furnished to Ministry of Social Justice & Empowerment and performance of the company is evaluated by Ministry of Social Justice & Empowerment and Department of Public Enterprises on the basis of actual achievements as per signed MoU.

4. Board Meetings

4.1 Size of the Board;

NBCFDC is covered within the meaning of Section 617 Act, 1956 as the President of India presently hold 100% of the total paid up share capital. As per Article of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. In terms of Articles of Association of the Corporation strength of the Board shall not be less than two Directors or more than thirteen Directors.

4.2 Board Procedure;

The meetings of the Board of Directors are generally held at our registered office of the Corporation at New Delhi. The Board meets at least once a quarter to review the quarterly performance and the financial results. The Board

कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन

1. कॉरपोरेट प्रशासन: दर्शन

कॉरपोरेट प्रशासन प्रणालियों, सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं का समूह है जिसके द्वारा किसी संगठन को शासित किया जाता है तथा जिनके आधार पर वह कार्य करता है। उससे मुख्यतः ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त उपलब्ध होते हैं जिनसे संगठन को इस प्रकार निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है कि वह अपने सभी हित धारकों के लाभ के लिए कार्य करते हुए अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का विश्वास है कि अच्छे प्रशासन के लिए प्रबंध को सरकारी नीतियों के प्रति सकारात्मक रूख रखते हुए ट्रस्टीशिप, अधिकारिता एवं जिम्मेदारी की भावना से काम करना चाहिए। निगम के मुख्य उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है। निगम का निरंतर यह प्रयास रहता है कि कॉरपोरेट प्रशासन के सर्वोत्तम सिद्धान्तों का पालन कर अपने हित धारियों तथा अंततः समाज के हितों की सुरक्षा निश्चित की जाए।

2. निदेशक मण्डल: गठन

निगम के संगम अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की संख्या चार से कम और तेरह से अधिक नहीं होगी। निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् प्रबंध निदेशक तथा अन्य अंशकालिक/ गैर-कार्यपालक/सरकारी निदेशक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कौशलों और अनुभवों से युक्त होते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य विविध पृष्ठभूमि से हैं तथा उनमें सम्बंधित क्षेत्रों में अत्यधिक अनुभव एवं विविध विशेषज्ञताएं हैं।

3. दायित्व

निदेशक मण्डल का एक औपचारिक विषय-वस्तु संबंधी कार्यक्रम इसके विचारार्थ और निर्णय हेतु होता है जिसमें

वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त जवाबदेही तथा अंशधारकों को सूचना सुनिश्चित करते हुए कॉरपोरेट के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के आरंभ में वित्तीय एवं गैर वित्तीय क्षेत्रों में भारत सरकार से परामर्श के आधार पर भार निध रिण सहित लक्ष्यों को निर्धारित करने हेतु निगम भारत सरकार के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन करता है। कम्पनी का कार्यनिष्पादन तथा इसके लक्ष्यों को वर्ष के अंत में आंका जाता है। एम.ओ.यू. के सम्बन्ध में कम्पनी में ही कार्यनिष्पादन की त्रैमासिक आधार पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। चूक यदि कोई हो, की पहचान की जाती है एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही हेतु फोरम में सुझाव दिए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एम.ओ.यू. उपलब्धियों की रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती है तथा मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर कम्पनी का मूल्यांकन किया जाता है।

4. निदेशक मण्डल की बैठकें

4.1 निदेशक मण्डल का आकार

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत कवर होता है चूँकि भारत के राष्ट्रपति कुल प्रदत्त पूंजी के 100% धारक है। संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है, निगम के अन्तर्नियमों के अनुसार निदेशक मण्डल में निदेशकों की संख्या 2 से कम अथवा 13 से अधिक नहीं होगी।

4.2 निदेशक मण्डल की प्रक्रिया

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं। निदेशक मण्डल की तिमाही में कम से कम एक बार बैठक, तिमाही कार्यनिष्पादन और वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। निदेशक मण्डल अच्छे प्रशासन एवं कम्पनी की कार्यप्रगति

of Directors plays the primary role in ensuring good governance and functioning of the Company. The meetings are governed by a structured agenda. All the agenda items are backed by comprehensive agenda notes, containing all the vital information, so as to enable the Directors to have focused discussion at the meeting and to take decisions. The agenda and agenda notes are circulated to all the Directors in advance of each meeting of the Board of Directors. Where it is not practical to send the relevant information as a part of the agenda papers, the same is tabled in the meeting. All the decisions are taken after detailed discussions by the Board Members at the meetings. During the financial year 2012-13, Four Board meetings were held. The attendance of the directors in the above Board meetings has been as under:

BOARD MEETING NO.	HELD ON	DIRECTORS PRESENT	DIRECTORS ABSENT
87	25.06.2012	SMT. GHAZALA MEENAI,JS(BC),SJ&E SHRI T.V.A. RAM, DS(FIN.),SJ&E SHRI A.A. NAQVI,MD, NBCFDC	SHRI JIJI THOMSON, MD, TRIFED SHRI SUSHIL MUHNOT, CMD, SIDBI SHRI H. S. KINGRA, CMD, NSFDC
88	03.08.2012	SMT. GHAZALA MEENAI,JS(BC),SJ&E SHRI T.V.A. RAM, DS(FIN.), SJ&E SHRI A.A. NAQVI, MD, NBCFDC SHRI H.S. KINGRA, CMD, NSFDC	SHRI JIJI THOMSON,MD, TRIFED SHRI SUSHIL MUHNOT,CMD, SIDBI
89	18.12.2012	SHRI JIJI THOMSON,MD, TRIFED Sh.SUSHIL MUHNOT,CMD,SIDBI SHRI T.V.A. RAM,DS(FIN.),SJ&E SHRI A.A. NAQVI,MD, NBCFDC SHRI H. S. KINGRA, CMD, NSFDC	SMT. GHAZALA MEENAI,JS(BC), SJ&E
90	18.03.2013	SHRI A.K. ANGURANA, MD, TRIFED SMT. GHAZALA MEENAI,JS(BC),SJ&E SHRI A.A. NAQVI,MD, NBCFDC	SH..SUSHIL MUHNOT,CMD, SIDBI SHRI T.V.A. RAM,DS(FIN.), SJ&E SHRI H. S. KINGRA, CMD, NSFDC

4.3 Code of Conduct

NBCFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of

integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct as applicable to Board level and below Board level i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence. A copy of the Code of Conduct is available on the website of the Corporation i.e. www.nbcfdc.org.in. All the Board Members and Senior Managerial Personnel have affirmed compliance to the Code of Conduct.

5. Audit Committee

The Corporation is registered U/S 25 of Companies Act, 1956 as a Company not for profit. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company. It is a Private Govt. Company and not listed with any Stock Exchanges. Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of constitution of Audit Committee was not applicable on the company. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was reconstituted on 27.06.2013.

None of the non-executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year. The part time Government Directors are ex-officio appointees and their terms is co-terminus with the term of respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board.

6. Remuneration Committee

The Department of Public Enterprises (DPE) vide Office Memorandum dated 26.11.2008, has notified the revision of pay scales for Board level and below Board level executives and Non-Unionized Supervisors w.e.f. 01.01.2007. DPE vide the aforesaid Office Memorandums has also directed that each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of part time directors or independent directors which will decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executive and Non-Unionized Supervisors within the prescribed limits.

में प्रमुख भूमिका को सुनिश्चित करता है। संरचित एजेण्डा के माध्यम से बैठकें संचालित की जाती हैं। प्रत्येक एजेण्डा मद में विस्तृत एजेण्डा टिप्पणी होती है तथा सभी महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित की जाती हैं जिससे निदेशकगण विचार-विमर्श पर ध्यान केंद्रित कर सकें और निर्णय ले सकें। एजेण्डा एवं एजेण्डा टिप्पणियां सभी निदेशकों को प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक से पूर्व प्रेषित की जाती हैं। एजेण्डा प्रपत्रों के रूप में जहां कहीं भी इन प्रपत्रों को भेजना व्यावहारिक नहीं होता है, को बैठक में प्रदान किया जाता है। बैठक में सभी निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों के विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त लिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मण्डल की चार बैठकें आयोजित की गईं। निदेशक मण्डल की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:

बैठक संख्या	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशक	अनुपस्थित निदेशक
87	25.06.2012	श्रीमती गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव (बी.सी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्री टी.वी.ए. राम, उप सचिव (वित्त), श्री ए.ए. नकवी, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	श्री जीजी थामसन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड श्री सुशील महनोट, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी, श्री एच.एस. किंगड़ा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एन.एस.एफ.डी.सी.
88	03.08.2012	श्रीमती गजाला, मीनाई, संयुक्त सचिव (बी.सी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्री ए.ए. नकवी, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री एच.एस. किंगड़ा प्रबंध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी.	श्री जीजी थामसन, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड श्री सुशील महनोट, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी
89	18.12.2012	श्री जीजी थामसन, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड श्री सुशील महनोट, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी श्री टी.वी.ए. राम, उप सचिव (वित्त), श्री ए.ए. नकवी, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	श्रीमती गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव (बी.सी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
90	18.03.2013	श्री ए.के. अंगुराना प्रबंध निदेशक, सिडबी श्रीमती गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव (बी.सी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	श्री सुशील महनोट, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी श्री टी.वी.ए. राम, उप सचिव (वित्त), श्री एच.एस. किंगड़ा प्रबंध निदेशक एन.एस.एफ.डी.सी.

4.3 आचार संहिता

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक सुपरिभाषित आचार संहिता

का अनुपालन करता है जिसमें सत्यनिष्ठा, हितों की टकराहट गोपनीयता एवं नैतिक आचरण पर बल देने संबंधी मामलों का उचित रूप से निवारण किया गया जाता है जो अच्छे प्रशासन का आधार है। आचार संहिता निदेशक मण्डल स्तर एवं निदेशक मंडल स्तर से नीचे-निदेशक मंडल से एक श्रेणी नीचे महाप्रबन्धक संवर्ग तक लागू होती है। यह निगम की वेबसाइट www.nbcfdc.org.in पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के समस्त सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकीय कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

5. लेखा-परीक्षा समिति

निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक बिना लाभ की कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कम्पनी है और न ही किसी सार्वजनिक कम्पनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कम्पनी है तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि यह कम्पनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है इसलिए इस कम्पनी पर लेखा-परीक्षा समिति के प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते हैं। यद्यपि लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत अंकेक्षण समिति का गठन 27.06.2013 को किया गया था।

वर्ष के दौरान किसी भी गैर कार्यकारी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई धन संबंधी अथवा लेन-देन का कोई संबंध नहीं था। अंशकालिक सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन होती है एवं सरकार में उनकी नियुक्ति के समय उनकी कार्यकाल की अवधि उनकी प्रस्थिति से को-टर्मिनस होती है तथा निगम के निदेशक मण्डल में नियुक्ति संबंधित प्रस्थिति के अनुसार ही समाप्त होती है।

6. पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग (डी. पी. ई.) ने दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए 01.01.2007 से वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित किया है। लोक उद्यम विभाग ने अपने उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के मध्यम विभाग से प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अंशकालिक निदेशकों अथवा स्वतंत्र निदेशकों से एक परिश्रमिक समिति गठित करने का निर्देश दिया जो निर्धारित सीमा में कार्यकारी तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए

In accordance with the directions of DPE, the Board of NBCFDC had constituted a Remuneration Committee to decide the Performance Related Payment for employees of the Corporation. The Remuneration Committee was reconstituted from time to time. The composition of Remuneration Committee for the financial year 2012-13 is as under:

Sl. No.	Name & Designation of the Directors
1.	Shri Sushil Muhnot, Part Time Director- Independent
2.	Smt. Ghazala Meenai Part Time Director- Government Nominee
3.	Managing Director of one State Channelizing Agency

7. Annual General Meetings

Annual General Meetings are held either at the Registered Office of the Corporation at Delhi or within the NCT of Delhi. The location, date & time for the last three AGMs are as under:

1.	2009-2010	New Delhi	06.09.2010
2.	2010-2011	New Delhi	22.09.2011
3.	2011-2012	New Delhi	13.09.2012

8. Disclosures

- There was no material transaction with the Directors or the Management or their relatives that may have potential conflict with the interest of the Company at large.
- The Company has adopted all suggested items to be included in the Report on Corporate Governance as required under the Code of Corporate Governance issued by DPE.
- There is no inter-se relationship between Directors of the Company, as per declarations received.

Place : New Delhi
Date : 01.08.2013

- The financial statements are prepared in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of the Companies Act, 1956.

9. Risk Management

As a part of implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate has been approved by the Board of Directors of NBCFDC.

10. Shareholdings

The paid up Capital of the Corporation as on 31.3.2013 is Rs. 700.00 Crore. The Corporation received Rs. 27.65 Crore as budgetary support from the Govt. during the year under report. Against the paid up capital received from Govt. of India 7000000 shares of Rs. 1000/- each have been allotted and registered in the name of President of India. 01 share of Rs. 1000/- only has been allotted and registered in the name of Joint Secretary (BC), SJ&E, Govt. of India in official capacity.

11. Means of Communication

Shareholders are apprised about the working performance of the Company at the Annual General Meetings. Monthly/quarterly progress/performance of the Corporation is sent to the Ministry from time to time. A MOU is also signed between Corporation & Administrative Ministry in consultation with DPE which is also reviewed by the Ministry at the end of the financial year. Besides, the working and progress of the Corporation are also reviewed by the Joint Parliamentary Committee/Standing Committee, from time to time.

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-
(A.A. Naqvi)
Managing Director

Sd/-
(Sharad B. Londhe)
Director

वार्षिक बोनस परिवर्तनीय पूल एवं पालिसी का निर्णय करेगी।
लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने निगम के कर्मचारियों के लिए निष्पादन से जुड़े भुगतान के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की थी। पारिश्रमिक समिति का गठन समय-समय पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन इस प्रकार है-

क्र. सं.	निदेशकों का नाम एवं पदनाम
1.	श्री सुशील महनोट अंशकालिक निदेशक-स्वतंत्र
2.	श्रीमती गजाला मीनाई अंशकालिक निदेशक-सरकार द्वारा नामित
3.	एक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के प्रबंध निदेशक

7. वार्षिक साधारण बैठकें

वार्षिक साधारण बैठकें या तो नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। गत् तीन वार्षिक साधारण बैठकों का स्थान तथा तारीखें इस प्रकार हैं:

1.	2009-2010	नई दिल्ली	06.09.2010
2.	2010-2011	नई दिल्ली	22.09.2011
3.	2011-2012	नई दिल्ली	13.09.2012

8. प्रकटन

- क. निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भौतिक लेन-देन नहीं किया गया जिससे बड़े पैमाने पर कम्पनी के हित में संभावित विवाद हो।
- ख. कारपोरेट प्रशासन की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु कम्पनी ने सुझाए गए समस्त मदों को अंगीकार कर लिया है जैसा कि सूचीबद्ध समझौता तथा साथ ही साथ केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट प्रशासन संहिता के अंतर्गत आवश्यक है।

ग. प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशकों के मध्य परस्पर कोई संबंध नहीं है।

घ. वित्तीय विवरण आज्ञापक लेखा मानक एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की प्रासंगिक प्रस्तुतिकरण आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

9. जोखिम प्रबन्धन

लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन पर जारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के एक अंग के रूप में उपयुक्त रूप से जोखिम आंकलन को संज्ञानित करने, प्रबंधन एवं आन्तरिक जोखिम आंकलन ढांचे के रूप में ढांचे को लघुत्तम करने, निगमित के साथ समेकित एवं संरेखित करने हेतु जोखिम प्रबंधन को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

10. शेयरहोल्डिंग

दिनांक 31.3.2013 को निगम की प्रदत्त पूंजी रु. 700.00 करोड़ है। निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार से रु. 27.65 करोड़ बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त किए। भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त प्रदत्त पूंजी की तुलना में रु. 1000 प्रत्येक के 7000000 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित और पंजीकृत किए गए हैं। रु. 1000 मात्र का 01 अंश सरकारी हैसियत से संयुक्त सचिव (बी.सी.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नाम आवंटित एवं पंजीकृत किया गया है।

11. संचार के साधन

अंशधारकों को वार्षिक साधारण बैठकों में कम्पनी के कार्य-निष्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है। मंत्रालय को समय-समय पर निगम की मासिक/तिमाही प्रगति कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजी जाती है। लोक उद्यम विभाग के परामर्श से निगम और प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाता है जिसकी समीक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। निगम के कार्य और प्रगति की समीक्षा संसदीय स्थायी समिति/परामर्शदायी समिति द्वारा भी समय-समय पर की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त,

हं
(ए.ए. नकवी)
प्रबंध निदेशक

हं
(शरद बी. लोंडे)
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 01.08.2013

VIJAY DEEPAK & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

Jeevan Vihar Annexe, 3, Sansad Marg, New Delhi-110001

Phone: 23742521, 23742523, 23742556, 23742835 Fax: 23742692 E-mail: vdc@vdc.in

CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of National Backward Classes Finance and Development Corporation,

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by National Backward Classes Finance and Development Corporation [" the Corporation "] for the year ended on 31st March 2013, as envisaged in the Office Memorandum No.18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and according to the records and documents maintained by the Corporation, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except for the following:

- (a) *The requirement of Accounting Standard-9 of the ICAI regarding recognition of income is not met by the Corporation;***
- (b) *No meeting of the Audit Committee was held during the year; and***
- (c) *All Members of Remuneration Commitere are not part time derectors.***

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For Vijay Deepak & Co.
Chartered Accountants
(Firm Regn. No. 001405N)

Place : New Delhi
Dated : 01.08.2013

Sd/-
(Yogesh Jain)
Partner
Membership No. 097139

VIJAY DEEPAK & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

Jeevan Vihar Annexe, 3, Sansad Marg, New Delhi-110001

Phone: 23742521, 23742523, 23742556, 23742835 Fax: 23742692 E-mail: vdc@vdc.in

कॉरपोरेट प्रशासन का प्रमाण-पत्र

सदस्यगण नेशनल बैकवर्ड क्लासेज् फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज् फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ['निगम'] के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन को जैसा कि भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 18(8)/2005-जी.एम. दिनांक 14 मई, 2010 में निहित है, का परीक्षण किया।

कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तक सीमित है। यह न तो अंकेक्षण है और न ही कम्पनी के वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं निदेशकों द्वारा दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि निगम को लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.)के लिए जारी कारपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश में निहित निम्न दशाओं को छोड़कर समस्त दशाओं का अनुपालन किया गया है:

- (क) निगम द्वारा आय की मान्यता के संबंध में लेखाकरण मानक संख्या 9 की अपेक्षा को पूरा नहीं किया।
- (ख) वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।
- (ग) पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य अंशकालिक सदस्य नहीं हैं।

हम यह भी व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कम्पनी के भविष्य की जीवन योग्यता का एक आश्वासन है, न ही क्षमता या प्रबंध की दक्षता है जिसके द्वारा कम्पनी के व्यवसाय का संचालन किया गया है।

कृते विजय दीपक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म रजि0 सं0 001405N)

हं
(योगेश जैन)
भागीदार
एम. न. 097139

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2013



कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा
बोर्ड-IV, नई दिल्ली.

**Office of the Principal Director of Commercial Audit & ex-officio
Member, Audit Board-IV, New Delhi.**

Confidential

No.141-PDCA/HS/MAB-IV/NBCFDC/A/cs/13-14/1005

Dated : 04.09.2013

To

The Managing Director,
National Backward Classes Finance & Development Corporation
5th Floor, N.C.U.I., Building, 3, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, Post Box No. 4617,
New Delhi - 110016.

Sub: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of National Backward Classes Finance & Development Corporation for the year ended 31 March 2013.

Sir,

I am to enclose herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of National Backward Classes Finance & Development Corporation for the year ended 31st March 2013.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

(Atreyee Das)

Encl: As above

Pr. Director of Commercial Audit &
Ex.Officio Member, Audit Board-IV



कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा
बोर्ड-IV, नई दिल्ली.

Office of the Principal Director of Commercial Audit & ex-officio
Member, Audit Board-IV, New Delhi.

गोपनीय

सं. 141/पीडीसीए/एचएस/एमएबी-IV/एनबीसीएफडीसी/ए/सीएस/13-14/1005
दिनांक : 04.09.2013

सेवा में

प्रबंध निदेशक
नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इन्सटीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, पोस्ट बाक्स-4617
नई दिल्ली-110016

विषय: नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय लेखों पर
कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं एतद्वारा नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय
लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां
संलग्न करता हूँ।

कृपया पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अत्री दास)

प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
8th & 9th Floor,, Annexe Building, I 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel./दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फ़ैक्स/Fax : 23239416,
ईमेल/Email : mabnewdeli4@cag.gov.in

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS
OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT
CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013**


The Preparation of financial statements of National Backward Classes Finance & Development Corporation for the year ended 31 March 2013 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on the independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 01.08.2013.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of National Backward Classes Finance & Development Corporation for the year ended 31 March 2013. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement the Statutory Auditor's report under Section 619(4) of the companies Act, 1956.

Place : New Delhi.
Date : 04.09.2013

For and on behalf of the Comptroller
and Auditor General of India



(Atreyee Das)

Pr. Director of Commercial Audit &
Ex.Officio Member, Audit Board-IV


नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय लेखों पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का दायित्व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकक्षण जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया के व्यवसायिक प्रभागों द्वारा निर्धारित आश्वासन मानदण्डों के अनुसार हो, पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह उनकी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 01.08.2013 के द्वारा किया गया है।

मैंने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपूरक अंकक्षण किया है। यह अनुपूरक अंकक्षण, स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों की कार्य पत्रों की पहुंच के बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं कम्पनी के कर्मचारियों तथा लेखा अभिलेखों के कुछ चुनिन्दा परीक्षणों तक सीमित है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत, मेरे अनुपूरक अंकक्षण के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जिस पर अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से एवं उनके निमित्त



(अत्री दास)

प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
निदेशक एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 04.09.2013

VIJAY DEEPAK & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

Jeevan Vihar Annexe, 3, Sansad Marg, New Delhi-110001

Phone: 23742521, 23742523, 23742556, 23742835 Fax: 23742692 E-mail: vdc@vdc.in

Independent Auditor's Opinion

To the members of National Backward Classes Finance and Development Corporation,

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of National Backward Classes Finance and Development Corporation ["the Corporation"], which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013 and also the Income & Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Corporation's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Corporation in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with the ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers the internal control relevant to the Corporation's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Opinion

5. We invite your attention to:
 - (i) **Note No. 5.2 in Note 5 of the balance sheet regarding implementation of SRMS Scheme, as the same is not covered under the objects mentioned in the Memorandum & Articles of Association of the Corporation.**

VIJAY DEEPAK & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

Jeevan Vihar Annexe, 3, Sansad Marg, New Delhi-110001

Phone: 23742521, 23742523, 23742556, 23742835 Fax: 23742692 E-mail: vdc@vdc.in

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का मत

सदस्यगण, नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन ('निगम') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, आय तथा व्यय लेखा, नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंध का दायित्व

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व निगम के प्रबंध का है ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह की सही एवं सच्ची तस्वीर प्राप्त हो सके। इस दायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण के परिप्रेक्ष्य में आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं रख-रखाव शामिल है जो सच्ची एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करे तथा कपट एवं त्रुटि के कारण गलतबयानी से मुक्त हो।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम नीति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा यह पता लगाने के लिए कि वित्तीय विवरण गलतबयानी से परे है, मुक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए, लेखा परीक्षा की योजना बनाएं तथा इसे निष्पादित करें।
4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन-विधियाँ शामिल होती है। चयनित कार्य विधियों कपट अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में गलत-बयानी के जोखिमों के आकलन के निर्धारण सहित लेखा परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती है। जोखिम के निर्धारण के लिए, लेखा परीक्षक निगम द्वारा वित्तीय विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में आन्तरिक नियंत्रण पर ध्यान देता है तथा परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा विधियाँ अपनाता है। लेखा परीक्षा में लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंध द्वारा लेखाकरण प्राक्कलनों के युक्तिसंगत होने सहित वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण शामिल है।

मत

5. हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:-

- (प) तुलन पत्र की टिप्पणी 5 की टिप्पणी सं. 502 जो एस.आर.एम.एस. योजना के क्रियान्वयन के संबंध में है, यह निगम के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद में उल्लिखित उद्देश्य के अन्तर्गत नहीं आता।

(ii) Accounting Policy No. 2.3 of Note 22 regarding recognition of income on basis other than mercantile is not in conformity with the Accounting Standard-9 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The effect on accounts for this non-conformation is unascertained.

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and subject to para 5 above, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- (a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at 31st March, 2013;
 - (b) in the case of the Income and Expenditure Account, of the Surplus of the Corporation for the year ended on that date, and
 - (c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows of the Corporation for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Provisions of Companies (Auditor's Report) order 2003 are not applicable to the Company as the Company is registered Under Section 25 of the Companies Act, 1956.
8. As required by Section 227(3) of the Act, we report that:
- (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law, have been kept by the Corporation, so far as it appears from our examination of those books;
 - (c) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement referred to in this report are in agreement with the books of account;
 - (d) In our opinion, the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the mandatory Accounting Standards referred in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956;
 - (e) As per Circular No. 2/5/2001-CLV- General Circular No. 8/2002 dated 22.03.2002 issued by Department of Company Affairs under Ministry of Law, Justice and Company Affairs, the provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956, relating to disqualification of Directors are not applicable to the company, as it being a Government Company;

for Vijay Deepak & Co.
Chartered Accountants
(Firm Regn. No. 001405N)

Place : New Delhi
Dated : 01.08.2013

Sd/-
[Yogesh Jain]
Partner
Membership No. 097139

- (ii) वाणिज्य लेखा पद्धति के सिवाय किसी अन्य आधार पर आय का पता लगाने के संबंध में टिप्पणी 22 के लेखा नीति 2.3 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक-9 के अनुरूप नहीं है। इसकी पुष्टि के बिना लेखे पर इसका प्रभाव अनिश्चित है।
6. हमारे मत तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा उपर्युक्त 5 के अधीन रहते हुए वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार भारत में सामान्यतः, स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार सच्ची एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।
- क) 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र तथा निगम के कार्यकलाप के संबंध में।
- ख) आय तथा व्यय लेखा, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के संबंध में एवं
- ग) रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष में निगम के रोकड़ प्रवाह के संबंध में।

अन्य विधिक एवं नियंत्रक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7. कम्पनी के आदेश (अंकेक्षण रिपोर्ट) 2003 कम्पनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है।
8. जैसा कि अधिनियम की धारा 227 (3) के अनुसार आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
- ख) हमारी राय में जहां तक लेखा बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, विधि की अपेक्षा के अनुसार उचित लेखा बहियां निगम द्वारा रखी गई हैं।
- (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा एवं रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- (घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट में तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और रोकड़ प्रवाह विवरण में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3 सी) में वर्णित लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।
- (ङ) विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र सं. 2/5/2001-सी.एल.वी. जनरल परिपत्र सं. 8/2002 दिनांक 22.03.2002 के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1)(जी), जो निदेशकों की अयोग्यता से सम्बंधित है, सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी पर लागू नहीं है।

कृते विजय दीपक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म रजि. सं. 001405N)

हं
(योगेश जैन)
भागीदार
एम. नं. 097139

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.08.2013

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2013

	Note No.	As at 31st March, 2013 Amount (Rs.)	As at 31st March, 2012 Amount (Rs.)
I EQUITY & LIABILITIES			
(i) Shareholder's Funds			
Share capital	1	7,000,000,000.00	6,723,500,000.00
Reserves & surplus	2	3,231,359,397.64	2,974,457,249.76
		10,231,359,397.64	9,697,957,249.76
(ii) Share Application Money Pending Allotment	3	-	-
		-	-
(iii) Non-current Liabilities			
Long term provisions	4	23,075,932.00	18,140,213.00
		23,075,932.00	18,140,213.00
(iv) Current Liabilities			
Other current liabilities	5	18,300,614.60	21,523,230.27
Short term provisions	6	13,980,972.00	21,151,683.00
		32,281,586.60	42,674,913.27
Total		10,286,716,916.24	9,758,772,376.03
II ASSETS			
(i) Non Current Assets			
Fixed assets	7		
- Tangible assets		6,648,031.93	7,034,717.02
- Intangible assets		153,923.00	159,153.00
Long term loans & advances			
- Loan to SCAs / other entities	8	5,670,305,988.75	5,148,815,217.75
- Other loans & advances	9	14,382,670.25	15,824,897.25
Other non-current assets	10	963,250.00	145,903.00
		5,692,453,863.93	5,171,979,888.02
(ii) Current Assets			
Cash and bank balances	11	932,619,165.00	1,168,822,471.10
Short term loans & advances			
- Loan to SCAs / other entities	12	3,221,246,479.00	3,068,379,177.00
- Other loans & advances	13	1,728,971.00	1,694,396.00
Other current assets	14	438,668,437.31	347,896,443.91
		4,594,263,052.31	4,586,792,488.01
Total		10,286,716,916.24	9,758,772,376.03
Significant Accounting Policies	22		
Other Notes	23	-	-

Sd/-
ARVIND KATHURIA
General Manager (Fin)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
Company Secretary

Sd/-
SHARAD B. LONDHE
Director

Sd/-
A.A. NAQVI
Managing Director

As per our Audit Report of even date attached
for Vijay Deepak & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
(Yogesh Jain)
Partner
M. No. 097139

Place: New Delhi
Date : 01.08.2013

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष राशि (रु.)	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष राशि (रु.)
I साम्य अंश एवं दायित्व			
(i) अंशधारकों की निधि			
अंश पूंजी	1	7,000,000,000.00	6,723,500,000.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	3,231,359,397.64	2,974,457,249.76
		10,231,359,397.64	9,697,957,249.76
(ii) अंश अनुप्रयोग राशि लंबित आबंटन	3	-	-
		-	-
(iii) गैर वर्तमान दायित्व			
लम्बी अवधि के प्रावधान	4	23,075,932.00	18,140,213.00
		23,075,932.00	18,140,213.00
(iv) वर्तमान देयताएं			
अन्य वर्तमान देयताएं	5	18,300,614.60	21,523,230.27
संक्षिप्त अवधि के प्रावधान	6	13,980,972.00	21,151,683.00
		32,281,586.60	42,674,913.27
योग		10,286,716,916.24	9,758,772,376.03
II परिसम्पत्तियां			
(i) गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	7		
- मूर्त परिसम्पत्तियां		6,648,031.93	7,034,717.02
- अमूर्त परिसम्पत्तियां		153,923.00	159,153.00
- लम्बी अवधि के ऋण एवं अग्रिम			
- एस. सी. ए/ अन्य संस्थानों को ऋण	8	5,670,305,988.75	5,148,815,217.75
- अन्य ऋण एवं अग्रिम	9	14,382,670.25	15,824,897.25
अन्य गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां	10	963,250.00	145,903.00
		5,692,453,863.93	5,171,979,888.02
(ii) वर्तमान परिसम्पत्तियां			
नगद एवं बैंक में जमा	11	932,619,165.00	1,168,822,471.10
संक्षिप्त अवधि के ऋण एवं अग्रिम			
- एस.सी.ए./ अन्य संस्थानों को ऋण	12	3,221,246,479.00	3,068,379,177.00
- अन्य ऋण एवं अग्रिम	13	1,728,971.00	1,694,396.00
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	14	438,668,437.31	347,896,443.91
		4,594,263,052.31	4,586,792,488.01
योग		10,286,716,916.24	9,758,772,376.03
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	22		
अन्य टिप्पणियां	23	-	-

ह0
अरविंद कथूरिया
महाप्रबंधक (वित्त)

ह0
अजित कुमार सामल
कम्पनी सचिव

ह0
शरद बी. लोढे
निदेशक

ह0
ए.ए. नकवी
प्रबंध निदेशक

इस तारीख की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते विजय दीपक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह0
[योगेश जैन]
भागीदार
एम. न. 097139

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2013

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

	Note No.	For the year ended	For the year ended
		31st March, 2013	31st March, 2012
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
I INCOME			
(i) Revenue from operations	15	342,977,340.43	311,669,749.00
(ii) Other income	16	4,590,481.40	23,727,350.56
Total income		347,567,821.83	335,397,099.56
II EXPENSES			
(i) Employee benefit expenses	17	53,920,673.45	53,692,609.50
(ii) Finance cost	18	1,968,023.00	-
(iii) Depreciation & amortization expenses	7	1,069,599.00	1,434,002.94
(iv) Other expenses	19	32,293,355.50	39,023,616.26
(v) Penal charges & other charges waived off		1,419.00	29,245.00
(vi) Provision for loans & advances		544,682.00	-
(vii) Prior period items	20	867,922.00	161,649.00
Total expenses		90,665,673.95	94,341,122.70
III SURPLUS OF INCOME OVER EXPENDITURE BEFORE TAX (I-II)		256,902,147.88	241,055,976.86
IV TAX EXPENSE		-	-
V SURPLUS FOR THE YEAR		256,902,147.88	241,055,976.86
VI EARNING PER SHARE	21		
- Basic		37.20	37.85
- Diluted		37.11	37.38
Significant Accounting Policies	22		
Other Notes	23		

Sd/-
ARVIND KATHURIA
General Manager (Fin)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
Company Secretary

Sd/-
SHARAD B. LONDHE
Director

Sd/-
A.A. NAQVI
Managing Director

As per our Audit Report of even date attached
for Vijay Deepak & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
[Yogesh Jain]
Partner
M. No. 097139

Place: New Delhi
Date : 01.08.2013

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय का लेखा

	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
I आय			
(i) परिचालन से राजस्व	15	342,977,340.43	311,669,749.00
(ii) अन्य आय	16	4,590,481.40	23,727,350.56
कुल आय		347,567,821.83	335,397,099.56
II व्यय			
(i) कर्मचारी कल्याण व्यय	17	53,920,673.45	53,692,609.50
(ii) वित्त लागत	18	1,968,023.00	-
(iii) मूल्यहास एवं व्यय परिशोधन	7	1,069,599.00	1,434,002.94
(iv) अन्य व्यय	19	32,293,355.50	39,023,616.26
(v) माफ किए गए दण्ड ब्याज एवं अन्य प्रभार		1,419.00	29,245.00
(vi) ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान		544,682.00	-
(vii) पूर्वावधि की मर्दें	20	867,922.00	161,649.00
कुल व्यय		90,665,673.95	94,341,122.70
III टैक्स से पूर्व व्यय पर आय का आधिक्य (I-II)		256,902,147.88	241,055,976.86
IV कर व्यय		-	-
V वर्ष में आधिक्य		256,902,147.88	241,055,976.86
VI प्रति अंश अर्जन	21		
- आधारभूत		37.20	37.85
- सम्मिलित		37.11	37.38
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	22		
अन्य टिप्पणियां	23		

ह0
अरविंद कथूरिया
महाप्रबंधक (वित्त)

ह0
अजित कुमार सामल
कम्पनी सचिव

ह0
शरद बी. लोडे
निदेशक

ह0
ए.ए. नकवी
प्रबंध निदेशक

इस तारीख की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते विजय दीपक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह0
[योगेश जैन]
भागीदार
एम. न. 097139

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2013

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

PARTICULARS	2012-13		2011-12	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:				
Excess of Income over Expenditure	256,902,147.88		241,055,976.86	
Adjustments for:				
Depreciation & amortization expenses	1,069,599.00		1,434,002.94	
Provision for loans and advances	544,682.00		(19,101,018.00)	
Adjustments for:				
(Decrease)/Increase in Provision for gratuity, leave encashment & others	(2,234,992.00)		14,996,961.00	
Loss /(Profit) on sale/impairment/exchange of assets	32,102.09		(2990.91)	
		256,313,538.97		238,382,931.89
Operating profit before working capital changes		256,313,538.97		238,382,931.89
Adjustments for:				
Decrease/(Increase) in operating assets	(90,202,394.40)		(48,359,452.78)	
Increase/(Decrease) in operating liabilities	(3,222,615.67)	(93,425,010.07)	(6,845,743.33)	(55,205,196.11)
Decrease/(Increase) in loans and advances {Net of repayments}		(674,882,049.00)		(443,742,882.65)
Net cash from operating activities		(511,993,520.10)		(260,565,146.87)
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:				
Purchase of fixed assets	(604,518.00)		(756,038.00)	
Purchase of intangible assets (Software)	(114,792.00)		(249,178.00)	
Less:- Sale of assets/adjustment	9,524.00		39,133.00	
Net cash used in investing activities		(709,786.00)		(966,083.00)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:				
Increase in share capital	276,500,000.00		700,000,000.00	
Increase in share application money pending allotment	-		-	
Net cash from financing activities		276,500,000.00		700,000,000.00
D. NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A + B + C)		(236,203,306.10)		438,468,770.13
Opening Cash & Cash Equivalents		1,168,822,471.10		730,353,700.97
Closing Cash & Cash Equivalents		932,619,165.00		1,168,822,471.10
INCREASE / (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS		(236,203,306.10)		438,468,770.13

Break-up of Closing Cash & Cash Equivalents

Stamps	2,992.00	15,806.00
Flexi Deposits	3,614,000.00	10,594,000.00
Fixed Deposits	730,000,000.00	1,125,140,000.00
Saving Bank Accounts	198,978,569.00	33,037,856.10
Cash-in-hand	23,604.00	34,809.00
Cash & Cash Equivalents	932,619,165.00	1,168,822,471.10

Note: Cash & Cash equivalent includes following balances meant for utilisation in respective Grant Schemes:

Saving Bank	155,727.00	139,631.00
Flexi Deposits	3,614,000.00	10,594,000.00
	<u>3,769,727.00</u>	<u>10,733,631.00</u>

Sd/-
ARVIND KATHURIA
General Manager (Fin)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
Company Secretary

Sd/-
SHARAD B. LONDHE
Director

Sd/-
A.A. NAQVI
Managing Director

As per our Audit Report of even date attached
for Vijay Deepak & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
(Yogesh Jain)
Partner
M. No. 097139

Place: New Delhi
Date : 01.08.2013

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण	2012-2013		2011-12	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:				
व्यय के बाद आय का अधिव्यय	256,902,147.88		241,055,976.86	
समायोजन हेतु:				
अवमूल्यन एवं परिशोधन व्यय	1,069,599.00		1,434,002.94	
ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	544,682.00		(19,101,018.00)	
समायोजन हेतु:				
ग्रेच्युइटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य के प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	(2,234,992.00)		14,996,961.00	
बिक्री/क्षति/परिसम्पत्तियों के विनिमय पर हानि/(लाभ)	32,102.09		(2990.91)	
		256,313,538.97		238,382,931.89
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		256,313,538.97		238,382,931.89
समायोजन हेतु:				
चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(90,202,394.40)		(48,359,452.78)	
चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(3,222,615.67)	(93,425,010.07)	(6,845,743.33)	(55,205,196.11)
ऋण एवं आग्रिम में कमी/(वृद्धि)				
(शुद्ध पुर्नभुगतान)		(674,882,049.00)		(443,742,882.65)
प्रचालन कार्यकलापों से शुद्ध-नकदी		(511,993,520.10)		(260,565,146.87)
ख. निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह:				
अचल परिसंपत्तियों का क्रय	(604,518.00)		(756,038.00)	
मूर्त परिसंपत्तियों का क्रय (साफ्टवेयर)	(114,792.00)		(249,178.00)	
घटाएँ: परिसंपत्तियों की बिक्री/समायोजन	9,524.00		39,133.00	
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी		(709,786.00)		(966,083.00)
ग. वित्त पोषण संबंधी कार्यकलापों का नकदी प्रवाह:				
अंश पूंजी में वृद्धि	276,500,000.00		700,000,000.00	
शेयर अप्लीकेशन मनी में वृद्धि				
लॉबित आवंटन	-		-	
वित्तीय कार्यकलापों से शुद्ध नकदी		276,500,000.00		700,000,000.00
घ. नकद तथा नकद समकक्ष में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)		(236,203,306.10)		438,468,770.13
आरम्भिक नकद राशि तथा नकदी समकक्ष		1,168,822,471.10		730,353,700.97
अन्त नकदी राशि तथा नकदी समकक्ष		932,619,165.00		1,168,822,471.10
नकदी तथा नकदी समकक्ष में वृद्धि/(कमी)		(236,203,306.10)		438,468,770.13

अंत नकदी तथा नकदी समकक्ष का विभाजन

स्टैम्प		2,992.00		15,806.00
फ्लेक्सी जमा		3,614,000.00		10,594,000.00
नियत जमा		730,000,000.00		1,125,140,000.00
सेविंग बैंक		198,978,569.00		33,037,856.10
नकदी अवशेष		23,604.00		34,809.00
नकदी एवं नकदी समकक्ष		932,619,165.00		1,168,822,471.10

टिप्पणी: नकद एवं नकद समकक्ष में सम्मिलित निम्न बकाया का तात्पर्य संबंधित अनुदान योजनाओं में उपभोग है:

सेविंग बैंक	155,727.00		139,631.00
नियत जमा	3,614,000.00	<u>3,769,727.00</u>	10,594,000.00
			<u>10,733,631.00</u>

ह0 अरविंद कथूरिया
महाप्रबंधक (वित्त)

ह0 अजित कुमार सामल
कम्पनी सचिव

ह0 शरद बी. लोंडे
निदेशक

ह0 ए.ए. नकवी
प्रबंध निदेशक

इस तारीख की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते विजय दीपक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह0
[योगेश जैन]
भागीदार

एम. नं. 097139

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2013

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 1 : Share Capital

Particulars	As at	As at
	31.03.2013	31.03.2012
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
1.1 Authorized		
7,000,000 Equity shares of Rs.1,000/- each (Previous year)		
7,000,000 Equity shares of Rs.1,000/- each	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
Issued, subscribed and fully paid up capital		
7,000,000 Equity shares of Rs.1,000/- each (Previous year)		
6,723,500 Equity shares of Rs.1,000/- each	7,000,000,000.00	6,723,500,000.00
Total	7,000,000,000.00	6,723,500,000.00

1.2 Reconciliation of number of shares outstanding at the beginning of the year and at the end of the year

Particulars	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
	No. of shares	No. of shares
Shares at the beginning of the year	6,723,500	6,004,200
Add: Issued during the year	276,500	719,300
Shares outstanding at the end of the year	7,000,000	6,723,500

1.3 The Corporation has only one class of equity shares having par value of Rs.1,000/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In terms of Section 25(3)(b) of the Companies Act 1956, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to meet the objectives of the Corporation.

1.4 The details of shareholders holding more than 5% shares

Name of shareholder	As at 31.03.2013		As at 31.03.2012	
	No. of shares	% of shares	No. of shares	% of shares
President of India	6,999,999	99.99%	6,723,499	99.99%
Total	6,999,999	99.99%	6,723,499	99.99%

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 1: अंश पूंजी

विवरण	31.03.2013 को	31.03.2012 को
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1.1 प्राधिकृत		
रु. 1,000 प्रत्येक के 7,000,000/- साम्य अंश (गत वर्ष)		
रु. 1,000 प्रत्येक के 7,000,000/- साम्य अंश	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी		
रु. 1,000 प्रत्येक के 7,000,000/- साम्य अंश		
(गत वर्ष रु.1,000/- प्रत्येक के रु. 6,723,500 साम्य अंश)	7,000,000,000.00	6,723,500,000.00
कुल	7,000,000,000.00	6,723,500,000.00

1.2 वर्ष के आरंभ में व वर्ष के अंत में बकाया अंशों का मिलान

विवरण	31.03.2013 को अंशों की संख्या	31.03.2012 को अंशों की संख्या
वर्ष के आरंभ में अंश	6,723,500	6,004,200
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी	276,500	719,300
वर्ष के अंत में बकाया अंश	7,000,000	6,723,500

1.3 निगम के पास मात्र एक वर्ग के साम्य अंश हैं जिनका सममूल्य रु 1000/- प्रति अंश हैं। प्रत्येक साम्य अंशधारक प्रति शेयर के एक वोट का हकदार है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25(3)(बी) के अनुसार निगम लाभांश घोषित नहीं करता है एवं व्यय से अधिक अपनी आय के आधिक्य को निगम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु व्यवसाय में लगाता है।

1.4 5% अंशों से अधिक अंश रखने वाले अंशधारकों का विवरण

अंशधारक का नाम	31.03.2013 को		31.03.2012 को	
	अंशों की संख्या	अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	अंशों का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	6,999,999	99.99%	6,723,499	99.99%
कुल	6,999,999	99.99%	6,723,499	99.99%

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 2 : Reserves and surplus

Particulars	As at 31.03.2013 Amount (Rs.)	As at 31.03.2012 Amount (Rs.)
(a) Special reserve		
Opening balance	250,000,000.00	250,000,000.00
Add: Transferred from General Reserve-	-	-
Closing balance	250,000,000.00	250,000,000.00
(b) General reserve		
Opening balance	2,724,457,249.76	2,483,401,272.90
Add: Transferred from Income & Expenditure account	256,902,147.88	241,055,976.86
Less: Transferred to Special Reserve	-	-
Closing balance	2,981,359,397.64	2,724,457,249.76
(c) Surplus in Income & Expenditure account		
Opening balance	-	-
Add: Transferred from Income & Expenditure Account	256,902,147.88	241,055,976.86
Less: Transferred to General Reserve	256,902,147.88	241,055,976.86
Closing balance	-	-
Total (a+b+c)	3,231,359,397.64	2,974,457,249.76

- 2.1 Special Reserve of Rs.250,000,000/- (Previous year Rs.250,000,000/-) kept for meeting capital expenditure on land/building and for meeting developmental expenditure or other contingencies, is not represented by any earmarked investment. Any capital expenditure out of the Special Reserve shall be subject to the approval of the Administrative Ministry.
- 2.2 In terms of Section 25(3) (b) of the Companies Act 1956, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to make disbursement of loan and meet future expenses including administrative expenses. As such, the Surplus has been transferred to General Reserve.
- 2.3 The Corporation is a not for profit entity and its activities for development of the target group through their training & market exposure are in nature of Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR reserve/fund has not been created out of Surplus earned by the Corporation, pending the receipt of clarification from DPE with regard to applicability of CSR guidelines to the Corporation.

Note 3 : Share application money pending allotment

Particulars	As at 31.03.2013 Amount (Rs.)	As at 31.03.2012 Amount (Rs.)
Opening balance	-	19,300,000.00
Add: Received during the year [Application Money received for 276,500 equity shares (Previous year 700,000 equity shares) @ Rs.1,000/- each]	276,500,000.00	700,000,000.00
Less: Shares allotted during the year [276,500 equity shares (Previous year 719,300 equity shares) @ Rs.1,000/- each]	276,500,000.00	719,300,000.00
Closing balance	-	-

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 2: आरक्षित एवं आधिक्य

विवरण	31.03.2013 को	31.03.2012 को
	राशि (रु०)	राशि (रु०)
(क) विशेष आरक्षित		
आरंभिक अवशेष	250,000,000.00	250,000,000.00
जोड़े : सामान्य आरक्षित से स्थानांतरित	-	-
अंत शेष	250,000,000.00	250,000,000.00
(ख) सामान्य आरक्षित		
आरंभिक अवशेष	2,724,457,249.76	2,483,401,272.90
जोड़े : आय एवं व्यय लेखे से स्थानांतरित	256,902,147.88	241,055,976.86
घटाएं : विशेष आरक्षित को स्थानांतरित	-	-
अंत शेष	2,981,359,397.64	2,724,457,249.76
(ग) आय एवं व्यय लेखे में आधिक्य		
आरंभिक शेष	-	-
जोड़े : आय एवं व्यय लेखे से स्थानांतरित	256,902,147.88	241,055,976.86
घटाएं : सामान्य आरक्षित से स्थानांतरित	256,902,147.88	241,055,976.86
अंत शेष	-	-
योग (क+ख+ग)	3,231,359,397.64	2,974,457,249.76

- 2.1 भूमि/भवन एवं विकासात्मक व्यय अथवा अन्य आकस्मिकता को पूरा करने के लिए रु० 250,000,000 (गत् वर्ष रु० 250,000,000) के बजट व्यय को जो किसी अन्य निवेश हेतु अलग से प्रदर्शित नहीं किया गया है, रखा गया है। विशेष आरक्षित से पूंजी व्यय प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की दशा में होगा।
- 2.2 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25(3) (बी) के अनुसार निगम लाभांश घोषित नहीं करता है तथा व्यय से अधिक की आय (आधिक्य) को ऋणों के वितरण एवं प्रशासनिक व्यय सहित भविष्य के व्ययों को पूरा करने हेतु व्यवसाय में लगाता है। इस प्रकार, आधिक्य को सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित किया गया है।
- 2.3 निगम लाभ अर्जित करने वाली संस्था नहीं है तथा इसकी गतिविधियाँ लक्षित समूह के विकास के लिए उनके प्रशिक्षण एवं बाजार एक्सपोजर के रूप में है जो निगमित सामाजिक दायित्व की प्रकृति की है। सी.एस.आर. आरक्षित/निधि निगम द्वारा अर्जित अधिशेष से सृजित नहीं किया गया है जिसके लिए निगम में सीएसआर लागू होने के संबंध में लोक उद्यम विभाग का स्पष्टीकरण प्राप्त होना लंबित है।

टिप्पणी 3: अंश अनुप्रयोग राशि - लम्बित आबंटन

विवरण	31.03.2013 को	31.03.2012 को
	राशि (रु०)	राशि (रु०)
आरंभिक अवशेष	-	19,300,000.00
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त [700,000 साम्य अंश हेतु प्राप्त अनुप्रयोग राशि (गत् वर्ष 276,500 साम्य अंश) रु० 1000 प्रत्येक की दर से]	276,500,000.00	700,000,000.00
घटाएं : वर्ष के दौरान आबंटित अंश [276,500 साम्य अंश (गत् वर्ष 719,300 साम्य अंश) रु० 1000 प्रत्येक की दर से]	276,500,000.00	719,300,000.00
अंत शेष	-	-

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 4 : Long-term provisions

Particulars	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Provision for employees retirement benefits		
- Gratuity	2,178,292.00	731,171.00
- Leave Benefits	5,337,844.00	5,685,219.00
- Pension scheme (including interest)	11,969,237.00	9,018,488.00
- Post retirement medical scheme (including interest)	3,590,559.00	2,705,335.00
	23,075,932.00	18,140,213.00

Note 4 .1: Details of Provisions as required in Accounting Standard - 29

(Amount in Rs.)

Particulars	As on 01.04.2012	Additions during 2012-13	Utilized during 2012-13	Adjustment during 2012-13	As on 31.03.13
Gratuity	731,171.00	1,447,121.00	-	-	2,178,292.00
Leave Benefits	5,685,219.00	594,767.00	942,142.00	-	5,337,844.00
Pension scheme (including interest)	9,018,488.00	2,950,749.00	-	-	11,969,237.00
Post retirement medical scheme (including interest)	2,705,335.00	885,224.00	-	-	3,590,559.00
Total	18,140,213.00	5,877,861.00	942,142.00	-	23,075,932.00

4.2 Provision of Rs.9,691,178/- (Previous year Rs.7,565,620/-) is created on account of 'Defined Contributory Pension Scheme' & Rs.2,907,143/- (Previous year Rs.2,269,476/-) on account of 'Post-Retirement Medical Benefit Scheme for Employees' w.e.f 01.01.2007, as per Schemes approved by the administrative Ministry vide O.M No. 12014/1/2010-BC-III dated 5th July, 2013. In addition, as per approval of the Board of Directors, provision of Rs.2,278,059/- (Previous year Rs.1,452,868/-) on Pension Scheme and Rs.683,416/- (Previous year Rs.435,859/-) on Medical Benefit Scheme has been provided towards interest (for the period 01.01.2007 till 31.03.2013) agreed to be contributed by the Corporation on this accumulated fund, to compensate for the loss of interest during the relevant period. The modalities for issue of policies for Pension & Medical scheme from L.I.C. of India and creation of Trust by NBCFDC are being completed.

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 4: लंबी अवधि के प्रावधान

विवरण	31.03.2013 को	31.03.2012 को
	राशि (रु०)	राशि (रु०)
कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान		
- उपदान	2,178,292.00	731,171.00
- अवकाश लाभ	5,337,844.00	5,685,219.00
- पेंशन योजना (ब्याज सहित)	11,969,237.00	9,018,488.00
- सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (ब्याज सहित)	3,590,559.00	2,705,335.00
	23,075,932.00	18,140,213.00

टिप्पणी 4.1: लेखाकरण मानक-29 में आवश्यक प्रावधानों का विवरण

(राशि रु० में)

विवरण	01.04.2012 की स्थिति के अनुसार	2012-13 की अवधि में वृद्धि	2012-13 की अवधि में उपभोग	2012-13 की अवधि में समायोजन	31.03.13 की स्थिति के अनुसार
उपदान	731,171.00	1,447,121.00	-	-	2,178,292.00
अवकाश लाभ	5,685,219.00	594,767.00	942,142.00	-	5,337,844.00
पेंशन योजना (ब्याज)	9,018,488.00	2,950,749.00	-	-	11,969,237.00
सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ (ब्याज सहित)	2,705,335.00	885,224.00	-	-	3,590,559.00
योग	18,140,213.00	5,877,861.00	942,142.00	-	23,075,932.00

- 4.2 कर्मचारियों के लिए 9,691,178/- रु. का प्रावधान (गत वर्ष 7,565,620/- रु.) परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना तथा 2,907,143/- रु. (गत वर्ष 2,269,476/- रु.) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. 12014/1/2010/बीसी-III, दिनांक 5 जुलाई, 2013 द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार 01.01.2007 से लागू स्कीमों के लिए सृजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार पेंशन योजनाओं के लिए 2,278,059/- रु. (पूर्व वर्ष 1,452,868/- रु.) तथा 683,416/- रु. (गत वर्ष 435,859/- रु.) चिकित्सा लाभ योजना के लिए ब्याज हेतु किया गया है (01.01.2007 से 31.03.2013 की अवधि के लिए) जो इस सूचित निधि पर निगम द्वारा संबंधित अवधि के दौरान ब्याज की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। पेंशन एवं चिकित्सा स्कीम के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पॉलीसी जारी करने तथा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा ट्रस्ट का सृजन करने संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।



4.3 Disclosures as per Accounting Standard - 15

Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

- (i) The Corporation has a defined benefit plan for payment of gratuity to all employees, which is funded with Life Insurance Corporation of India. Every employee who has completed five years or more of service receives gratuity on leaving the Corporation at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service. The present value of obligation determined is based on actuarial valuation using the projected unit credit method.
- (ii) The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the Income and Expenditure Account and Balance Sheet along with the funded status is as under:

(Amount in Rs.)

	As at 31st March'13		As at 31st March'12	
	Gratuity (Funded)	Long term Leave Benefits (Funded)	Gratuity (Funded)	Long term Leave Benefits (Funded)
(I) Key Assumptions of Actuarial:				
Method used	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
Attrition rate	2%	2%	2%	2%
Imputed Rate of Interest	8.25%	8.25%	8.70%	8.70%
Salary Rise (p.a)	7.09%	7.09%	7.09%	7.09%
Rate of return on plan assets (p.a)	9.25%	9.25%	9.25%	9.25%
(II) Changes in the present value of obligations:				
Present value of obligations at the beginning of the year	10,791,623.00	18,032,130.00	7,032,635.00	10,189,970.00
Interest cost	890,309.00	1,448,787.00	598,322.00	861,436.00
Current service cost	975,651.00	2,956,827.00	791,096.00	2,510,956.00
Benefit paid	-	(942,142.00)	(310,752.00)	(576,807.00)
Actuarial (gain)/loss on obligation	525,248.00	(2,668,758.00)	2,680,322.00	5,046,575.00
Present value of the obligation at the end of the year	13,182,831.00	18,826,844.00	10,791,623.00	18,032,130.00
(III) Changes in the present value of Plan Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	9,675,284.00	12,346,911.00	9,160,997.00	8,485,517.00
Expected Return on Plan Assets	894,964.00	1,142,089.00	833,021.00	918,774.00
Contribution	-	-	30.00	2,894,342.00
Withdrawal / Benefit paid	-	-	(310,752.00)	--
Actuarial Gain/(loss) on plan assets	-	-	(8,012.00)	48,278.00
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	10,570,248.00	13,489,000.00	9,675,284.00	12,346,911.00
(IV) Changes in the fair value of plan assets:				
Fair value of plan assets at the beginning of the year	9,675,284.00	12,346,911.00	9,160,997.00	8,485,517.00
Actual return on plan assets	894,964.00	1,142,089.00	825,009.00	967,052.00
Contributions by employer	-	-	30.00	2,894,342.00
Withdrawal / Benefit paid	-	-	(310,752.00)	--
Fair value of plan assets at the end of the year	10,570,248.00	13,489,000.00	9,675,284.00	12,346,911.00
Present Value of Obligation at the end of the year	13,182,831.00	18,826,844.00	10,791,623.00	18,032,130.00
Funded Status	(2,612,583.00)	(5,337,844.00)	(1,116,339.00)	(5,685,219.00)
(V) Actuarial Gain/Loss Recognised:				
Actuarial Gain/(loss) on Obligation	(525,248.00)	2,668,758.00	(2,680,322.00)	(5,046,575.00)
Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	-	-	(8,012.00)	48,278.00
Total (Gain)/loss for the year	525,248.00	(2,668,758.00)	2,688,334.00	4,998,297.00
Actuarial (Gain)/loss Recognised in the year	525,248.00	(2,668,758.00)	2,688,334.00	4,998,297.00
Unrecognised Actuarial (Gain) / Loss at the end of the year	-	-	--	--
(VI) Amount recognised in the Balance Sheet:				
Present value of obligation as at end of the year IVP	13,182,831.00	18,826,844.00	10,791,623.00	18,032,130.00
Fair value of plan assets as at end of the year IVP	10,570,248.00	13,489,000.00	9,675,284.00	12,346,911.00
Funded status	(2,612,583.00)	(5,337,844.00)	(1,116,339.00)	(5,685,219.00)
Unrecognized Actuarial (Gain)/Loss at the end of the year	-	-	--	--
Net Asset/(liability) Recognised in the Balance Sheet	2,612,583.00	5,337,844.00	1,116,339.00	5,685,219.00
(VII) Expenses recognised in Income & Expenditure Account (Under the head Payments to and Provisions for Employees)				
Current Service Cost	975,651.00	2,956,827.00	791,096.00	2,510,956.00
Interest cost	890,309.00	1,448,787.00	598,322.00	861,436.00
Expected return on plan assets	(894,964.00)	(1,142,089.00)	(833,021.00)	(918,774.00)
Actuarial (gain)/loss recognized in the I.V.P	525,248.00	(2,668,758.00)	2,688,334.00	4,998,297.00
Expenses/ (Income) recognised in the Statement of Profit & Loss	1,496,244.00	594,767.00 #	3,244,731.00	7,451,915.00 #

This pertains to long term liability only. Actual payments (under the various Heads) incurred over the intervaluation period should be added to this figure.

4.3 लेखाकरण मानक-15 के अनुसार प्रकटन

वास्तविक मूल्यांकन (उपदान एवं अवकाश लाभ)

- (i) कम्पनी की कर्मचारियों के लाभार्थ उपदान के भुगतान के लिए निरूपित योजना है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ निधिबद्ध किया गया है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच अथवा उससे अधिक वर्षों की सेवाएं पूर्ण कर ली हैं, कम्पनी छोड़ने की दशा में प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन (आहरित अंतिम वेतन) उपदान स्वरूप प्राप्त करता है। वर्तमान देयता का निर्धारण यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके वास्तविक मूल्यांकन आधार पर किया गया है।
- (ii) उपदान एवं लम्बी अवधि के छुट्टी लाभों की संक्षिप्त स्थिति जिसे लाभ-हानि खाते एवं तुलन पत्र के साथ-साथ निधिकरण किया गया है, का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रु. में)

	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
	उपदान (निधिक)	लम्बी अवधि के छुट्टी लाभ (निधिक)	उपदान (निधिक)	लम्बी अवधि के छुट्टी लाभ (निधिक)
(I) वास्तविक के मुख्य पूर्वानुमान:				
प्रयुक्त पद्धति	प्रोजेक्टड यूनिट क्रेडिट पद्धति	प्रोजेक्टड यूनिट क्रेडिट पद्धति	प्रोजेक्टड यूनिट क्रेडिट पद्धति	प्रोजेक्टड यूनिट क्रेडिट पद्धति
एट्रीसन दर	2%	2%	2%	2%
आरोप्य ब्याज दर	8.25%	8.25%	8.70%	8.70%
वेतन वृद्धि (प्रतिवर्ष)	7.09%	7.09%	7.09%	7.09%
योजना परिसम्पत्ति पर वापसी की दर (प्रतिवर्ष)	9.25%	9.25%	9.25%	9.25%
(II) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:				
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,791,623.00	18,032,130.00	7,032,635.00	10,189,970.00
ब्याज लागत	890,309.00	1,448,787.00	598,322.00	861,436.00
वर्तमान सेवा लागत	975,651.00	2,956,827.00	791,096.00	2,510,956.00
प्रदत्त लाभ	-	(942,142.00)	(310,752.00)	(576,807.00)
दायित्वों पर शुद्ध वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	525,248.00	(2,668,758.00)	2,680,322.00	5,046,575.00
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,182,831.00	18,826,844.00	10,791,623.00	18,032,130.00
(III) योजना परिसम्पत्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:				
वर्ष के आरंभ में योजना परिसम्पत्तियों का न्यायसंगत मूल्य	9,675,284.00	12,346,911.00	9,160,997.00	8,485,517.00
योजना परिसम्पत्तियों से प्रत्याशित वापसी अंशदान	894,964.00	1,142,089.00	833,021.00	918,774.00
निकासी/प्रदत्त लाभ	-	-	30.00	2,894,342.00
योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति/ (हानि)	-	-	(310,752.00)	--
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का न्यायसंगत मूल्य	10,570,248.00	13,489,000.00	9,675,284.00	12,346,911.00
(IV) योजना परिसम्पत्तियों के न्याय संगत मूल्य में परिवर्तन:				
वर्ष के आरंभ में योजना परिसम्पत्तियों का न्यायसंगत मूल्य	9,675,284.00	12,346,911.00	9,160,997.00	8,485,517.00
योजना परिसम्पत्तियों से वास्तविक वापसी	894,964.00	1,142,089.00	825,009.00	967,052.00
नियोक्ता का अंशदान	-	-	30.00	2,894,342.00
निकासी/प्रदत्त लाभ	-	-	(310,752.00)	--
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का न्यायसंगत मूल्य	10,570,248.00	13,489,000.00	9,675,284.00	12,346,911.00
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,182,831.00	18,826,844.00	10,791,623.00	18,032,130.00
निधिक स्थिति	(2,612,583.00)	(5,337,844.00)	(1,116,339.00)	(5,685,219.00)
(V) प्रावधानित वास्तविक प्राप्ति/ हानि:				
दायित्व पर वास्तविक प्राप्ति/(हानि)	(525,248.00)	2,668,758.00	(2,680,322.00)	(5,046,575.00)
योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति/(हानि)	-	-	(8,012.00)	48,278.00
वर्ष में कुल (प्राप्ति)/हानि	525,248.00	(2,668,758.00)	2,688,334.00	4,998,297.00
वर्ष में प्रावधानित वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	525,248.00	(2,668,758.00)	2,688,334.00	4,998,297.00
वर्ष के अंत में अ प्रावधानित वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	-	-	--	--
(VI) तुलन-पत्र में प्रावधानित राशि:				
वर्ष के अंत में आई.वी.पी. पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,182,831.00	18,826,844.00	10,791,623.00	18,032,130.00
वर्ष के अंत में आई.वी.पी. पर योजना परिसम्पत्तियों का न्याय संगत मूल्य	10,570,248.00	13,489,000.00	9,675,284.00	12,346,911.00
निधिक स्थिति	(2,612,583.00)	(5,337,844.00)	(1,116,339.00)	(5,685,219.00)
वर्ष के अंत में अ-प्रावधानित वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	-	-	--	--
तुलन-पत्र में प्रावधानित शुद्ध परिसम्पत्तियां/(दायित्व)	2,612,583.00	5,337,844.00	1,116,339.00	5,685,219.00
(VII) आय-व्यय लेखा में प्रावधानित व्यय:				
(कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत)				
चालू सेवा लागत	975,651.00	2,956,827.00	791,096.00	2,510,956.00
ब्याज लागत	890,309.00	1,448,787.00	598,322.00	861,436.00
योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित वापसी	(894,964.00)	(1,142,089.00)	(833,021.00)	(918,774.00)
आई.वी.पी. में प्रावधानित वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	525,248.00	(2,668,758.00)	2,688,334.00	4,998,297.00
आय-व्यय विवरण में प्रावधानित व्यय/(आय)का विवरण	1,496,244.00	594,767.00 #	3,244,731.00	7,451,915.00#

यह मात्र लम्बी अवधि के दायित्व से संबंधित है। मूल्यांकन अवधि पर किया गया वास्तविक भुगतान (विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत) इस आंकड़े में जोड़ा जायेगा।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 5 : Other current liabilities

Particulars	As at 31.03.2013 Amount (Rs.)	As at 31.03.2012 Amount (Rs.)
(a) Other current liabilities		
- Amount payable/adjustable to SCA	4,050,216.00	4,050,216.00
- TDS payable	1,567,105.00	542,337.00
- Service Tax payable	67,751.00	-
- Provident fund payable	514,132.00	455,940.00
- Security deposit & retention money	165,000.00	90,000.00
- Other payables	8,166,683.60	5,506,058.67
Total (a)	14,530,887.60	10,644,551.67
(b) Grants		
- Grant from government (exhibition)		
Opening Balance	149,548.60	108,679.60
Add: Receipts during the year	1,158,228.00	1,324,215.00
Less: Expenditure/Adjustment	1,307,776.60	1,283,346.00
	-	149,548.60
- Grant from government (training)		
Opening Balance	3,408,586.00	7,044,875.00
Add: Receipts during the year	-	-
Add: Interest Income	316,710.00	404,711.00
Less: Expenditure	-	4,041,000.00
	3,725,296.00	3,408,586.00
- Grant from government corporation (SRMS)		
Opening Balance	7,320,544.00	10,840,811.00
Add: Receipts during the year	125,000,000.00	617,286.00
Add: Interest Income	115,430.00	484,234.00
Less: Refund during the year	7,391,543.00	-
Less: Expenditure	125,000,000.00	4,000,000.00
Less: Administrative expenses adjusted	-	621,787.00
	44,431.00	7,320,544.00
Total (b)	3,769,727.00	10,878,678.60
Total (a+b)	18,300,614.60	21,523,230.27

- 5.1 As regards the Grant from Government (training), the Corporation had utilized the entire Grant of Rs. 1.53 Crores for the sanctioned purposes. The amount of Rs. 37.25 lacs (Previous year Rs.34.08 lacs) represents interest earned by the Corporation on this Grant from the bank. The Corporation has requested the Administrative Ministry to permit it to adjust/ use this amount for training of additional beneficiaries. The confirmation from Ministry is awaited.
- 5.2 As per its main objectives, the Corporation is to assist 'backward classes', however, as per the directions of the Administrative Ministry, it has been advised to continue to implement "Self-employment scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers" (SRMS) in some states for assisting other target groups eligible under SRMS scheme. The Corporation has again requested the Administrative Ministry to consider transfer of work under this Scheme from this Corporation. Under this scheme, so far cumulative grant-in-aid (net of refund) of Rs.2,176.09 lacs (Previous year Rs.1,000.00 lacs) has been received from National Safai Karmachari Finance and Development Corporation (NSKFDC), an apex Corporation under this Ministry. Out of the said Grant Fund (including interest) an amount of Rs. 2,401.06 lacs (Previous year Rs. 1,151.06 lacs) has been disbursed to states, who have so far submitted utilisation certificates (or refunded) of Rs.1,136.47 lacs (Previous year Rs. 1,130.30 lacs.). Administrative expenditure of Rs. Nil/- (Previous year Rs. 621,787/-) incurred in current/earlier year(s) towards the scheme has been adjusted from the grant fund.
- 5.3 As the management is in the process of obtaining requisite information pertaining to parties who may be falling within the purview of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the disclosure relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid / payable under this Act have not been given.

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 5: अन्य चालू दायित्व

विवरण	31.03.2013 को	31.03.2012 को
	राशि (रु०)	राशि (रु०)
(क) अन्य चालू दायित्व		
- रा.चै.ए. को देय/समायोजित राशि	4,050,216.00	4,050,216.00
- देय टी.डी.एस.	1,567,105.00	542,337.00
- देय सेवा कर	67,751.00	-
- देय भविष्य निधि	514,132.00	455,940.00
- प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण राशि	165,000.00	90,000.00
- अन्य देय	8,166,683.60	5,506,058.67
कुल (क)	14,530,887.60	10,644,551.67
(ख) अनुदान		
- सरकार से अनुदान (प्रशिक्षण)		
आरंभिक शेष	149,548.60	108,679.60
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	1,158,228.00	1,324,215.00
घटाएँ: समायोजन/व्यय	1,307,776.60	1,283,346.00
	-	149,548.60
- सरकार से अनुदान (प्रशिक्षण)		
आरंभिक शेष	3,408,586.00	7,044,875.00
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-
जोड़े: ब्याज आय	316,710.00	404,711.00
घटाएँ: व्यय	-	4,041,000.00
	3,725,296.00	3,408,586.00
- सरकारी निगम से अनुदान (एस.आर.एम.एस.)		
आरंभिक शेष	7,320,544.00	10,840,811.00
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	125,000,000.00	617,286.00
जोड़े: ब्याज आय	115,430.00	484,234.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापसी	7,391,543.00	-
घटाएँ: व्यय	125,000,000.00	4,000,000.00
घटाएँ: समायोजित प्रशासनिक व्यय	-	621,787.00
	44,431.00	7,320,544.00
कुल (ख)	3,769,727.00	10,878,678.60
कुल योग (क+ख)	18,300,614.60	21,523,230.27

- 5.1 जहाँ तक सरकार के प्राप्त अनुदान (राशि) का संबंध है, निगम ने स्वीकृत उद्देश्य के लिए 1.53 करोड़ रु. की पूरी अनुदान राशि खर्च की है। 37.25 लाख की राशि (गत वर्ष 34.08 लाख रु.) प्राप्त ब्याज पर निगम द्वारा बैंक से अर्जित ब्याज को प्रदर्शित करती है। निगम ने इस राशि को अतिरिक्त लाभार्थियों के प्रशिक्षण में प्रयोग करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति मांगी है। मंत्रालय में पृष्टि की प्रतीक्षा है।
- 5.2 निगम अपने मुख्य उद्देश्यों के अनुसार पिछड़े वर्गों को सहायता प्रदान करता है, यद्यपि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एस0आर0एम0एस0 योजना (मैनुअल स्केवेन्जर्स के स्व-रोजगार हेतु पुनर्वासन योजना) के अन्तर्गत कुछ राज्यों में अन्य लक्षित वर्ग के सदस्यों को सहायता प्रदान करने हेतु सलाह दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब-तक कुल रु 2,176.09 लाख (गत वर्ष रु0 1000 लाख) की अनुदान राशि मंत्रालय के शीर्ष निगम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) से प्राप्त हुई है। उपरोक्त अनुदान राशि में से (ब्याज सम्मलित) रु0 2,401.06 लाख (गत वर्ष रु0 1151.06 लाख) राज्यों को वितरित किए गए हैं, जिन्होंने अब-तक सकल राशि रु0 1,136.47 लाख (गत वर्ष रु0 1130.30 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र/वापस भेजे हैं। रु0 शून्य (गत वर्ष रु0 621,787) के प्रशासनिक व्यय चालू/पूर्व वर्ष (वर्षों) में योजना के अंतर्गत अनुदान निधि से समायोजित किए गए हैं।
- 5.3 प्रबंधन माइक्रो, स्माल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के अन्तर्गत आच्छादित पार्टियों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में है अतएव इस अधिनियम के तहत भुगतान न की गयी राशि के साथ-साथ ब्याज सहित भुगतान की गई/ भुगतान की जाने योग्य राशि नहीं दी गई है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 6 : Short-term Provisions

Particulars	As at	As at
	31.03.2013	31.03.2012
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
(a) Provision for performance related pay		
- Managing Director	3,891,392.00	3,803,709.00
- Other employees	5,032,092.00	7,671,159.00
Total (a)	8,923,484.00	11,474,868.00
(b) Provision for employee benefits		
- Leave Benefits	3,527,102.00	995,083.00
- Gratuity	434,291.00	385,168.00
- Leave Travel Concession	793,553.00	18,570.00
Total (b)	4,754,946.00	1,398,821.00
(c) Other provisions		
- Rates and taxes	423.00	-
- House tax	15,645.00	-
- Interest incentive to SCAs	286,474.00	8,277,994.00
Total (c)	302,542.00	8,277,994.00
Total (a + b + c)	13,980,972.00	21,151,683.00

- 6.1 In addition to liability towards long term leave benefits, liability for short term leave benefits of Rs.3,527,102/- (Previous year Rs.995,083/-) has also been made, as per actuarial assessment.
- 6.2 Under the 'Interest Incentive Scheme', current year 'NIL' (Previous year Rs.8,277,994/-) is estimated @ 1% on the recoveries, against the applicable rates (0.5 % to 1.5%). Any difference in the actual claims is adjusted in the year of settlement. During the year, two borrowers could not claim the incentive, which being still payable to them has been shown in current year as Rs.286,474/-. Due to non-fulfillment of terms and conditions of the scheme by other borrowers, interest incentive provision pertaining to last year of Rs. 4,436,145/- (Previous year Rs. 2,997,519/-) has been written back as 'other income'.
- 6.3 Provision for liability towards leave travel concession of Rs. 793,553/- (Previous year Rs. Nil) is made w.e.f. 2012-13, as per actuarial assessment. Entire liability has been considered as short term since the LTC block expires in next financial year.
- 6.4 Contingent liability not provided for**
Service tax liability on rent, if any, is not provided for.
- 6.5 Details of Provisions required in Accounting Standard -29**

Short Term**(Amount in Rs.)**

Particulars	As at 01.04.2012	Additions during 2012-13	Utilized during 2012-13	Written back during 2012-13	As at 31.03.13
Performance related pay					
- Managing Director	3,803,709.00	1,819,592.00	1,731,909.00	-	3,891,392.00
- Other Employees	7,671,159.00	4,157,068.00	6,796,135.00	-	5,032,092.00
Leave Benefit	995,083.00	2,532,019.00	-	-	3,527,102.00
Gratuity	385,168.00	49,123.00	-	-	434,291.00
Leave Travel Concession	18,570.00	809,140.00	34,157.00	-	793,553.00
House Tax / Rates & Tax	-	16,068.00	-	-	16,068.00
Interest Incentive	8,277,994.00	1,533,388.00	5,088,763.00	4,436,145.00	286,474.00
Total	21,151,683.00	10,916,398.00	13,650,964.00	4,436,145.00	13,980,972.00

- 6.6 Performance Related Pay :** In the past, the Corporation was making provision on account of PRP on incremental surplus, if any, in the financial year subsequent to the financial year in which such incremental surplus was earned. However, in the current financial year, provision on account of PRP on incremental surplus earned during the year has been made in the current year itself since the amount is ascertainable in the current financial year. This has resulted in reduction in Surplus of Income over Expenditure by Rs. 17.71 lacs (Previous year - Rs. Nil).

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 6: संक्षिप्त अवधि के प्रावधान

विवरण	31.03.2013 को	31.03.2012 को
	राशि (रु०)	राशि (रु०)
(क) कार्य निष्पादन से संबंधित प्रावधान		
- प्रबंध निदेशक	3,891,392.00	3,803,709.00
- अन्य कर्मचारी	5,032,092.00	7,671,159.00
योग (क)	8,923,484.00	11,474,868.00
(ख) कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान		
- अवकाश लाभ	3,527,102.00	995,083.00
- उपदान	434,291.00	385,168.00
- छुटी यात्रा रियायत	793,553.00	18,570.00
योग (ख)	4,754,946.00	1,398,821.00
(ग) अन्य प्रावधान		
- दरें एवं कर	423.00	-
- गृह कर	15,645.00	-
- रा.चै.ए. को ब्याज प्रोत्साहन	286,474.00	8,277,994.00
योग (ग)	302,542.00	8,277,994.00
कुल योग [क + ख + ग]	13,980,972.00	21,151,683.00

- 6.1 लम्बी अवधि के अवकाश लाभ हेतु दायित्व के अतिरिक्त संक्षिप्त अवधि के लाभ दायित्व रु० 3,527,102 (गत वर्ष रु० 995,083) वास्तविक निर्धारण पर किया गया है।
- 6.2 ब्याज प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रावधान वसूली का 1% की दर से चालू वर्ष 'शून्य' (गत वर्ष रु० 8,277,994/-), लागू दर (0.5% से 1.5%) के सापेक्ष किया गया है। वास्तविक दावों में अंतर का समायोजन निपटान वर्ष में किया गया है। वर्ष के दौरान दो ऋणग्राही प्रोत्साहन का दावा नहीं कर सके जो अब भी उन्हें ही देय है, चालू वर्ष में रु० 286,474/- प्रदर्शित किया गया है। अन्य ऋणग्राहियों द्वारा योजना की सेवा शर्तें पूरी न कर पाने के कारण गत वर्ष से संबंधित ब्याज प्रोत्साहन रु० 4,436,145/- (गत वर्ष रु० 2,997,519/-) का प्रावधान 'अन्य आय' के रूप में पीछे से लाया गया है।
- 6.3 छुटी यात्रा रियायत के रु० 793,553/- की देयता के (गत वर्ष शून्य) 2012-13 से वास्तविक मूल्यांकन निर्धारण के अनुसार किया गया है। पूरी देयता को लघु अवधि माना गया चूंकि एलटीसी ब्लॉक वर्ष अगले वित्तीय वर्ष में समाप्त होता है।
- 6.4 **आकस्मिक दायित्व जिसका प्रावधान नहीं किया गया;**
किराए पर सेवा प्रभार, यदि कोई है, का प्रावधान नहीं किया गया है।
- 6.5 **लेखा मानक-29 में आवश्यक प्रावधानों का विवरण**
संक्षिप्त अवधि

(राशि रु० में)

विवरण	01.04.2012 को	2012-13 की अवधि में वृद्धि	2012-13 की अवधि में उपभोग	2012-13 की अवधि में पीछे से लाया गया	31.03.13 को
कार्य निष्पादन संबंधी वेतन					
- प्रबंध निदेशक	3,803,709.00	1,819,592.00	1,731,909.00	-	3,891,392.00
- अन्य कर्मचारी	7,671,159.00	4,157,068.00	6,796,135.00	-	5,032,092.00
अवकाश लाभ	995,083.00	2,532,019.00	-	-	3,527,102.00
उपदान	385,168.00	49,123.00	-	-	434,291.00
अवकाश यात्रा रियायत	18,570.00	809,140.00	34,157.00	-	793,553.00
गृह कर/दरें एवं कर	-	16,068.00	-	-	16,068.00
ब्याज प्रोत्साहन	8,277,994.00	1,533,388.00	5,088,763.00	4,436,145.00	286,474.00
योग	21,151,683.00	10,916,398.00	13,650,964.00	4,436,145.00	13,980,972.00

- 6.6 **कार्य निष्पादन संबंधी वेतन:** गत वर्षों में निगम वृद्धिगत अधिभूय पर कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन का प्रावधान, यदि कोई हो, उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वृद्धिगत अधिभूय हुआ था से अगले वित्तीय वर्ष में करता था। तथापि चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धिगत अधिशेष पर पी.आर.पी. का प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया गया है क्योंकि राशि का पता चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया गया है। इससे व्यय से अधिक आय के अधिशेष से रु. 17.71 लाख की कमी हुई है (गत वर्ष- शून्य रु.)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 7 : Fixed Assets**(Amount in Rs.)**

Particulars	GROSS BLOCK			DEPRECIATION/AMORTISATION			NET BLOCK	
	As at 01.04.2012	Additions / Adjustments	Sale / Adjustments	As at 01.04.2012	For the year Loss	Deductions/ Adjustments	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
Tangible Assets								
- Building	10,059,971.00	-	-	5,664,003.26	-	219,799.00	4,176,168.74	4,395,967.74
- Furniture & Fixtures	3,540,498.67	216,359.00	-	3,289,890.73	396.32	57,648.00	408,922.62	250,607.94
- Office Equipment	3,761,706.98	155,360.00	49,500.00	2,930,689.24	20,284.24	128,993.00	826,778.50	831,017.74
- Vehicles	1,346,760.32	-	-	842,673.34	-	130,508.00	373,578.98	504,086.98
- Air Conditioners & Coolers	1,542,735.05	24,000.00	-	1,319,849.54	3,993.15	32,759.00	210,133.36	222,885.51
- EPABX	451,408.00	-	-	400,712.26	-	7,052.00	43,643.74	50,695.74
- Data Processing Equipments	4,781,842.00	208,799.00	75,720.00	4,002,386.63	1,618.31	372,818.00	608,805.99	779,455.37
Total	25,484,922.02	604,518.00	125,220.00	18,450,205.00	26,292.02	949,577.00	6,648,031.93	7,034,717.02
Previous Year	25,258,874.02	756,038.00	529,990.00	18,043,754.97	-	895,660.94	7,034,717.02	7,210,482.05
Intangible Assets								
- Computer software	2,032,858.00	114,792.00	-	1,873,705.00	-	120,022.00	153,923.00	159,153.00
Total	2,032,858.00	114,792.00	-	1,873,705.00	-	120,022.00	153,923.00	159,153.00
Previous Year	1,783,680.00	249,178.00	-	1,335,363.00	-	538,342.00	159,153.00	448,317.00

7.1 Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances, if any) Rs. 0.20 lac (Previous year Rs. 0.20 lac).

7.2 Provision for impairment loss of Rs. 26,292.02 (Previous year -Nil) as per Accounting Standard – 28 on impairment of assets is made. Reconciliation of Assets as per AS-28 is under:

Particulars**As at 31.03.13**

a) Carrying Amount	96,392.02
b) Recoverable Amount	70,100.00
c) Impairment Loss (2012-13)	26,292.02
(Previous year)	(Nil)

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज् फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 7: अचल परिसम्पत्तियां

राशि (रु०)

विवरण	सकल ब्लॉक		अवमूल्यन/परिशोधन		शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2012 को	विक्री/ बद्धि/ समायोजन	31.03.2013 को	क्षति हानि वर्ष के लिए कटौती/ समायोजन	31.03.2013 को	31.03.2012 को
मूर्त परिसम्पत्तियां						
- भवन	10,059,971.00	-	10,059,971.00	-	5,664,003.26	4,176,168.74
- फर्नीचर एवं उपस्कर	3,540,498.67	216,359.00	3,756,857.67	396.32	3,289,890.73	408,922.62
- कार्यालय उपकरण	3,761,706.98	155,360.00	3,867,566.98	20,284.24	2,930,689.24	826,778.50
- वाहन	1,346,760.32	-	1,346,760.32	-	842,673.34	373,578.98
- एयर कंडीशनर और कूलर	1,542,735.05	24,000.00	1,566,735.05	3,993.15	1,319,849.54	210,133.36
- ई.पी.ए.बी. एक्स	451,408.00	-	451,408.00	-	400,712.26	43,643.74
- डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर	4,781,842.00	208,799.00	75,720.00	1,618.31	372,818.00	608,805.99
योग	25,484,922.02	604,518.00	25,964,220.02	26,292.02	18,450,205.00	6,648,031.93
गत वर्ष	25,258,874.02	756,038.00	529,990.00	-	895,660.94	7,034,717.02
अमूर्त परिसम्पत्तियां						
- कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2,032,858.00	114,792.00	2,147,650.00	-	1,873,705.00	153,923.00
योग	2,032,858.00	114,792.00	2,147,650.00	-	1,873,705.00	153,923.00
गत वर्ष	1,783,680.00	249,178.00	2,032,858.00	-	1,335,363.00	159,153.00
						448,317.00

7.1 पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि रु० 0.20 लाख (गत रु० 0.20 लाख) (शुद्ध अप्रिम, यदि कोई हो) का प्रावधान नहीं किया गया है।
7.2 लेखा मानक-28 के अन्तर्गत परिसंपत्तियों की क्षति पर 26,292.02 रु. (गत वर्ष-शून्य) का प्रावधान किया गया है। लेखा मानक-28 के अनुसार परिसंपत्तियों का समाधान इस प्रकार है:

विवरण	31.03.13 को
(क) मूल्य राशि	96,392.02
(ख) वसूली योग्य राशि	70,100.00
(ग) क्षति हानि (2012-13)	26,292.03
(गत वर्ष)	(शून्य)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 8: Loan to SCAs / other entities (Long Term)

Particulars	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
(a) Unsecured considered good		
Loan to State Channelising Agencies/others		
- Term Loan	4,218,004,136.75	4,056,428,339.75
- Micro Finance Scheme	1,378,845,767.00	990,717,407.00
- Interest Accrued but not due on education loan	15,956,087.00	14,169,471.00
Total (a)	5,612,805,990.75	5,061,315,217.75
(b) Secured considered good		
Loan to institutions #		
- Micro Finance Schemes	57,499,998.00	87,500,000.00
Total (b)	57,499,998.00	87,500,000.00
Total (a+b)	5,670,305,988.75	5,148,815,217.75
# Secured by way of lien on fixed deposits		

- 8.1 As per Reserve Bank of India, the Corporation is not a Non Banking Finance Company and therefore is exempted from following RBI's prudential norms prescribed for making provisions and for income recognition on non-performing assets. As RBI's prudential norms are not applicable to the Corporation, it has made its own norms for making provision on certain overdue loans/interest thereon.
- 8.2 Out of the total Loans of Rs. 94,129.94 lacs (Previous year Rs. 86,258.62 lacs), Rs. 79,227.50 lacs (Previous year Rs. 73,301.35 lacs) have been confirmed from respective parties. The remaining loan amount is subject to confirmation by borrowers.
- 8.3 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Madhya Pradesh and out of this state a new state of Chhattisgarh was formed in the year 2000. The loan was given to Madhya Pradesh State Channelising Agency prior to division of the state and is guaranteed by the State Government of Madhya Pradesh for repayment to NBCFDC. The loan was given to the erstwhile State, however, the successor State has not confirmed its liability of Rs.272.55 lacs to NBCFDC and hence the loan outstanding is accounted for in the name of the erstwhile state.
- 8.4 Interest accrued but not due on education loan represents interest accrued and funded during the moratorium period.
- 8.5 Loans including interest (current and non-current) outstanding (net of recoveries & refunds) as under:

	31.03.2013 (Amount in Rs.) (Lacs)	31.03.2012 (Amount in Rs.) (Lacs)
<u>Unsecured</u>		
Against State Govt's Order/Block Guarantee	88,551.88	82,685.42
U.Ts	1,437.06	1,036.67
Others	3,280.29	1,291.71
<u>Secured</u>	860.71	1,000.00
Total (@)	94,129.94	86,013.80

@ It includes unrealized penal interest Rs.701.45 lacs (Previous year Rs.701.49 lacs) recognized upto 31st March, 2007, which is classified as 'other non-current assets' and fully provided for.

- 8.6 In F.Y. 2011-12 provision of Rs. 19,011,458/- (which was overdue for more than 3 years and not backed by state government order / guarantee) in respect of the two SCAs (Assam State Development Corporation for Other Backward Classes Ltd and Manipur Tribal Development Corporation Ltd), was written back as other income (Note-16) due to reschedulement of overdues of loan and interest thereon on their request. As per the terms and conditions of reschedulement, each SCA was required to make initial payment of Rs. 2 crores on or before 30.09.2012. Further, Assam State Development Corporation was required to settle the loan account by making balance payment of Rs. 2.57 crores on or before 31.03.2013 and Manipur Tribal Development Corporation Ltd. was required to make payment of 1st installment of Rs. 38.68 lacs on or before 31.03.2013. The above SCAs have failed to make the payments as agreed by them. The Board of Directors in their meeting held on 18.12.2012 have further extended the dates of initial payment by another one year i.e by 30.09.2013, and, therefore, as per its accounting policy, the Corporation is not required to make any provision for the same because it is considered good for recovery by the management.
- 8.7 Accounting Policy no. 3.3.2 (Note-22) of Annual Accounts has been inserted in the current year, which was followed for accounting during previous year. Due to this insertion, provision has been written back 'NIL' (previous year Rs. 1.90 crore).

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 8: रा.चै.ए/अन्य संस्थाओं को ऋण (लंबी अवधि)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	को राशि (रु०)	को राशि (रु०)
(क) असुरक्षित किन्तु अच्छे माने गए		
रा०चै०ए०/अन्य को ऋण		
- सावधि ऋण	4,218,004,136.75	4,056,428,339.75
- माइक्रोफाइनेंस योजना	1,378,845,767.00	990,717,407.00
- शैक्षिक ऋण पर उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं	15,956,087.00	14,169,471.00
योग (क)	5,612,805,990.75	5,061,315,217.75
(ख) सुरक्षित, प्राप्त योग्य		
संस्थानों को ऋण #		
- माइक्रो फाइनेन्स योजना	57,499,998.00	87,500,000.00
योग (ख)	57,499,998.00	87,500,000.00
योग (क+ख)	5,670,305,988.75	5,148,815,217.75
# सावधि जमा के रूप में सुरक्षित		

- 8.1 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निगम एक गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी नहीं है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निगम को प्रावधान करने के संबंध में तथा गैर-निष्पादन करने वाली परिसम्पत्तियों पर आय मान्यता के लिए उनके मानदंडों का अनुसरण करने से छूट दी है। अतः निगम ने कतिपय अतिदेय ऋणों/ब्याज से संबंधित प्रावधान करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड तैयार किए हैं।
- 8.2 कुल ऋण रु. 94,129.94 लाख (गत् वर्ष रु. 86,258.62 लाख) एवं रु. 79,227.50 लाख (गत् वर्ष रु. 73,301.35 लाख) की पुष्टि संबंधित पार्टियों द्वारा की गई है। शेष राशि ऋणग्राहियों की पुष्टि के अधीन है।
- 8.3 सवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ तथा इस राज्य से एक नए राज्य का छत्तीसगढ़ का निर्माण वर्ष 2000 में हुआ। राज्य के विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को ऋण दिए गए थे तथा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को भुगतान हेतु प्रत्याभूत थे। ऋण पूर्ववर्ती राज्य को प्रदान किए गए थे जबकि पश्चातवर्ती राज्य ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को रु. 272.55 लाख के दायित्व की पुष्टि नहीं की है एवं इस प्रकार से बकाया ऋण की पूर्ववर्ती राज्य के नाम पर गणना की गई है।
- 8.4 शैक्षिक ऋण पर उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं, उपार्जित ब्याज को प्रदर्शित करते हैं एवं मोरीटेरियम अवधि में दिए गए हैं।
- 8.5 ऋण जिसमें ब्याज सम्मिलित है (चालू एवं गैर चालू) बकाया (वसूली का शुद्ध एवं वापसी) निम्नानुसार है:

	31.03.2013	31.03.2012
	(रु०/लाख)	(रु०/लाख)
असुरक्षित		
राज्य सरकार के आदेश /शासकीय गारण्टी	88,551.88	82,685.42
संघ राज्य क्षेत्र	1,437.06	1,036.67
अन्य	3,280.29	1,291.71
सुरक्षित	860.71	1,000.00
योग (@)	94,129.94	86,013.80

@ इसमें 31 मार्च, 2007 तक वसूली नहीं किया गया दण्ड ब्याज रु० 701.45 लाख (गत वर्ष रु० 701.49 लाख) सम्मिलित है जो 'अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इसका पूर्णरूपेण प्रावधान किया गया है।

- 8.6 वित्तीय वर्ष 2011-12 में दो राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के संबंध में (असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फार अदर बैकवर्ड क्लासेज़ लि. एवं मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.) उनके आग्रह पर बकाया ऋण एवं उस पर ब्याज के पुर्ननिर्धारण के कारण रु. 19,011,458/- (जो 3 वर्षों से अधिक से बकाया है एवं राज्य सरकार के आदेश/गारण्टी से सुरक्षित नहीं है) अन्य आय (टिप्पणी-16) के रूप में पीछे से लाए गए थे। पुर्ननिर्धारण की सेवा शर्तों के अनुसार प्रत्येक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के लिए यह आवश्यक था कि आरंभ में 30.09.2013 तक या उससे पहले रु. 2.00 करोड़ का भुगतान करे। पुनश्चः, असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ऋण खाते के निस्तारण हेतु यह आवश्यक था कि 31.03.2013 तक अथवा उससे पहले रु. 2.57 करोड़ का भुगतान करे एवं मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. द्वारा 31.03.2013 तक अथवा उससे पहले रु. 38.68 लाख की पहली किस्त भुगतान की जानी थी। उक्त राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां जैसा कि वे सहमत हुई थी, भुगतान करने में असफल रहीं। दिनांक 18.12.2012 को संपन्न निदेशक मण्डल की बैठक में आरंभिक भुगतान की तिथि को आगे एक वर्ष अर्थात् 30.09.2013 तक और बढ़ा दिया गया। अतएव, लेखा नीति के अनुसार निगम को इसके लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रबंधन द्वारा वसूली हेतु अच्छे माने गए हैं।
- 8.7 वार्षिक लेखा पर लेखा नीति सं. 3.3.2 (टिप्पणी सं-22) को चालू वर्ष में समाहित किया गया है जो गत् वर्ष लेखाकरण हेतु अनुसरण किए गए थे। इस समावेशन के कारण पीछे से लाए गए प्रावधान शून्य (गत् वर्ष रु० 1.90 करोड़) हैं।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note-9 : Other Loans & Advances (Long Term)

Particulars	As at	As at
	31.03.2013	31.03.2012
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
A. Security deposits	100,993.25	100,993.25
Total (a)	100,993.25	100,993.25
B. LOAN TO MANAGING DIRECTOR & EMPLOYEES		
1 <u>Loan to Managing Director (unsecured)</u>		
i) Loan	-	-
ii) Interest	25,304.00	232,261.00
Total (b)	25,304.00	232,261.00
2 LOANS TO EMPLOYEES		
(i) <u>Secured</u>		
Loan	5,376,560.00	6,320,594.00
Interest	6,918,303.00	7,125,857.00
Total (c)	12,294,863.00	13,446,451.00
(ii) <u>Unsecured</u>		
Loan	1,294,878.00	1,523,706.00
Interest	666,632.00	521,486.00
Total (d)	1,961,510.00	2,045,192.00
Total (a + b + c + d)	14,382,670.25	15,824,897.25

Note 10 : Other Non-current Assets

(a) Penal Interest receivable on loan to SCA/others	70,144,565.00	70,149,474.00
Less: Allowance for loan & advances	70,144,565.00	70,149,474.00
Total (a)	-	-
(b) Stock of Samples (Display Items)	107,278.00	139,903.00
(c) LIC (Pension Scheme)	855,972.00	6,000.00
Total (a + b + c)	963,250.00	145,903.00

10.1 Detail of Allowance for Loans & Advances (non-current) as on 31.03.2013

Penal interest	As at 01.04.2012	Additions during the year	Utilized/ Written back during 2012-13	As on 31.03.2013
	70,149,474.00	1,399.00	6,308.00	70,144,565.00

10.2 Deposit with LIC (pension scheme) represents voluntary contribution from employees.

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 9: अन्य ऋण एवं अग्रिम (लम्बी अवधि)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	को राशि (रु०)	को राशि (रु०)
क प्रतिभूति जमा	100,993.25	100,993.25
योग (क)	100,993.25	100,993.25
ख प्रबंध निदेशक एवं कर्मचारियों को ऋण		
1 प्रबंध निदेशक को ऋण (असुरक्षित)		
i) ऋण	-	-
ii) ब्याज	25,304.00	232,261.00
योग (ख)	25,304.00	232,261.00
2 कर्मचारियों को ऋण		
(i) सुरक्षित		
ऋण	5,376,560.00	6,320,594.00
ब्याज	6,918,303.00	7,125,857.00
योग (ग)	12,294,863.00	13,446,451.00
(ii) असुरक्षित		
ऋण	1,294,878.00	1,523,706.00
ब्याज	666,632.00	521,486.00
योग (घ)	1,961,510.00	2,045,192.00
कुल योग (क+ख+ग+घ)	14,382,670.25	15,824,897.25

टिप्पणी 10: अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां

(क) रा.चै.ए./अन्य से ऋण पर प्राप्य दण्ड ब्याज	70,144,565.00	70,149,474.00
घटाए: ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	70,144,565.00	70,149,474.00
योग (क)	-	-
(ख) प्रतिरूपों का भण्डार (प्रदर्शनी हेतु सामान)	107,278.00	139,903.00
(ग) एल.आई.सी. (पेंशन योजना)	855,972.00	6,000.00
कुल योग (क+ख+ग)	963,250.00	145,903.00

10.1 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर चालू) पर छूट के प्रावधानों का विवरण

दण्ड ब्याज	01.04.2012 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	2012-13 के दौरान/उपयुक्त पीछे से लाया गया	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
	70,149,474.00	1,399.00	6,308.00	70,144,565.00

10.2 एल.आई.सी. (पेंशन योजना) में जमा कर्मचारियों के स्वैक्षिक अंशदान को प्रदर्शित करता है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 11: Cash and Bank Balances

Particulars	As at	As at
	31.03.2013	31.03.2012
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
(a) Cash and cash equivalents		
- Cash in hand	23,604.00	34,809.00
- Savings account	198,802,842.00	32,898,225.10
- Cheques in hand	20,000.00	-
- Term deposits having maturity of 12 months or less	730,000,000.00	1,125,140,000.00
- Stamps in hand	2,992.00	15,806.00
Total (a)	928,849,438.00	1,158,088,840.10
(b) Other bank balances (grant funds)		
- Flexi deposit account	3,614,000.00	10,594,000.00
- Savings account	155,727.00	139,631.00
Total (b)	3,769,727.00	10,733,631.00
Total (a+b)	932,619,165.00	1,168,822,471.10

11.1 Other bank balances represents funds meant for utilisation only in respective grant schemes.

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 11: नकद एवं बैंक अवशेष

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	को राशि (रु०)	को राशि (रु०)
(क) नकदी एवं नकदी समकक्ष		
- हस्तगत नकदी	23,604.00	34,809.00
- बचत खाता	198,802,842.00	32,898,225.10
- पास में चेक	20,000.00	-
- 12 माह अथवा कम अवधि में परिपक्वता वाली सावधि जमा	730,000,000.00	1,125,140,000.00
- पास में डाक टिकट	2,992.00	15,806.00
योग (क)	928,849,438.00	1,158,088,840.10
(ख) अन्य बैंक अवशेष (अनुदान निधि)		
- फ्लैक्सी जमा खाता	3,614,000.00	10,594,000.00
- बचत खाता	155,727.00	139,631.00
योग (ख)	3,769,727.00	10,733,631.00
योग (क+ख)	932,619,165.00	1,168,822,471.10

11.1 अन्य बैंक अवशेष सम्बंधित अनुदान योजनाओं में ही निधि के उपभोग को प्रदर्शित करता है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 12: Loan to SCAs / other entities (Short Term)

Particulars	As at	As at
	31.03.2013	31.03.2012
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
(i) Unsecured (considered good)		
Loan to State Channelising Agencies/others		
- Term Loan	2,371,692,035.00	2,253,663,968.00
- Micro Finance Schemes	818,071,308.00	798,795,352
- Interest accrued but not due on education loan	5,539,817.00	5,523,990.00
	3,195,303,160.00	3,057,983,310.00
Less : Allowance on loans & advances	2,628,109.00	2,104,133.00
Total (a)	3,192,675,051.00	3,055,879,177.00
(ii) Secured (considered good)		
Loan to institutions #		
- Micro Finance Schemes	28,571,428.00	12,500,000.00
Total (b)	28,571,428.00	12,500,000.00
Total (a+b)	3,221,246,479.00	3,068,379,177.00
# Secured by way of lien on fixed deposits		

12.1 Details of allowance on loan & advances (Short Term) as at 31.03.2013

As at 01.04.2012	Additions during the year	Utilized & Written back during the year	As on 31.03.2013
2,104,133.00	665,813.00	141,837.00	2,628,109.00

12.2 Refer to Notes 8.1 to 8.6 for long term loans & advances.

12.3 Short-term loan to SCAs / other entities includes advances of Rs. 2,208.96 lacs (Previous year Rs.2,281.23 lacs) remaining unutilised for more than six months as at year end.

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 12: रा.चै.ए./अन्य संस्थाओं को ऋण (संक्षिप्त अवधि)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	को राशि (रु०)	को राशि (रु०)
(i) असुरक्षित (अच्छे माने गए)		
रा.चै.ए./अन्य को ऋण		
- सावधि ऋण	2,371,692,035.00	2,253,663,968.00
- लघु वित्त योजना	818,071,308.00	798,795,352
- शिक्षा ऋण पर उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं	5,539,817.00	5,523,990.00
	<u>3,195,303,160.00</u>	<u>3,057,983,310.00</u>
घटाएं: ऋण एवं अग्रिमों पर प्रावधान	2,628,109.00	2,104,133.00
कुल (क)	<u>3,192,675,051.00</u>	<u>3,055,879,177.00</u>
(ii) सुरक्षित (अच्छे माने गए)		
संस्थानों को ऋण #		
- लघु वित्त योजना	28,571,428.00	12,500,000.00
कुल (ख)	<u>28,571,428.00</u>	<u>12,500,000.00</u>
कुल (क+ख)	<u>3,221,246,479.00</u>	<u>3,068,379,177.00</u>
# सावधि जमा के रूप में सुरक्षित		

12.1 31.03.2013 को ऋण एवं अग्रिमों पर प्रावधान का विवरण

01.04.2012 को	वर्ष में वृद्धि	वर्ष के दौरान उपर्युक्त एवं पीछे से लाए गए	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
2,104,133.00	665,813.00	141,837.00	2,628,109.00

12.2 लंबी अवधि के ऋणों एवं अग्रिमों के लिए टिप्पणी सं. 8.1 से 8.6 का संदर्भ लें।

12.3 एस.सी.ए./ अन्य संस्थाओं को दिए लघु अवधि ऋण में 2,208.96 लाख रु. (गत वर्ष 2,281.23 लाख रु.) शामिल है जो वर्ष के अंत में छः महीने से अधिक अनुपयुक्त रहे हैं।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 13: Other Loans & Advances (Short Term)

Particulars	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
a) Loans to Managing Director		
(i) <u>Unsecured</u>		
Loan	-	4,245.00
Interest	141,000.00	84,458.00
Total (a)	141,000.00	88,703.00
b) Loans to Employees		
(i) <u>Secured</u>		
Loan	1,177,354.00	1,262,715.00
Interest	137,269.00	109,153.00
Total (b)	1,314,623.00	1,371,868.00
(ii) <u>Unsecured</u>		
Loan	163,980.00	193,105.00
Interest	109,368.00	40,720.00
Total (c)	273,348.00	233,825.00
Total (a + b + c)	1,728,971.00	1,694,396.00

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 13: अन्य ऋण एवं अग्रिम (संक्षिप्त अवधि)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	को	को
	राशि (रु०)	राशि (रु०)
क) प्रबंध निदेशक को ऋण		
(i) असुरक्षित		
ऋण	-	4,245.00
ब्याज	141,000.00	84,458.00
योग (क)	141,000.00	88,703.00
ख) कर्मचारियों को ऋण		
(i) सुरक्षित		
ऋण	1,177,354.00	1,262,715.00
ब्याज	137,269.00	109,153.00
योग (ख)	1,314,623.00	1,371,868.00
(ii) असुरक्षित		
ऋण	163,980.00	193,105.00
ब्याज	109,368.00	40,720.00
योग (ग)	273,348.00	233,825.00
योग (क+ख+ग)	1,728,971.00	1,694,396.00

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

Note 14: Other Current Assets

Particulars	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
(i) <u>Interest Receivable</u>		
(a) Term Loan Scheme	366,152,530.00	296,533,010.00
(b) Micro Finance Scheme	11,446,965.00	9,565,482.00
(ii) <u>Interest Accrued but not due</u>		
(a) Term Loan Scheme	4,331,902.00	570,159.00
(b) Micro Finance Scheme	223,597.00	856,786.00
	382,154,994.00	307,525,437.00
Less: Allowance for interest on loans and advances	317,011.00	291,396.00
	381,837,983.00	307,234,041.00
(iii) Interest accrued but not due on deposit with banks	51,270,827.43	35,804,930.00
(iv) Income Tax Receivable	18,298.00	18,298.00
(v) Grant Receivable (Ministry of SJ&E)	2,500,000.00	1,250,000.00
(vi) Other Receivables	3,041,328.88	3,589,174.91
Total	438,668,437.31	347,896,443.91

14.1 Loans & advances including simple interest thereon overdue as at end of the year is classified as short term loans/other current assets, as these are considered good for recovery/adjustment in the subsequent financial year.

14.2 Details of allowance for interest on loans and advances (other current assets) as at 31.03.2013.

Particulars	As at 31.03.2012	Additions during the year	Utilized & Written back during the year	As at 31.03.2013
Interest on loan	291,396.00	58,139.00	32,524.00	317,011.00

14.3 Other receivables (vi) above includes Rs.15.33 lacs (Previous year Rs.22.12 lacs) receivable from other National Corporations under the same Administrative Ministry. The said amounts are subject to reconciliation and confirmation, but are considered good for recovery. Therefore, no provision for the same has been made.

Notes forming part of Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2013

Note 15: Revenue from Operations

Particulars	2012-13	2011-12
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
A. Interest on Loan to SCAs/others		
Interest on Loan and advances	232,986,493.00	218,787,668.00
Less: Rebate	521,904.00	347,944.00
	232,464,589.00	218,439,724.00
Penal Interest	100,103.00	432,594.00
Total (a)	232,564,692.00	218,872,318.00
B. Interest from Banks		
- Savings Bank	3,965,399.43	4,599,913.00
- Fixed Deposits	106,447,249.00	88,197,518.00
Total (b)	110,412,648.43	92,797,431.00
Total (a+b)	342,977,340.43	311,669,749.00

15.1 Segmental Reporting (AS-17)

The Corporation has only one Business segment and one Geographical segment, as it is engaged in providing finances at concessional rate of interest to eligible persons belonging to backward classes, through state channelising agencies in the country. Hence, segment information as per AS - 17 is not required to be disclosed.

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 14: अन्य चालू परिसम्पत्तियां

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	को राशि (रु०)	को राशि (रु०)
(i) प्राप्य ब्याज		
(क) सावधि ऋण योजना	366,152,530.00	296,533,010.00
(ख) लघु वित्त योजना	11,446,965.00	9,565,482.00
(ii) उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं		
(क) सावधि ऋण योजना	4,331,902.00	570,159.00
(ख) लघु वित्त योजना	223,597.00	856,786.00
	382,154,994.00	307,525,437.00
घटाएं: ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज के लिए प्रावधान	317,011.00	291,396.00
	381,837,983.00	307,234,041.00
(iii) बैंक में जमा पर उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं	51,270,827.43	35,804,930.00
(iv) प्राप्य आयकर	18,298.00	18,298.00
(v) प्राप्य अनुदान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	2,500,000.00	1,250,000.00
(vi) अन्य प्राप्य	3,041,328.88	3,589,174.91
कुल	438,668,437.31	347,896,443.91

14.1 ऋण एवं अग्रिमों में वर्ष के अन्त में बकाया राशि पर साधारण ब्याज सम्मिलित हैं तथा यह संक्षिप्त अवधि ऋण / अन्य चालू परिसम्पत्तियों को वर्गीकृत करता है क्योंकि यह उत्तरगामी वर्ष में वसूली/समायोजन के लिए अच्छे माने गए हैं।

14.2 31.03.2013 को ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज (अन्य चालू परिसंपत्तियां) हेतु छूट का विवरण:

विवरण	31.03.2012 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उपभुक्त एवं पीछे से लाया गया	31.03.2013 को
ऋण पर ब्याज	291,396.00	58,139.00	32,524.00	317,011.00

14.3 उपरोक्त अन्य प्राप्य (vi) में रु. 15.33 लाख (गत् वर्ष रु. 22.12) समान प्रशासनिक मंत्रालय की अन्य राष्ट्रीय निगमों से प्राप्त होने वाली राशि सम्मिलित है यह राशि मिलान एवं पुष्टि के अधीन है किन्तु वसूली हेतु अच्छा माना गया है। अतः इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष में आय एवं व्यय लेखों के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 15: अनुप्रयोग से राजस्व

विवरण	2012-13	2011-12
	राशि (रु०)	राशि (रु०)
क रा.चै.ए./अन्य से ऋण पर ब्याज		
ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	232,986,493.00	218,787,668.00
घटाएं : छूट	521,904.00	347,944.00
	232,464,589.00	218,439,724.00
दण्ड ब्याज	100,103.00	432,594.00
योग (क)	232,564,692.00	218,872,318.00
ख बैंको से ब्याज		
- बैंक बचत	3,965,399.43	4,599,913.00
- सावधि जमा	106,447,249.00	88,197,518.00
योग (ख)	110,412,648.43	92,797,431.00
कुल योग (क+ख)	342,977,340.43	311,669,749.00

15.1 खंडीय सूचना देना (एएस-17)

निगम का केवल एक कारोबार खंड तथा भौगोलिक खंड हैं क्योंकि यह राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से देश में पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराता है। अतः लेखाकरण मानक -17 के अनुसार खंडीय सूचना प्रकट की जानी अपेक्षित नहीं है।

Note 16: Other Income

Particulars	2012-13	2011-12
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Interest on advances to employees	118,270.00	921,985.00
Miscellaneous income	36,066.40	172,401.56
Interest Incentive to SCAs written back	4,436,145.00	2,997,519.00
Excess provision on employee benefits written back	-	524,034.00
Excess provision on loans & advances written back #	-	19,101,018.00
Interest on income tax refund	-	10,393.00
Total	4,590,481.40	23,727,350.56

Refer Note No. 8.6

Note 17: Employee Benefit Expenses

Particulars	2012-13	2011-12
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Salaries	40,167,872.00	34,546,391.00
Contribution to provident and other funds	10,779,833.50	17,664,698.50
Staff welfare expenses		
- LTC	910,455.00	89,158.00
- Medical Reimbursements	1,061,327.95	374,899.00
- Others	1,001,185.00	1,017,463.00
Total	53,920,673.45	53,692,609.50

Note 18: Finance Cost

Particulars	2012-13	2011-12
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Interest on temporary loan from bank	1,968,023.00	0.00
Total	1,968,023.00	0.00

टिप्पणी 16: अन्य आय

विवरण	2012-13 (राशि ₹0 में)	2011-12 (राशि ₹0 में)
कर्मचारियों को दिए गए अग्रियों पर ब्याज	118,270.00	921,985.00
विविध आय	36,066.40	172,401.56
रा.चै.ए. को ब्याज प्रोत्साहन पीछे से लाया गया	4,436,145.00	2,997,519.00
कर्मचारी कल्याण पर आधिक्य प्रावधान पीछे से लाया गया	-	524,034.00
ऋण एवं अग्रियों पर आधिक्य प्रावधान पीछे से लाया गया #	-	19,101,018.00
आय कर वापसी पर ब्याज	-	10,393.00
योग	4,590,481.40	23,727,350.56

नोट संख्या 8.6 देखें

टिप्पणी 17: कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	2012-13 (राशि ₹0 में)	2011-12 (राशि ₹0 में)
वेतन	40,167,872.00	34,546,391.00
भविष्य निधि एवं अन्य निधि को अंशदान	10,779,833.50	17,664,698.50
कर्मचारी कल्याण व्यय		
- एल.टी.सी.	910,455.00	89,158.00
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,061,327.95	374,899.00
- अन्य	1,001,185.00	1,017,463.00
योग	53,920,673.45	53,692,609.50

टिप्पणी 18: वित्त लागत

विवरण	2012-13 (राशि ₹0 में)	2011-12 (राशि ₹0 में)
बैंक से लिए गए अस्थायी ऋण	1,968,023.00	0.00
योग	1,968,023.00	0.00

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

NOTES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

Note 19: Other Expenses

Particulars	2012-13	2011-12
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
A Administrative Expenses		
Payments to Statutory Auditors -		
- Audit Fees	112,360.00	112,360.00
- Certification Charges	78,652.00	33,708.00
Electricity & Water Charges	1,013,358.00	740,310.00
Rent	4,347,372.00	4,584,455.00
Repairs to Building	41,550.00	72,255.00
Repairs to Equipment & others	395,799.00	338,363.00
Insurance Charges	93,402.00	66,253.50
Rates & Taxes	46,470.00	40,413.00
Administration Charges on CPF	247,495.00	211,305.00
Advertisement & Publicity	485,561.00	527,361.00
Board Meeting Expenses	16,922.00	9,576.00
Business Promotion Expenses	160,661.21	125,526.00
Conference and Meetings	71,610.00	1,485,835.00
Conveyance	1,279,001.00	1,154,996.00
Impairment / Loss on Exchange of Assets	32,102.09	-
Entertainment Expenses	67,156.97	86,107.09
Legal Charges & Professional Fees	407,660.00	1,074,048.00
Membership & Subscription	95,084.00	89,598.00
Monitoring & Evaluation Expenses	1,295,200.00	2,058,880.00
Newspaper & Periodicals	34,892.00	46,517.00
Other Expenses	133,006.65	54,921.50
Office Expenses & Maintenance	1,048,263.75	985,721.00
Postage & Telegrams	82,234.00	60,448.00
Printing and Stationery	724,004.37	507,377.00
Recruitment, & Training Expenses	136,509.00	79,400.00
Security & Other Service Charges	1,178,809.00	929,071.00
Travelling Expenses		
- Directors	994,534.60	537,671.18
- Employees	814,181.00	340,207.00
- Others	-	3,884.00
Telephone Expenses	483,628.70	485,739.61
Vehicle Running & Maintenance	435,065.00	5,41,465.00
Total (a)	16,352,544.34	17,383,771.88
B Training, Promotional and Other Developmental Grants/Expenditure		
Training expenditure to State Channelising Agencies (SCAs) & other Institutions	11,351,120.00	8,253,055.00
Fair, Exhibitions and Awareness Camps	2,032,874.16	3,337,262.38
Publicity Grant to SCAs	1,023,429.00	231,313.00
Website Development Grant to SCAs	-	49,950.00
Interest Incentive to SCAs.	1,533,388.00	9,768,264.00
Total (b)	15,940,811.16	21,639,844.38
Total (a+b)	32,293,355.50	39,023,616.26

19.1 Pending the issuance of notification, cess leviable under section 441 A of the Companies Act 1956, is not provided for.

19.2 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of Rs.1,182.18 lacs (Previous year Rs.1,068.92 lacs) to State Channelising Agencies/ other institutions for imparting training to the target group & officials of SCAs, which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for Rs.115.74 lacs (Previous year Rs.96.95 lacs) are awaited as on 31st March 2013.

19.3 Expenditure in Foreign Currency : Rs. Nil (Previous Year Rs.129,842/- on fair & exhibition)

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
आय एवं व्यय लेखे के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 19: अन्य व्यय

विवरण	2012-13	2011-12
	(राशि ₹0 में)	(राशि ₹0 में)
क प्रशासनिक व्यय		
सांविधिक अंकेक्षको को भुगतान -		
- अंकेक्षण शुल्क	112,360.00	112,360.00
- प्रमाणीकरण प्रभार	78,652.00	33,708.00
बिजली एवं पानी प्रभार	1,013,358.00	740,310.00
किराया	4,347,372.00	4,584,455.00
भवन की मरम्मत	41,550.00	72,255.00
उपकरण तथा अन्य की मरम्मत	395,799.00	338,363.00
बीमा प्रभार	93,402.00	66,253.50
दरें एवं कर	46,470.00	40,413.00
भविष्य निधि पर प्रशासनिक प्रभार	247,495.00	211,305.00
विज्ञापन एवं प्रचार	485,561.00	527,361.00
निदेशक मण्डल की बैठक पर व्यय	16,922.00	9,576.00
व्यवसाय प्रोत्साहन व्यय	160,661.21	125,526.00
सम्मेलन तथा बैठकें	71,610.00	1,485,835.00
वाहन व्यय	1,279,001.00	1,154,996.00
परिसम्पत्ति के विनियम पर क्षति/हानि	32,102.09	-
मनोरंजन व्यय	67,156.97	86,107.09
विधिक प्रभार एवं व्यवसायिक शुल्क	407,660.00	1,074,048.00
सदस्यता तथा अंशदान	95,084.00	89,598.00
मानीटरिंग एवं मूल्यांकन व्यय	1,295,200.00	2,058,880.00
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	34,892.00	46,517.00
अन्य व्यय	133,006.65	54,921.50
कार्यालय व्यय एवं रख-रखाव	1,048,263.75	985,721.00
डाक एवं तार	82,234.00	60,448.00
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	724,004.37	507,377.00
भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय	136,509.00	79,400.00
सुरक्षा तथा अन्य सेवा प्रभार	1,178,809.00	929,071.00
यात्रा व्यय		
- निदेशक	994,534.60	537,671.18
- कर्मचारीगण	814,181.00	340,207.00
- अन्य	-	3,884.00
टेलीफोन व्यय	483,628.70	485,739.61
वाहन चालन एवं रखरखाव	435,065.00	5,41,465.00
योग (क)	16,352,544.34	17,383,771.88
ख प्रशिक्षण, प्रोत्साहनात्मक एवं विकासात्मक अनुदान/ व्यय		
रा.चै.ए. एवं अन्य संस्थानों को प्रशिक्षण व्यय	11,351,120.00	8,253,055.00
मेला, प्रदर्शनियां तथा जगरूकता शिविर	2,032,874.16	3,337,262.38
रा.चै.ए. को प्रचार प्रसार अनुदान	1,023,429.00	231,313.00
रा.चै.ए. को वेबसाइट विकास हेतु अनुदान	-	49,950.00
रा.चै.ए. को ब्याज प्रोत्साहन	1,533,388.00	9,768,264.00
योग (ख)	15,940,811.16	21,639,844.38
कुल योग (क+ख)	32,293,355.50	39,023,616.26

19.1 अधिसूचना जारी होने तक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 ए के अधीन उगाही योग्य उपकरण का प्रावधान नहीं किया गया।

19.2 निगम ने लक्षित समूह और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों / अन्य संस्थाओं को ₹0 1,182.18 लाख (गत् वर्ष ₹0 1,068.92 लाख) का संचयी अनुदान अब तक वितरित किया है जिसे नीति के अनुसार वितरण पर राजस्व प्रभार्य (चार्ज) किया गया है। वितरित किए गए संचयी अनुदान में से 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹0 115.74 लाख (गत् वर्ष ₹. 96.95 लाख) के उपभोग प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है।

19.3 विदेशी मुद्रा में व्यय : शून्य (गत् वर्ष मेला एवं प्रदर्शनियों पर 1,29,842 रु.)।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
NOTES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2013

Note 20: Prior period items

Particulars	2012-13	2011-12
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
A. Expenses		
- Penal Interest waived	3,041.00	-
- Interest Incentive to SCA	-	161,649.00
- Interest on Loan	1,294,315.00	-
- Penal Interest	126.00	-
- Security & other service charges	105,509.00	-
Total (a)	1,402,991.00	161,649.00
B. Income		
- Interest on Education Loan	4,525.00	-
- Interest on Loan to SCA	435,044.00	-
- Office Expenses written back	5,500.00	-
- Training Grant Expenses written back	90,000.00	-
Total (b)	535,069.00	-
Total (a-b)	867,922.00	161,649.00

Note 21 : Earnings Per Share (AS- 20)

In compliance with Accounting Standard (AS-20) on Earnings per share issued by Institute of Chartered Accountant of India, the calculation of earning per share (Basic & Diluted) is as under :

Particulars	2012-13	2011-12
Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (Rs.) - (a)	256,902,147.88	241,055,976.86
Weighted Average Number of Equity Shares (For Basic EPS) - (b)	6,906,066	6,369,373
Basic Earnings per Share (Rs.) - (a/b)	37.20	37.85
Weighted average No. of Shares (For Diluted EPS) - (c)	6,922,732	6,448,090
Diluted Earning per share (Rs.) - (a/c)	37.11	37.38
Nominal value per share (Rs.)	1,000.00	1,000.00

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष में आय एवं व्यय लेखे के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 20: पूर्वावधि में

विवरण	2012-13 (राशि ₹0 में)	2011-12 (राशि ₹0 में)
क. व्यय		
- माफ किया गया दण्ड ब्याज	3,041.00	-
- रा.चै.ए. को ब्याज प्रोत्साहन	-	161,649.00
- ऋण पर ब्याज	1,294,315.00	-
- दण्ड ब्याज	126.00	-
- सुरक्षा एवं अन्य सेवा प्रभार	105,509.00	-
योग (क)	1,402,991.00	161,649.00
ख. आय		
- शैक्षिक ऋण पर ब्याज	4,525.00	-
- रा.चै.ए. को ऋण पर ब्याज	435,044.00	-
- पीछे से लाए गए कार्यालय व्यय	5,500.00	-
- पीछे से लाए गए प्रशिक्षण अनुदान व्यय	90,000.00	-
योग (ख)	535,069.00	-
योग (क-ख)	867,922.00	161,649.00

टिप्पणी 21: प्रति शेयर अर्जन (लेखा मानक-20)

प्रति शेयर आय अर्जन पर इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ए.एस.-20) के अनुपालन में प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं तनूकृत) का आगणन निम्नानुसार है:

विवरण	2012-13	2011-12
इक्विटी शेयर धारकों को आरोप्य वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (₹.)-(क)	256,902,147.88	241,055,976.86
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल ईपीएस के लिए)-(ख)	6,906,066	6,369,373
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹.)/(क/ख)	37.20	37.85
शेयरों की भारित औसत संख्या (तनूकृत ईपीएस के लिए)-(ग)	6,922,732	6,448,090
प्रति शेयर तनूकृत अर्जन (₹.)/(क/घ)	37.11	37.38
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹.)	1,000.00	1,000.00

Note-22 : (Significant Accounting Policies)**1. Basis of Preparation of Accounts**

The accompanying financial statements have been prepared under historical cost convention and these comply in all material aspects, with applicable statutory/regulatory provisions, accounting standards and generally accepted accounting principles and practices, except as otherwise stated.

2. Income

- 2.1 Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognised on accrual basis.
- 2.2 Interest on funds re-appropriated by SCAs in the other sanctioned schemes is recognized in the year of its determination after receipt of scheme wise details of utilization.
- 2.3 Interest receivable from the borrowing agencies is recognized equally over the period of loan.
- 2.4 Penal Interest on delay in repayments is recognized on realization as per Accounting Standard AS-9, as its collectability is uncertain.

3. Expenditure & Provisions

- 3.1 Payment of grants to SCAs/institutions for expenditure on developmental & promotional activities is accounted for on disbursement.
- 3.2 Benefits applicable to all employees & key management personnel:
 - 3.2.1 The liability for gratuity to all employees is recognised as an expense on accrual basis, as per actuarial valuation at the year end and paid into 'Group Gratuity Scheme' managed by Life Insurance Corporation of India. The Corporation has formed a trust for administration of the Employees Group Gratuity Scheme with L.I.C.
 - 3.2.2 Long term liability on account of leaves (earned leave and commuted leave) is provided on the basis of actuarial valuation at the year-end. Actuarial gains and losses in respect of gratuity and long term leave benefits are charged to the Income & Expenditure Account.
 - 3.2.3 Provision for short term liability on account of leave benefits (casual leave, earned leave and commuted leave) is accounted for on the basis of actuarial valuation and charged to Income & Expenditure Account.
 - 3.2.4 The liability on account of Leave Travel Concession (LTC) is provided on the basis of actuarial assessment at the year end and charged to Income and Expenditure Account.
 - 3.2.5 Contribution to recognised Provident Fund (defined contribution plan) is provided for on accrual basis.
- 3.3 Loans and Provisions thereon:
 - 3.3.1 Provisions are made against loans and interest thereon, where the amounts are overdue for more than three years and are not covered by the State Government's Order/ Guarantee or any other security.
 - 3.3.2 Provision / allowances on rescheduled loans / interest thereon, if any, are written back to the extent they fall outside the purview of para (3.3.1) above.
 - 3.3.3 Expenditure incurred relating to prior period not exceeding Rs.1,000/- is treated as expenditure of the current year.
 - 3.3.4 Stock of artisan products held for display / promotional activities is valued at cost.

3.4 Provision for Income-tax:

- 3.4.1 Provision for Income- Tax is not made in the accounts, as the income of the Corporation is exempt from Income – tax under section 10(26B) of the Income Tax Act, 1961. Consequently, the provisions of the Accounting Standard 22 on 'Accounting for Taxes on Income' for deferred taxes are not applicable to the Corporation.

4. Revenue Grants from Government

- 4.1 Grants sanctioned by the Government (whether received or not) for programmes undertaken during the year for the development of the target group, are recognized and deducted from related expenses for reporting in income statement.
- 4.2 Unspent grants & interest accrued thereon are deferred & taken to current liabilities.
- 4.3 Grants receivable from Government as compensation for expenses incurred in a previous accounting period are recognized in the income statement of the period during which the sanction for grant is received.

5. Fixed Assets, Intangible Assets and Depreciation amortisation

- 5.1 All fixed assets are capitalised at historical cost including all direct expenses.
- 5.2 Depreciation is provided under written down value method, on pro-rata basis with reference to the date of purchase/sale, at the relevant rates in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.
- 5.3 Assets costing Rs.5,000/- or less individually are depreciated fully in the year of acquisition.
- 5.4 Depreciation on assets, where the historical cost has undergone a change due to changes in duties or price adjustment, is provided prospectively on the revised unamortized depreciable amount, over the remaining useful life of the asset.
- 5.5 Impairment losses on fixed assets, if any, are recognized in Income and Expenditure Account in accordance with the Accounting Standard AS-28.
- 5.6 Related expenditure on Software development and other intangible assets, if any, is amortised under straight line method equally over a period of three years.

6. Foreign Currency Transactions

- 6.1 Transactions in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction.
- 6.2 Balances in the form of current assets and advances in foreign currency outstanding at the close of the year are converted in Indian currency at the rates of exchange prevailing at the date of Balance Sheet. Resultant exchange differences are accounted for in the Income & Expenditure Account.

7. Cash Flow Statement

Cash flow statement is prepared in accordance with the indirect method as per Accounting Standard – 3 on 'Cash Flow Statement'.

8. Previous Year Figures

Previous year's figures have been regrouped or rearranged wherever necessary to correspond with the current year's presentation /classification.

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

टिप्पणी 22: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा तैयार करने का आधार

संलग्न वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं और तथा समस्त लागू सांविधिक/नियामक प्रावधानों, लेखाकरण मानकों तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं सहित, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करते हैं।

2. आय

- 2.1 ऋणग्रहीता एजेंसियों के पास पड़ी अनुपभुक्त राशि पर ब्याज की गणना संभूति आधार पर की गई है।
- 2.2 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा अन्य स्वीकृत योजनाओं में पुनर्विनियोजित-निधि पर ब्याज को योजनावार ब्यौरो की प्राप्ति के बाद इसके निर्धारण के वर्ष में मान्यता दी है।
- 2.3 ऋणग्रहीता एजेंसियों से प्राप्त होने वाले ब्याज ऋण अवधि में समान माना गया है।
- 2.4 पुनर्भुगतान में विलम्ब पर दण्ड ब्याज को लेखाकरण मानक 9 के अनुसार वसूली पर माना गया है क्योंकि इस प्रभार की वसूली अनिश्चित है।

3. व्यय और प्रावधान

- 3.1 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/संस्थाओं को विकासात्मक एवं अभिवृद्धि कार्यकलापों हेतु अनुदान का भुगतान इसके सवितरण के आधार पर लेखे में लिया गया है।
- 3.2 समस्त कर्मचारियों एवं मुख्य कार्यकारी हेतु लागू लाभः
 - 3.2.1 वर्ष की समाप्ति पर समस्त कर्मचारियों के उपदान दायित्व को व्यय की गणना संभूति आधार पर की गई है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित "ग्रुप ग्रेच्युटी योजना" को भुगतान किया गया। निगम ने एल.आई.सी. के साथ कर्मचारियों की ग्रुप ग्रेच्युटी योजना के प्रशासन हेतु न्यास गठित किया है।
 - 3.2.2 अवकाश के खाते में लम्बी अवधि के दायित्व (अर्जित अवकाश एवं परिवर्तित अवकाश) वर्ष के अन्त में वास्तविक मूल्यांकन आधार पर प्रावधानित किया गया है। ग्रेच्युटी एवं लम्बी अवधि में अवकाश लाभ के सम्बंध में यथार्थ प्राप्ति एवं हानियां आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है।
 - 3.2.3 संक्षिप्त अवधि के छुट्टी लाभों (आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश एवं परिवर्तित अवकाश) के दायित्व के प्रावधान की गणना वास्तविक मूल्यांकन आधार पर की गई है एवं आय एवं व्यय खाते पर प्रभारित किया गया है।
 - 3.2.4 वर्ष के अंत में अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) के खाते पर दायित्व वास्तविक मूल्यांकन आधार पर किया गया है एवं आय एवं व्यय लेखा पर प्रभारित किया गया है।
 - 3.2.5 भविष्य निधि (परिभाषित अंशदान योजना) के अंशदान का आगणन संभूति आधार पर किया गया है।
- 3.3 ऋण तथा उस पर प्रावधान
 - 3.3.1 जहां अतिदेय तीन वर्षों से अधिक हो जाए और राज्य सरकार के आदेश/ गारंटी तथा किसी अन्य प्रतिभूति द्वारा आच्छादित नहीं हो, वहां ऋणों और उन पर ब्याज के लिए प्रावधान किया गया है।
 - 3.3.2 पुनर्संचित ऋणों/पर ब्याज का प्रावधान/छूट, यदि कोई हो, जो उपरोक्त पैरा (3.3.1) के बाहर हैं, की सीमा तक पीछे से लाए गए हैं।
 - 3.3.3 पूर्व अवधि से संबंधित खर्च जो रु. 1000/- से अधिक नहीं है, वे पिछले वर्ष के खर्चों में माने जाएंगे।
 - 3.3.4 शिल्पियों के उत्पाद जो प्रदर्शनी व प्रोत्साहन क्रियाकलापों के लिए रखे गये हैं उनकी कीमत लागत पर मानी जाएगी।

3.4 आय कर हेतु प्रावधान

3.4.1 चूँकि निगम की आय, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26बी) के अंतर्गत आयकर से मुक्त है, खाते में आयकर हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। तदनुसार, अस्थान कर के लिए लेखा मानक-22 के प्रावधान निगम की "आय पर कर के आगणन" पर लागू नहीं हैं।

4. सरकार से राजस्व अनुदान

- 4.1 वर्ष के दौरान लक्षित वर्ग के विकास के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए अनुदानों (चाहे प्राप्त हों या प्राप्त नहीं हों) का प्रावधान किया गया है और आय विवरण में सूचित करने के लिए संबंधित व्यय से घटाया गया है।
- 4.2 अप्रयुक्त अनुदान तथा उस पर ब्याज को चल देयताओं में लिया गया है।
- 4.3 सरकार से किसी पूर्ववर्ती लेखाकरण वर्ष में किए गए व्यय के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त अनुदानों को उस अवधि के आय लेखे में माना जाता है जिसमें अनुदान की स्वीकृति प्राप्त होती है।

5. अचल संपत्तियां, अमूर्त परिसंपत्तियां तथा अवमूल्यन/परिशोधन

- 5.1 सभी प्रत्यक्ष व्ययों समेत सभी अचल परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर पूंजीकृत किया गया है।
- 5.2 अवमूल्यन का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-14 में संगत दरों पर खरीद/बिक्री की तारीख के संदर्भ में यथानुपात आधार पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के अंतर्गत किया गया है।
- 5.3 रु. 5000 अथवा उससे कम लागत की एकल सम्पत्तियों को अर्जन वर्ष में पूर्णतः अवमूल्यन किया गया है।
- 5.4 परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन, जहाँ ऐतिहासिक लागत ड्युटी या समायोजन मूल्य में परिवर्तन के कारण ह्रास हुआ है, उसे तत्कालीन संशोधित अपरिशोधन अवमूल्यन राशि परिसम्पत्तियों के उपयोगयुक्त अवशेष समय के आधार पर प्रावधानित किया गया है।
- 5.5 चल परिसंपत्तियों पर क्षति हानियां, यदि कोई हों, को आय एवं व्यय लेखा में लेखाकरण मानक-28 के अनुसार किया गया है।
- 5.6 सॉफ्टवेयर विकास तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों पर संबंधित व्यय, यदि कोई हो, को उसके तीन वर्षों की अवधि में समान रूप से परिशोधन किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 6.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन को उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है।
- 6.2 वर्ष के अंत में बकाया चालू परिसम्पत्तियों के रूप में शेष को तथा विदेशी मुद्रा में अग्रिमों को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है। परिणामी मुद्रा के अंतर की गणना आय और व्यय लेखे में की गई है।

7. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर लेखाकरण मानक-3 के अनुसार लेखा प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुरूप तैयार किया गया है।

8. गत वर्ष के आंकड़े

चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण/वर्गीकरण हेतु जहाँ आवश्यक था, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहीकृत अथवा पुनःव्यवस्थित किया गया है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
NOTES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2013

Note 23: Other Notes23.1 **Related Party Disclosures (Key managerial personnel)**

- (i) (a) Mr. A.A. Naqvi, Managing Director,
 (b) Mr. Arvind Kathuria, General Manager (Finance)
 (c) Mr. Ajit Kumar Punia, General Manager (Projects)

(ii) Nature & volume of transactions with key management personnel during FY 2012-13 :

(Amount in Rs.)

	Particulars	Managing Director	General Manager (Finance)	General Manager (Projects)
i)	Remuneration	6,416,839.00	2,491,409.00	2,606,302.00
ii)	House building loan/others & interest			
	a) Loan / interest repaid	4,245.00	90,703.00	2,993.00
	b) Interest accrued	27.00	14,103.00	-
iii)	<u>Receivables at year end</u>			
	a) Loan & advances (Dr.)	-	109,288.00	-
	b) Other current assets (Dr.)	166,304.00	425,915.00	-
iv)	<u>Payables at year end</u>			
	a) Provision of pay and perks (Cr.)	2,071,800.00	-	-
	b) Other current liabilities (Cr.)	10,179.00	5,031.92	16,948.97
v)	Deductions of Rs.32,841/- (Previous year Rs. 32,067/-) and Rs.9,360/- (Previous year Rs.9,360/-) have been made from MD's remuneration for furnished accommodation and for use of official vehicle for restricted private duties, respectively.		N.A	N.A

Sd/-
ARVIND KATHURIA
 General Manager (Fin)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
 Company Secretary

Sd/-
SHARAD B. LONDHE
 Director

Sd/-
A.A. NAQVI
 Managing Director

As per our Audit Report of even date attached
for Vijay Deepak & Co.
 Chartered Accountants

Place: New Delhi
 Date : 01.08.2013

Sd/-
[Yogesh Jain]
 Partner
 M. No. 097139

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष में आय एवं व्यय लेखे के अंग पर टिप्पणियां

टिप्पणी 23: अन्य टिप्पणियां

23.1 संबंध पक्ष प्रकटीकरण (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

- (i) (क) श्री ए.ए. नकवी, प्रबंध निदेशक
(ख) श्री अरविंद कथूरिया, महाप्रबंधक (वित्त)
(ग) श्री अजित कुमार पुनिया, महाप्रबंधक(परियोजना)
- (ii) वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवधि में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ किए गए लेन-देन की प्रकृति एवं मात्रा

राशि ₹0 में

विवरण	प्रबंध निदेशक	महाप्रबंधक (वित्त)	महाप्रबंधक (परियोजना)
i) पारिश्रमिक	6,416,839.00	2,491,409.00	2,606,302.00
ii) गृह निर्माण ऋण/अन्य एवं ब्याज			
क) अदा किया गया ऋण/ब्याज	4,245.00	90,703.00	2,993.00
ख) प्राप्त ब्याज	27.00	14,103.00	-
iii) वर्ष के अंत में प्राप्य			
क) ऋण एवं अग्रिम (डेबिट)	-	109,288.00	-
ख) अन्य चालू परिसंपत्तियों (डेबिट)	166,304.00	425,915.00	-
iv) वर्ष की समाप्ति पर देय			
क) वेतन एवं परिलब्धियों का प्रावधान(क्रेडिट)	2,071,800.00	-	-
ख) अन्य वर्तमान देयता(क्रेडिट)	10,179.00	5,031.92	16,948.97
v) रु. 32,841/- (गत् वर्ष रु. 32,067/-) तथा रु. 9,360/- (गत् वर्ष रु. 9,360/-) की कटौतियां प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक से क्रमशः सुसज्जित आवास तथा सीमित निजी कार्यों के लिए सरकारी वाहन के उपयोग के लिए की गई हैं।		लागू नहीं	लागू नहीं

ह0/-
अरविंद कथूरिया
महाप्रबंधक (वित्त)

ह0/-
अजित कुमार समल
कंपनी सचिव


ह0/-
शरद बी. लोंडे
निदेशक

ह0/-
ए.ए. नकवी
प्रबंधक निदेशक

इस तारीख की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते विजय दीपक एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 01.08.2013

ह0/-
योगेश जैन
भागीदार
एम.नं. 097139



नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016

वैबसाइट : www.nbcfdc.org.in ई-मेल : nbcfdc@del3.vsnl.net.in

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

5th Floor, N.C.U.I. Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016

Website : www.nbcfdc.org.in E-mail : nbcfdc@del3.vsnl.net.in

